'समाज के निर्बल वर्गों पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव - जनपद बुलन्दशहर के दानपुर ब्लाक के विशेष संदर्भ में'

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

में समाजशास्त्र विषय में

पी-एच.डी. उपाधि

हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० एस० बी० सिंह

विभागाध्यक्ष : समाजशास्त्र विभाग

अतर्रा पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा

जिला-बांदा (उ०प्र०)

शोधकर्ता

श्रीमती अनीता कुमारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनीता कुमारी ने **"समाज के निर्बल वर्गों पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव– जनपद बुलन्दशहर के दानपुर ब्लाक के विशेष संदर्भ में** विषय पर मेरे निर्देशन में बड़े परिश्रम, एंव अध्यवसाव से 200 दिन से अधिक उपस्थित रहकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण किया। इसकी विषय सामग्री मौलिक है और यह सम्पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयोग नही की गयी है ।

यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी की पी–एच0डी0 परीक्षा नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है । मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय ।

दिनाँक –:

डॉ0 शीलभद्र सिंह परमार
अध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा
जिला – बॉदा (उ0 प्र0)

आभारिका

हिन्दू सभ्यता तथा नियमावली को इतिहास द्वारा भलीभांति सुरक्षित न रख पाने का प्रतिफल सहज रूप में वर्तमान समाज में अवलोकित किया जा सकता है। इजिप्त अथवा वेवीलोनियन की भांति आर्यसभ्यता की तथ्यात्मक सुरक्षा न कर पाना सामाजिक संस्तरण में विचलन उत्पन्न करने के लिये सहयोगी माना जा सकता है। भारतीय एवं पाश्चात्य वैचारिक मंथन के क्षेत्र में वैदिक अथवा पूर्व सूत्रकाल की क्रमिकता के लिये अगणित प्रयास किये गये परन्तु कोई ठोस आधार पटल निर्मित नहीं किया जा सका। इस कार्य में दोनों क्षेत्रों के दिग्गजों में काल निर्धारण का अर्न्तद्वन्द अधिक समय तक चला। स्मृतिकारों ने स्वीकृति प्रदत्त की है तथा परम्परात्मक सामान्य विचार धारा में यह माना जाता है कि प्रारम्भिक विधि निर्माता मनु थे। स्मृति के माध्यम से मनु के द्वारा स्थापित विचारों को समाज में अग्रसारित किया गया। उन्होंने कहा कि स्थापित मान्यताओं के प्रतिकूल कार्य करने से सामाजिक असंतुलन होगा।

भारतीय स्थापना के प्रारम्भिक चरणों के पश्चात् इसका परिवर्तीकरण नगरीण स्वरूप में हुआ है। शहरों को राज्यों का आवश्यक अंग माना जाता है। नगरीय समस्यायें कोई विशिष्ट क्रम में नही मानी जा सकती हैं जिसे किसी परिधि की सीमाओं में रखा जा सके। विकसित समाजों में मेट्रोपालिटन क्षेत्र एक स्वीकृत सत्य के रूप में ग्राह्य हो रहे हैं, जबकि पूर्व में ऐसा नहीं था। किसी भी शहर के निर्माण के लिये तकनीकी कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं। 19 वी शताब्दी की विश्व प्रतिस्पर्धा में अनेक नगरों का निर्माण तीव्रता से हुआ। आवागमन में कठिनाई के कारण जो व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में नियुक्त किये जाते थे वह उसी स्थान पर निवास करने के लिये बाध्य थे 1 वास्तव में नगर से नगर भ्रमण आसान था परन्तु नगर से ग्रामीण क्षेत्र में जाना दुर्लभ था। इस मूलभूत

कारण की पृष्ठिभूमि में क्षेत्रीय अलगाव उत्पन्न हुआ और इसके प्रतिफल भारतीय समाज में विद्यमान हैं।

वर्तमान प्रसंग में निष्कर्ष के रूप में यह अंकित किया जा सकता है कि सामाजिक विषमताओं के प्रसंग में कोई उपयुक्त शोधकार्य उपलब्ध नहीं हो सका इसलिये शोधकर्ती ने इस क्षेत्र में शोध करने की इच्छा अपने निर्देशक डा० एस.बी. सिंह जी के समक्ष प्रगट की ताकि एक ऐसा शोधकार्य इस क्षेत्र में किया जा सके जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र में उपयोगिता की एक ऐसी कड़ी निर्मित कर सके जो प्रामाणिक, दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक हो।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के विषय चयन से लेकर उसकी पूर्णिता तक परम श्रद्धेय गुरुवर डॉ. एस.बी. सिंह जी से मुझे जो पितृतुल्य सहानुभूति एवं विद्वतापूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है उससे मैं जीवन पर्यन्त उऋण नहीं हो सकती हूँ और उसके लिये कृतज्ञता ज्ञापन मात्र औपचारिकता ही है। शोधकर्ती उनकी विद्वता, अनुभव एवं गुरूगरिमा के आगे श्रद्धानत है।

शोध सामग्री के संकलन हेतु विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ा है जहां पर शोधकर्ती को पर्याप्त सहायता मिली है। शोधकर्ती जनपद बुलन्दशहर के मुख्य विकास अधिकारी की हृदय से आभारी है जिन्होंने शोध विषय से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

प्रस्तुत शोधकार्य को पूर्ण करने में जिन–जिन कार्यालयों से आकड़े इकट्ठे किये हैं शोधकर्ती उन सभी कार्यालय प्रमुखों के प्रति हृदय से आभार प्रदर्शित करती है।

मैं अपने आदरणीय माता–पिता के आर्शीवाद से ही यह शोध कार्य सम्पन्न कर सकी हूँ, अतः शोधकार्य की पूर्ति के पश्चात उन्हें शत्–शत् नमन है।

शोधकार्य को पूर्णिता प्रदान करने में डा० डी.एस. श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष,

शिक्षक शिक्षा विभाग अतर्रा कालेज, अतर्रा का जो बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिये मैं उनकी ह्रदय से आभारी हूँ।

अंत में प्रस्तुत शोध–कार्य को समय से टंकित करने के लिये श्री धीरज गुप्ता की भी आभारी हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्तता से बहुमूल्य समय निकालकर इस शोध ग्रन्थ को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर मुझे सहयोग प्रदान किया।

समाज वैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों, नीतिनिर्धारिकों, प्रशासकों एवं समाज के जागरूक लोगों के लिये यदि यह शोधकार्य किंचित मात्र भी उपयोगी सिद्ध हुआ तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगी।

श्रीमती अनीता कुमारी

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
अध्याय :तृतीय –जनपद बुलन्दशहर के एतिहासिक तथ्य	**36–75**

अध्याय	पृष्ठ

अध्याय	पृष्ठ

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय - १

प्रस्तावना

सामान्य परिचय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप बम्बई की आकाश से मौनसंभाषण करने वाली उच्च अट्टालिकाओं और विद्युत ज्योति से आलोकित बड़े–बड़े शहरों में न बसकर गांवों में बसता है। अतः जब तक इन 5,76,000 गांवों का विकास नहीं होता है तब तक भारतवर्ष का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। इन गांवों के विकास का अर्थ है भारतवर्ष की लगभग 77 प्रतिशत जनता की खुशहाली। संतुलित आर्थिक विकास के लिए इन गांवों का विकास परम आवश्यक है। ग्रामीण विकास की समस्या बहुमुखी और उलझनपूर्ण है। जिसकी बुनियाद है ग्रामीणों कि गरीबी और अज्ञानता। भारतवर्ष की 37 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी और बेरोजगारी में चोली दामन का सम्बन्ध हैं। बेरोजगारी और भूखमरी के साथ–साथ निरक्षरता भी पनपती रहती है। हमारा चार दशक के ऊपर का आर्थिक और सामाजिक विकास का अनुभव बताता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास की वर्तमान बाधाएं स्वतः एक दिन में नहीं दूर की जा सकती हैं। ग्रामीण जनता के रहन–सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूतकाल में भारत सरकार ने अनेक प्रयत्न किये हैं। इस दिशा में सामूदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में सबसे पहले 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। परन्तु

सामाजिक विकास कार्यक्रम वांछित परिणाम नहीं दे पाया। अतः न तो कृषि उत्पादन में इतनी बृद्धि हुई और न ही सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार हो सका। गांव वासियों की अज्ञानता भी वैसे ही फूलती फलती रही। सन् 1961 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाया गया। परन्तु यह कार्यक्रम भी बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया। इसका सर्वाधिक दुखद पहलू उस समय सामने आया जब 1965 में भारत–पाक युद्ध के समय अमेरिकी सहायता बन्द कर दी गई। तब भारत में अमेरिका के राजदूत चेस्टर बाउल्स तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जानसन से भारत को अन्न बेचने की समस्या पर बात करने बाशिंगटन गये थे। जानसन भारतीय नेताओं की वियतनाम नीति पर अमेरिकी आलोचना से क्षुब्ध थे। बाउल्स ने जानसन को यह दलील दी कि भारत ही नहीं अन्य देश भी अमेरिकी की वियतनाम नीति की आलोचना करते है। तब जानसन ने उत्तर दिया कि "पर वे देश हमसे अन्न तो नहीं मांगते।"

उपरोक्त घटना ने भारतीय नेताओं की आंख खोल दी। फलस्वरूप 1965–66 में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का कार्यक्रम शुरू किया गया। जिसके वांछित परिणाम सामने आये और हम अपने कृषि वैज्ञानिकों के साथ किसानों की अथक परिश्रम से आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हुये। परन्तु भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढाँचा कुछ इस प्रकार है कि वह सदैव बड़े लोगों के ही पक्ष में रहता है। इन तथाकथित बड़े लोगों का कृषि कार्य के साथ ही कृषि के अन्य साधनों पर भी पूर्ण नियंत्रण होता

है। अतः हरित क्रान्ति के लाभ से लघु एवं सीमान्त कृषक वांचित हो गये और हरित क्रान्ति मात्र साधन सम्पन्न किसानों को और खुशहाल बनाने की साधन बन गई। साधन विहीन लघु और सीमान्त कृषक हरित क्रान्ति के लाभ से वंचित होते गये।

भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के विभिन्न शोधों से स्पष्ट है कि आधुनिक कृषि का जोत आकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अर्थात यदि छोटी जोतों पर कृषिगत सभी आधुनिक लागतों का प्रयोग किया जाय तो छोटी जोतें भी वही उत्पादन और उत्पादकता देगीं जो बड़ी जोते देती हैं। अतः इन जोतों को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लघु कृषक विकास संस्था, लघु एवं सीमान्त कृषक विकास संस्था जैसी संस्थाएं चलाई गई। साथ ही ऐसा अनुभव किया गया कि गांव के निर्बल लोगों के सहायतार्थ सभी विकास कार्य एक ही स्थान से संचालित किये जाये। जिसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 1975 के सेंशन ने अपनी स्वीकृति दे दी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ देश के सम्पूर्ण वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला इस स्वीकृति एवं सहयोग को एकीकृत विकास संस्था का नाम दिया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास संस्था का उद्देश्य गांव के निर्बल वर्गों के सम्पूर्ण कृषि एवं अकृषि कार्यों का इस प्रकार से संचालन करना है कि गांव का सम्पूर्ण ढांचा एक साथ विकसित हो। वर्तमान उपलब्ध साधनों से उत्पादन बढ़ाकर उसको परस्पर इस प्रकार से समान रूप से वितरित करना है कि उसमे आगे भी रोजगार सृजित हो। इस प्रकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना,

सामान वितरण करना, पुनः रोजगार सृजित करना त्रिस्तरीय है।

वास्तव में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978–79 में देश के 2000 सामुदायिक विकास क्षेत्रों में लागू किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 15 लाख ग्रामीण परिवारों जिसकी, सब साधनों से वार्षिक आय 3500/– रू0 से नीचे थी, को 2 अक्टूबर 1980 से इस योजना के अन्तर्गत कर दिया गया। दूसरे शब्दों में 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी 5011 सामुदायिक विकास खण्डो मे आई0 आर0डी0पी0 कार्यक्रम लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य गांव में रहने वाले सभी लघु एव सीमान्त कृषकों, कृषि एवं अकृषि मजदूरों, ग्रामीणों, दस्तकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करते है, को उत्पादन कार्यो और लाभदायक रोजगारों से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास संस्थाओं को क्षेत्र में कार्यशील वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से चलाने के लिए दे दिया गया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित कृषक परिवारों को लाभान्वित और कार्यक्रम से न लाभान्वित होने वालें परिवारों करे अलाभान्वित परिवार के रूप में जाना जाता है। योजना का लाभ देने के लिए परिवारों का चयन आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण का आधार 2400 कैलोरी प्रतिदिन परिवार के प्रति सदस्यों का ग्रामीण स्तर पर

प्राप्त भोजन सामग्री होता है। अतः रूपये के रूप में समय–समय पर गरीबी रेखा की सीमा बदलती रहती है। अतः प्रारम्भ में रूपयें 3500/– प्रति वर्ष प्रति परिवार थी। अब यह सीमा रूपया 11400/– प्रतिवर्ष प्रति परिवार हो गई है। परिवार का तात्पर्य 5 सदस्य प्रति परिवार रखा गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा0 मनमोहन सिंह ने आशा की थी देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 37 प्रतिशत परिवार सन् 1989–90 तक 26 प्रतिशत और 1995 तक 10 प्रतिशत ही रह जायेगे।

भारत में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय बृद्धि के बावजूद भी योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष और भारत सरकार के वर्तमान वित्तमंत्री डा0 मनमोहन सिंह द्वारा आशा की गई कि वर्ष 1995 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने की संख्या 10 प्रतिशत से कम नहीं हुई। बल्कि वह अब भी 27 प्रतिशत से अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का तात्पर्य है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन और कुपोषण का शिकार। शिक्षा किसी व्यक्ति के एकीकृत विकास के लिए उसकी विभिन्न क्षमताओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। अतः आवश्यक है कि समाज के निर्वल वर्गो पर एकीकृत विकास कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा, का एक सूक्ष्म अध्ययन किया जाय। इसी उद्देश्य से उ0प्र0 के जनपद बुलन्दशहर के दानपुर ब्लाक में निर्वल वर्गो पर एकीकृत विकास कार्यक्रमों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन शुरू किया गया। क्योंकि यहां इस प्रकार का अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया। वर्तमान शोधकार्य की उपलब्धियां सामान्य रूप से योजना

निर्माताओं तथा विशेष रूप से समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी होगी।

ब. साहित्य का पुनरावलोकन :

इस भाग में समाज के निर्बल वर्गों पर एकीकृत विकास कार्यक्रमों का प्रभाव, का अध्ययन से पूर्व अतीत में विभिन्न सामाजिक शोध कार्यकताओं द्वारा किये गये शोध कार्यो का पुनरावलोकन किया गया है। प्रस्तुत सामाग्री को सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है :—

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रम।
2. लाभाविन्त परिवारों और उनको उपलब्ध कराई गईं वित्तीय सुविधाएं।
3. उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किस सीमा तक किया गया।
4. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन।
5. अधिकारियों/कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित धारणाएं।
6. लाभार्थियों की समस्यायें

9. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रम :

जार्ज (1984) अपने अध्ययन में पाया कि कार्यक्रम में सम्मिलित परिवार दुग्ध व्यवसाय, ऊँटगाड़ी और भेड़ पालन से लाभान्वित हुये। इन तीन कार्यक्रमों का योगदान सम्पूर्ण कार्यक्रमों में 92.75 प्रतिशत था।

गुप्ता (1984) ने अपने अध्ययन में देखा कि सभी 78 प्रतिशत लाभान्वित परिवार दुग्ध व्यवसाय (40) ऊँटगाड़ी (22) और भेड़ पालन (16) में ही योजना का लाभ लिया।

राव (1984) ने प्रतिवेदित किया कि बीजापुर जिले में डेयरी, भूमि विकास, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ग्रामीणदस्तकार उद्योग, नौकरी व्यापार और लघु सिंचाई कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मिलित थे।

मोहन सुन्दरम (1985) ने देखा कि बैल गाड़ी, बैल और दुधारू पशुओं पर अधिक ध्यान दिया गया। ग्रामीण दस्तकारों को केवल सिलाई मशीन दी गई बुनकर, बढ़ई और कुम्हारों पर तो काई ध्यान ही नहीं दिया गया।

सिंह (1985) ने पाया कि गांवों से चुने गये 100 परिवारों में लघु सिचाई, दुधारू पशु, रिक्शा और तांगा और बुनकर का भाग क्रमशः 41, 28, 21 और 10 था। जातिगत वर्गीकरण में 100 में से 37 हरिजन बाकी पिछड़ी जाति के थे।

पान्डा (1985) ने देखा कि आई. आर. डी. पी. द्वारा प्रदत्त सुविधाओं में कृषि का योगदान 52 प्रतिशत और अकृषि कार्यक्रमों का योगदाना 48 प्रतिशत था।

सिंह (1986) ने अध्ययन में पाया कि लाभान्वितों को दी गई सुविधाओं में कृषि क्षेत्र का योगदान 75 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र में भी 44 प्रतिशत भाग दुधारू पशुओं, रिक्सा–तांगा का योगदान 17 प्रतिशत और अन्य का भाग 8 प्रतिशत रहा।

बलिस्टर (1986) ने 298 लाभाविन्तों का अध्ययन करते समय पाया कि 67 प्रतिशत सुविधाएं दुधारू पशु और कृषि कार्यों से सम्बन्धित रही और

33 प्रतिशत अकृषि कार्यों से सम्बन्धित रही।

सरवगी आदि (1986) ने अपने अध्ययन में प्रदर्शित किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ऋण बैल, बैलगाड़ी और दुधारू पशुओं के लिए लिया गया। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है एक भी परिवार ने दुधारू पशुओं के लिए ऋण नहीं लिया।

२. *लाभांवित परिवार और उनको उपलब्ध कराई गई वित्तीय सुविधाएं।*

कृषण्म् (1984) ने प्रतिवेदित किया कि लाभान्वित परिवारों को दिया गया ऋण 1.76 लाख था। जिसका रू0 56,000/– अनुदान के रूप में था। औसत प्रति परिवार दी गई सुविधा अनुदान सहित रू0 2201/– थी। उद्देश्य के अनुसार दी गई सुविधा सिलाई, कढ़ाई, प्लास्टिक धागा और बकरी पालन के लिए क्रमशः रू0 895/– रू0 1000/– और रू0 1050/– प्रति परिवार था।

हरीकुमार (1984) ने अपने अध्ययन में पाया कि लाभान्वित 75 परिवारों को 17 स्कीमों के लिए रू0 201832/– दिया गया जिसमें रू0 13391.33 ऋण के रूप में और रू0 68110.17/– अनुदान के रूप में था प्रति परिवार लाभान्वित को रू0 2691/– प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अनुसार सबसे ज्यादा ऋण पशुओं के लिये 34 प्रतिशत और सबसे कम पम्पसेट के लिए 5 प्रतिशत दिया गया।

सुदर्शन (1985) ने पाया कि सबसे ज्यादा रू0 8269 हजार राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंको द्वारा दिया गया और इस कर्ज का रू0 2068 हजार बैल और बैलगाड़ी खरीदने के लिये दिया गया और रू0 1378 हजार बिजली की मोटर खरीदने के लिये दिया गया।

रथ (1985) ने अपने अध्ययन मे उद्रघृत किया कि कुल सहायता का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत भाग डेयरी, बकरी और भेड़ पर विनियोजित किया गया। बैलों और ऊटों पर 20 प्रतिशत, लघु सिचाईं पर 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत और अकृषि कार्यों पर लगभग 25 प्रतिशत खर्च किया गया।

बलिस्टर (1986) ने पाया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पहचान की गई 9443 परिवारों में लघु कृषक , सीमान्त कृषक और भूमिहीन मजदूर क्रमशः 1289 (14 प्रतिशत), 3294 (35 प्रतिशत) और 4869 (51 प्रतिशत) है। जिसमें केवल 3415 परिवार ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हुये। जो पहचान की गई कुल परिवारों का 36 प्रतिशत था।

थिप्पाह और बाबू (1986) ने अध्ययन किया कि लाभान्वित परिवारों को बाँटा गया कुल ऋण रू0 429094/– था। जो प्रति परिवार औसत रू0 2814/– था जो पशुपालन के लिए रू0 2890 कृषि के लिए रू0 3636/– और अन्य के लिए 2073/– प्रति परिवार था।

कवाड़िया (1986) ने इंगित किया कि जबलपुर में एकीकृत ग्रामीण

विकास कार्यक्रम निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। केवल 77.5 प्रतिशत चिन्हित परिवारों को ही लिया जा सका।

सिंह (1986) ने पाया कि वित्तीय सुविधा प्रति परिवार रू0 1927/– थी जिसमें रू0 797/– अनुदान भी सम्मिलित था। प्रति परिवार दुधारू पशु, बैल, बकरी पालन और नहर/पम्पसेट के लिए ऋण क्रमशः रू0 2387/–, रू0 944/–, रू0 1463/– और रू0 3228/– था सिलाई और लाउडिस्पीकर के लिए क्रमशः रू0 1293/– और रू0 3228/– ऋण दिया गया। लाभान्वित परिवारों को दी गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं थी।

गुंलियानी और सिंह (1986) ने पाया कि लाभान्वित 46 प्रतिशत परिवारों में अधिक से अधिक भैस खरीदने के लिए कुल ऋण राशि का 47.94 प्रतिशत खर्च किया दूसरी धनराशि भेड़ और बैलगाड़ी खरीदने के लिए खर्च किया गया।

३. उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किस सीमा तक किया गया

दास (1984) ने अपने अध्ययन में पाया कि निर्धारित लक्ष्य के केवल 35.35 प्रतिशत परिवारों को 1981–82 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ दिया जा सका। और निर्धारित वित्तीय साधन का केवल 43.84 प्रतिशत भाग ही प्रयोग में लाया जा सका। 1982–83 के लिए यह उपलब्धि क्रमशः 31.76 प्रतिशत और 41.43 प्रतिशत और 1983–84 के लिए क्रमशः 28.86 प्रतिशत और 38.97 प्रतिशत रही।

मलयाद्री (1985) ने प्रतिवेदित किया कि 40 लाभान्वित परिवारों में से

केवल 30 ने पूर्ण रूपेण, 5 ने आशिंक रूप से, 3 ने बिल्कुल नहीं और 2 ने घरेलू कार्य में प्राप्त ऋण का उपयोग किया।

ढिल्लन आदि (1985) ने अपने अध्ययन से दर्शाया कि 270 लाभान्वित परिवारों में से 76 प्रतिशत परिवार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ऋण पाये। जिसमें से 61 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गये और 15 प्रतिशत परिवारों ने प्राप्त धन का दुरूपयोग किया।

खटकर आदि (1986) ने पाया कि मात्र 37.1 प्रतिशत परिवारों को अच्छी तरह से योजना के लाभ के लिए चिन्हित किया गया। 48.6 प्रतिशत परिवारों की गलत तरीके से पहचान की गई। कुल लाभान्वित परिवारों में 14 प्रतिशत परिवारों ने बुरी तरह से प्राप्त धन का दुरूपयोग किया।

४. *सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन :*

हरीकुमार (1984) ने पाया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जब से लागू हुआ तब से मात्र 20.6 प्रतिशत परिवार ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाये 79.4 प्रतिशत परिवार अब भी गरीबी रेखा से नीचे थे। योजना लागू होने से पूर्व 97.33 प्रतिशत परिवार रू0 2500/– से कम प्रतिवर्ष पाते थे। परन्तु कार्यक्रम लागू होने के बाद मात्र 44 प्रतिशत परिवार ही रू0 2500/– से कम प्रतिवर्ष पाते थे। योजना लागू होने से पूर्व लाभान्वित 11.66 प्रतिशत परिवारों की आय रू0 2000–3000 के बीच थी। योजना लागू होने के बाद से 65.57 प्रतिशत परिवारों की आय रू0 2000–3000 के बीच में हो गई।

जार्ज (1984) के अध्ययन से स्पष्ट है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व लाभान्वित परिवारों की आय रू0 2492.45 थी जो योजना के सहयोग से 49.60 प्रतिशत बढ़कर रू0 3728.77 हो गई।

योजना सम्बाददाता (1985) की मूल्यांकन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 1163 परिवारों में से 88 प्रतिशत परिवारों के एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभ हुआ। परन्तु 10.6 प्रतिशत परिवारों की धारणा थी कि उनकी भौतिक उपलब्धि लगभग नगण्य थी।

चन्दाकवते (1985) के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 300 परिवारों में से केवल 12 प्रतिशत परिवार ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाये। 36 प्रतिशत परिवारों के एकीकृत ग्राम्य विकस कार्यक्रम के पूर्व और उसके बाद की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ। परन्तु 52 प्रतिशत परिवारों की आय में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ।

सिंह ओर देव (1985) के अध्ययन के लिए चुने गये दोंनो क्षेत्रों मे लाभान्वित परिवारों के बच्चों के स्कूल जाने का प्रतिशत अलाभान्वित परिवारों से ज्यादा था।

पान्डा (1985) में अपने अध्ययन में पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से अनुसूचित जाति की आय में 15.64 प्रतिशत और अन्य जातियों की आय में 22.16 प्रतिशत की बृद्धि हुई।

नारायण (1986) ने विभिन्न प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से 40 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाये परन्तु राजस्थान, तमिलनाडू और आन्ध्रप्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले परिवारों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम रही।

सिंह (1986) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से दस्तकारों की आय सबसे ज्यादा और लघु कृषकों की सबसे कम रही।

सिंह (1986) ने पाया कि केवल 8.33 प्रतिशत परिवार ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाये। 41.67 प्रतिशत परिवारों की आय पहले से कुछ बढ़ी।

सखगी आदि (1986) ने देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू होने से 71 प्रतिशत परिवारों की आय गरीबी रेखा से ऊपर हो गई। सभी लघु कृषक गरीबी रेखा से ऊपर उठ गये। परन्तु 69 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर और 65 प्रतिशत सीमान्त कृषक गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये।

अवस्थी आदि (1986) ने अपने अध्ययन में पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राप्त सहायता से ग्रामीण स्तर के 20 प्रतिशत व्यापारी गरीबी रेखा पार कर गये। परन्तु पशुपालन के लिए ली गई सहायता से केवल 30 प्रतिशत परिवार ही गरीबी रेखा पार कर पाये।

जैन (1986) ने अपने अध्ययन में देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास

कार्यक्रम की प्राप्त सहायता से दुग्ध व्यवसाय में सबसे अधिक आमदनी हुई। दूसरा स्थान कृषि और तीसरा स्थान कुटीर उद्योगों का रहा।

गुलेरिया और यादव (1986) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास संस्था द्वारा पशुपालन के लिए सौलह जिले में 59 प्रतिशत खर्च किया गया। अध्ययनरत विकास खण्ड के 26 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाये। जब कि पूरे जिले में गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले परिवारों की संख्या 38 प्रतिशत थी।

खन्ना (1987) ने प्रतिवेदित किया की एक़ीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से 90 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुये। 90.7 प्रतिशत परिवारों के रोजगार में, 88 प्रतिशत परिवारों की आय में, 77 प्रतिशत परिवारों के उपभोग स्तर में और 64 प्रतिशत परिवारों के सामाजिक स्तर में बृद्धि हुई।

बसु (1988) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास संस्था के सहयोग से मछली पकड़ने वाले परिवारों को स्वरोजगार मिला। जहां इनको वर्ष में केवल 172 दिन काम मिलता था। वही इनकों योजना के सहयोग से 290 दिन काम मिला।

९. अधिकारियों/कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं से संबन्धित धारणाएं :

वर्मा (1982) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम वित्त प्रधान कार्यक्रम है। परन्तु वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम ऋण उपलब्ध कराया जाता

है। बैकों और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है। अतः लाभार्थियों के प्रार्थनापत्रों का निस्तरण समय से नहीं हो पाता है। साथ ही आवश्यकतानुसार ऋण भी नहीं प्राप्त होता है।

भण्डारी (1984) ने व्यक्त किया कि वित्तीय संस्थओं ने दुधारू पशु के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ऋण देते समय, दुधारू पशु और चारे की उपलब्धता और ऋण लेने वाले की क्षमता और दूध बेचने की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। अनुदान देते समय रहन–सहन का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा गया। छोटे किसानों की आवश्यकताओं का ध्यान न रखकर केवल एक ही काम के लिए ऋण दिया गया।

शर्मा और त्यागी (1984) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ऐसे लोगो को लाभान्वित किया गया जिनका योजना से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः उन्होंने जानबूझकर ऋण अदा नहीं किया। साथ ही नेताओं ने भी ऋण की अदायगी के लिए मना किया। जिसमें कार्यक्रम को संचालन में अनेक अनियमितताएं पैदा हुई। इस प्रकार ऋण का अदा ने करने वालों की संख्या 60 प्रतिशत तक बढ़ गई।

सिंह (1984) ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्राम्य सेवकों और क्षेत्रीय विकास अधिकारियों ने मुफ्त प्रार्थना पत्र देने और उनके भरवाने में लाभार्थियों का बहुत सहयोग किया। इसके साथ ही अदेय प्रमाणपत्र, जमीन

प्रमाण पत्र आदि कम से कम खर्च पर उपलब्ध करवाया।

कृष्णन (1984) ने देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य के निर्धारिण में क्षेत्रयिता का ध्यान नहीं दिया गया और दी जाने वाली सहायता आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय को वांछित स्तर तक पहुंचाने में कार्यक्रम सहायक नहीं हुआ।

नायडू (1984) ने सुझाव दिय कि ग्रमीण आर्थिक सामाजिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले गांव की अशिक्षित जनता को शिक्षित किया जाय। उसके बाद कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाय।

कैन्थ और सिंह (1984) ने पाया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को धीमी गति के लिए ऋण की अपर्याप्त और अनियमित पूर्ति, कार्यक्रम के मूल्यांकन का अभाव, संस्थाओं में इमानदारी और इच्छाशक्ति का अभाव, आदि जिम्मेदार थें।

जैदी (1985) ने स्पष्ट किया कि दुधारू पशुओं के लिए ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में केवल 45.7 प्रतिशत लाभार्थी दो वर्ष तक दुधारू पशु रख पाये। शेष ने या तो बेच दिये या मर गये। भैंड और बकरियों में मृत्यु दर इतना ज्यादा थी 42 प्रतिशत जानवर रोग, खराब मौसम, दवा का अभाव आदि के कारण एक वर्ष के अर्न्तगत ही मर गये।

सैनवाल (1985) ने सुझाव दिया कि लाभार्थियों और योजना के चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ताओं और अनुभवी व्यक्तियों से सहयोग लिया जाय। प्रशासनिक कार्यवाहियों को एक पासबुक देकर सरल किया जाय और साथ ही योजना उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाय।

कुमत (1985) ने निष्कर्षित किया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को सातवीं योजना में एक केन्द्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाय और सारी नीतियां और योजना इसके चारों ओर केन्द्रित हों इस प्रकार यह एक आदर्श गरीबी निवारण योजना बन जायेगी।

सिंह (1985) ने पाया कि योजना के लाभ के विषय में बहुत से ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं थी। जिनकों जानकारी थी उनकों लाभ प्राप्त करने का तरीका ज्ञात नहीं था। अतः पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए विविध उपायों द्वारा ग्रामीणों को एकीकृत ग्राम्यविकास कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दी जाय।

राव और राव (1985) ने सुझाव दिया कि परिस्थितियों की असमानता के कारण कार्यक्रम और योजना का निर्धारण और पहचान ग्रामीणों द्वारा ही होनी चाहिए साथ ही साथ विकास कार्यक्रम में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग होना चाहिए।

राव (1985) ने स्पष्ट किया कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अर्न्तगत जो सामान उपलब्ध कराई जाय विशेषकर पशुओं के सम्बन्ध में

उनका बीमा होना चाहिए। कार्यक्रम की जटिलता और महत्व को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लिए अलग से विभाग खोल देना चाहिए।

राम चन्द्रेस (1986) ने सुझाव दिया कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का पूर्ण लाभ देने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे लाभार्थियों का चयन किया जा सके। चयनित लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई गईं है वह अपर्याप्त थी। उपलब्ध सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि वह नियमित और निरन्तर आय का श्रोत बनी रहे।

किथल (1986) ने रिपोर्ट किया कि विकास क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाले कार्यक्रमों के उद्देश्यों के संबंध में जनता सामान्य रूप से और एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम विषय में विशेष रूप से कोई स्पष्ट विचार नहीं रखती।

झा (1986) को ऐसा लगा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम चलाने की जो बुनियादी सुविधाएं गांव और विकास क्षेत्रों स्तर पर है। उसकी उपलब्धियों को देखते हुये योजना में सुधार की बहुत ही कम आशा है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय।

हीरके (1986) ने पाया कि गरीब विशेषकर गरीबों में गरीब, गरीबी

समाप्त करने वाले कार्यक्रमों में आगे नहीं आते क्योंकि

(1) उनको कार्यक्रमों की न तो जानकारी होती है और न काई जानकारी दी गई।

(2) पद्धति सभ्यता और स्तर की सीमा रेखा को पार करने का साहस उनमें नहीं हुआ।

(3) उनको प्रशासन बैंक या पंचायत से प्रमाणपत्र, जमानत, प्रस्ताव अनुसंसा आदि में सहायता नहीं मिली

(4) सम्पन्न लोगों द्वारा जानबूझकर विविध रूपों में भड़काया गया।

हनुमप्पा (1986) ने पाया कि प्रशासनिक उलझनों और बाधाओं के कारण बहुत से लाभार्थियों का योजना से विश्वास उठ गया।

सिंह आदि (1986) ने संकेत दिया कि लाभार्थियों के अनुदान सामान और लागत की कीमत में हेर फेर से बचने के लिए सहकारी विपणन संस्था को आगे आना चाहिए। थोड़ी सा अनुदान और ब्याज दर में कमी से अनुदान का सदुपयोग होगा और ऋण के भुगतान में सुविधा होगी।

सत्यनारायण और पीटर (1986) ने बताया कि बहुत सी दशाओं में एकीकृत ग्राम्य विकास संस्था के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं की बुनियादी सुविधायें इतनी कम थी कि लाभार्थियों गरीबी से बोझ से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सके। गरीबों को दी जाने वाली सुविधाएं इतनी होनी चाहिए कि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर सके।

६. लाभार्थियों की समस्याएं

सत्यनारायण और पीटर (1984) ने पाया कि अन्ततः अपर्याप्त वित्तीय और जांच की सुविधा कार्यक्रम की खराबी बनी रहीं। धनी और राजनैतिक व्यक्तियों का प्रभाव, बढ़ती अज्ञानता, बेरोजगारी, पैत्रिक हीन भावना, साहस और विश्वास की कमी, गांवों में सरकारी कार्यक्रमों की असफलता का मुख्यकारण रहीं।

चन्दकवेर (1985) ने पाया कि बैंक और विकास कार्यकर्ताओं द्वारा योजना का नियमित देख–भाल और दुबारा ऋण देने की व्यवस्था नहीं की गई। प्रगति पुस्तक के सामाजिक आंकड़े झूठे और सत्य से परे थे।

चौधरी (1985) को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे निम्न थी :–

1. उच्च स्तर के अधिकारियों का शहरों से सम्बन्धित होना एक मुख्य समस्या थी। लालफीता शाही कार्यक्रम चलाने में बाधक बनी। जिससे अधिकारी स्तर पर समस्याओं को समझने में बाधा पड़ी।
2. दिन प्रति दिन के बढ़ते राजनैतिक दवाब के कारण निर्धारित माप दण्ड के अनुसार कार्य करने में बाधा पड़ी।
3. कभी–कभी ऐसा पाया गया कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत संस्थाओं को गांव की बुनियादी जानकारी ठीक से नहीं थी।
4. समाज और प्रशासन में मतैक्य के अभाव में लाथार्थियों को वित्तीय परेशानियां हुईं।
5. सरकारी संस्थाओं ने लाथार्थियों की पहचान और उनके अनुदान देने

तक अपनी जिम्मेदारी समझ योजना के लिये दोबारा सहायता देने और जांच पर ध्यान ही नहीं दिया।

6. सरकारी संस्थाओं और बेंकों के साथ योजना से संबंधित संस्थाओं और लाथार्थियों में परस्पर सहयोग का अभाव रहा।

सिंह (1985) ने पाया कि योजना द्वारा दिया जाने वाला लाभ लाभार्थियों को तभी मिला जब लाभार्थियों ने प्राप्त अनुदान का मांगा गया हिस्सा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को दे दिया। यह स्थिति डी0 आर0 डी0 ए0 में अधिक देखने को मिली।

वोगर्त (19851) ने देखा कि लाभार्थियों के गरीब होने का कारण स्वयं उनकी अज्ञानता और जीवन का प्रतिदिन का संबंध रहा।

सिंह (1985) ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास की अनेक समस्याओं में से निम्न मुख्य थीः—

1. अज्ञानता और प्रसार सेवा के अभाव में लाभार्थियों का योजना से मिलने वाले लाभ से अनभिज्ञ होना पाया गया।
2. लाभार्थियों के पहचान में सबसे बड़ी कमी रही। कई बार तो वे लोग लाभन्वित हो गये जो पहले से ही सम्पन्न थे।
3. वित्तीय संस्थाओं, सरकार और स्वेच्छिक संगठनों में आपसी ताल मेल का अभाव।
4. लक्ष्य की पूर्ति में मूल्यांकन का अभाव

5. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का प्रबन्धन कमजोर रहा। वह कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार योजना को कार्यान्वित नहीं कर पायी।

यादव (1985) ने अपने अध्ययन में पाया कि लाभार्थी हर स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों पर आश्रित रहे। जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा।

मनराय (1986) ने देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के संचालन संबन्धी समस्यायें निम्न थी :–

1. कार्यक्रम शुरू करने में इतनी जल्दबाजी की गई कि लाभार्थियों की पहचान ही ठीक से नहीं की गई।
2. भली प्रकार चयनित होने पर भी राजनैतिक रूप से प्रभावशाली माध्यम निर्धारित तरीके से हटकर अनुदान पाने में समर्थ रहे। वास्तविक लाभार्थी लाभ पाने से वंचित रहें।

मिश्रा (1986) ने देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की समस्याएं :–

लाभार्थियों का चुनाव, विकेन्द्रित योजना और संचालन का दूर से नियंत्रण , ऋण अनुदान से संबन्धित होने के कारण प्रशासनिक समस्या, लक्ष्य पर आधारित प्रगति, विभिन्न संस्थाओं में आपसी तालमेल का अभाव, ऋण प्रक्रिया और अपर्याप्त निरीक्षण प्रक्रिया से संबन्धित थी।

कौर आदि (1986) ने अध्ययन में पाया कि योजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की समस्याएं :–

लाभार्थियों के चुनाव की अविकास की प्रक्रिया जिससे गरीबी रेखा से नीचे के अनेक परिवार छूट गये, लाभार्थियों की गलत पहचान, ग्रामीण जनता की योजना का लाभ पाने में लापरवाही, कच्चा सामान और विपणन सुविधा न देना, सामान के वास्तविक मूल्य और प्राप्त ऋण में अन्तर और सब क्षेत्रों के योग्य योजना का अभाव– थी।

सिंह (1986) ने अध्ययन से देखा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का स्थानीय साधनों और लाभार्थियों की आवश्यकता से कोई तालमेल नहीं था। लाभार्थियों को दिया गया ऋण नई वस्तु खरीदने के लिए अपर्याप्त था। लाभार्थी संस्था से कच्चा माल खरीदने मे कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त कर सके।

स वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य :

वर्तमान शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थेः–

क. जनपद बुलन्दशहर का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना।

ख. जनपद बुलन्दशहर का ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।

ग. जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1947 के पश्चात विकास के माध्यमों के स्वरूप का विवेचना करना।

घ. जनपद बुलन्दशहर में शिक्षा तथा कुछ सामाजिक तथ्यों के प्रसंगों में सामाजिक योगदान का निरूपण।

च. जनपद बुलन्दशहर में कुल योगदान का क्रमिक मूल्यांकन जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति किया जाय का अध्ययन

छ. परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से विकास तथा समाजशास्त्रीय प्रचलनों के अन्य तथ्य जो उपयुक्त हो सके का विवेचन।

द *वर्तमान शोध अध्ययन की उपयोगिता*

आधुनिक युग नियोजन और संगठन का है। अतः केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें बनती है जिनका आधार जिला नियोजन होता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले एकीकृत वार्षिक जिला योजना बनाते है। इस जिला योजना में अन्य योजनाओं के साथ शिक्षा, युवा कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं पिछड़ी जाति कल्याण, लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायता कृषि एवं अकृषि मजदूरों की सहायता आदि योजनाएं तैयार की जाती है। प्रस्तुत अध्ययन "समाज के निर्बल वर्गो पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव जनपद बुलन्दशहर के दानपुर ब्लाक के विशेष संदर्भ में।" लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि एवं अकृषि मजदूरों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दस्तकारों का एक सूक्ष्म अध्ययन है। इस अध्ययन के निष्कर्ष जिला स्तर के अधिकारियों को जिला नियोजन कार्यक्रम बनाने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य शोध कर्ताओं को भी इस अध्ययन के निष्कर्ष लाभदायक सिद्ध होगें।

******

अध्याय - द्वितीय

अध्ययन पद्धति

अध्याय - २

अध्ययन पद्धति

अ- सामान्य विवरण :

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के चुने हुये 2000 सामुदायिक विकास क्षेत्रों में शुरू किया गया। छठी और सातवीं योजना में इसका विस्तार देश के सभी सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले का चुनाव प्रस्तावित अध्ययन के लिए इसलिये किया गया कि यहाँ पर योजना बनाने वालों, शासकों और कार्य कर्ताओं के लिये इस प्रकार का अभी तक कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं था। इस अध्ययन से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारियों की बहुत बड़ी प्रतीक्षित आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

ब- वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र एवं समय

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र का निम्न स्तरों पर अध्ययन वर्ष 1985–86 और वर्ष 1993–94 के लिये किया गया। वर्ष 1993–94 में उन्हीं लाभार्थी परिवारों का चयन किया गया जो वर्ष 1985–86 के बाद एकीकृत विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हुये।

क–जिले का चुनाव — ख– विकास क्षेत्र का चुनाव

ख–गावों का चुनाव — घ– उत्तरदाताओं का चुनाव

क- जिले का चुनाव

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से संबधित कोई अध्ययन जिला बुलन्दशहर में नहीं किया गया था। अतः जिला बुलन्दशहर का चुनाव उ0प्र0 के सम्पूर्ण ज़िलों में से सउद्देश्य अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये किया गया।

ख- विकास खण्ड का चुनाव

जिला बुलन्दशहर के सम्पूर्ण विकास खण्डों की एक सूची तैयार की गई। इस सूची में से एक पिछड़ा विकास खण्ड दानपुर का चुनाव सउद्देश्य किया गया।

ग- गांवों का चुनाव

दानपुर विकास खण्ड के सम्पूर्ण गांवों की एक सूची तैयार की गई । इस तैयार की गई सूची में से 5 गांवों का चुनाव रेंडम विधि से किया गया।

घ- उत्तरदाताओं का चुनाव

चुने हुये 5 गांवों में से प्रत्येक गांव की अलग–अलग एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से लाभान्वित परिवारों की सूची तैयार की गई। इस तैयार की गई सूची में से 150 लाभान्वित परिवारों का चुनाव रेंडम विधि से गांव के लाभान्वित परिवारों में से बराबर–बराबर किया गया। यही चुने लाभान्वित परिवार कार्यक्रम के उत्तरदाता थे। इन उत्तरदाताओं का विस्तृत वर्गीकरण गांव के अनुसार तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1 दानपुर विकास खण्ड के चयनित गांवों के चुने हुये उत्तरदाताओं के लाभान्वित परिवारों का संख्या के अनुपात में वर्गीकरण :–

क्र. सं0	चयनित गांव का नाम	कुल परिवरों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या	चुने गये उत्तरदाता परिवारों की संख्या
1.	दानपुर	1220	287	30
2.	हिम्मत गढ़ी	354	55	30
3.	नरायनपुर	725	94	30
4.	रहमापुर	701	81	30
5.	राम नगर	519	67	30
	योग	3519	584	150

घ- *उत्तरदाताओं का एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अनुसार वर्गीकरण*

दानपुर विकास खण्ड के चयनित गांवों के चुने हुये उत्तरदाताओं के लाभान्वित परिवारों का एकीकृत विकास कार्यक्रम के अनुसार वर्गीकरण तालिका 2.2 में किया गया है।

तालिका 2.2 लाभान्वित परिवारों का एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अनुसार वर्गीकरण

क्र. सं0	कार्यक्रम	लाभान्वित उत्तरदाता परिवारों की संख्या	लाभार्थी परिवारों का प्रतिशत
1.	लघु एवं सीमान्त कृषक		
	अ. कृषि	64	
	ब. पशुपालन	39	68.67
2.	ग्रामीण उद्योग–धन्धें	17	11.33
3.	व्यापार एवं सेवा	30	20.00
	कुलयोग	150	100.00

स- *परिकल्पना*

अध्याय एक में पूर्व वर्णित साहित्य का पुनरावलोकन और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न परिकल्पना विकसित की गई।

1. 1947 के पश्चात विकास के माध्यमों का स्वरूप बदलता रहा।
2. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
3. कार्यक्रम में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ।
4. कार्यक्रम के सहयोग से कुछ आर्थिक परिवर्तन हुये। जिससे सामाजिक परिवर्तन प्रभावित हुआ।
5. कुछ कार्यक्रमों से सामाजिक परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ।

द- न्यादर्श संकलन की विधि :

आँकड़ा, सर्वेक्षण विधि द्वारा भलीभांति तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से चयनित लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके एकत्र किया गया। अध्ययन के लिये चयनित लाभार्थियों की सुविधानुसार कई बार गांवों में जाकर आंकड़े एकत्रित किये गयें। अध्ययन से सम्बन्धित उनसे विविध प्रकार के प्रश्न किये गये। प्रश्न करते समय यह ध्यान रखा गया कि लाभार्थी कल्पित उत्तर न दें। कल्पित उत्तर से बचने के लिये उत्तरदाताओं से जिरह किया गया। साथ ही गांव के अनुभवी व्यक्तियों तथा स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से सहायता ली गई। इस कार्य में क्षेत्रीय विकास अधिकारी, लेखपाल, ग्राम्य पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, ग्रामीण नेताओं आदि से सहायता ली गई। कहीं कहीं द्वितीयक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया। प्राथमिक आंकड़ों का, अनुभवी किसानों, ग्रामीण नेताओं आदि से सत्यापन कराया गया। अध्ययन से संबधित सूचना प्राप्त करने के लिये जिला मुख्यालय के संबन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया। आंकड़े प्राप्त करने के लिये निम्न कार्यालयों और अधिकारियों से भी सम्पर्क किया गया।

1. मुख्यालय क्षेत्रीय विकास खण्ड।
2. मुख्यालय तहसील।
3. जिला गजट बुलन्दशहर।
4. जिला से संबन्धित रिर्पोट और पब्लिकेशन।

5. कार्यालय जिला संख्या अधिकारी।

6. कार्यालय जिला स्वास्थ्य अधिकारी।

7. कार्यालय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी।

8. कार्यालय जिला नियोजन अधिकारी।

स. सारणीयन-

सारणीय ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से आंकड़ो का विश्लेषण, शोध का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिये निम्न तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिये सारणी का प्रयोग किया गया।

क. चयनित लाभार्थियों की ऋण उपलब्धता :

लाभार्थियों की मांग के अनुसार उनको कितना ऋण उपलब्ध कराया गया इसे सारिणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

ख- प्राप्त धन का उपयोग :

जितना ऋण कार्यक्रम के अर्न्तगत लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया उसका सही प्रयोग कितना हुआ। इसको ज्ञात करने के लिये प्राप्त ऋण का प्रभाव तीन वर्षो की उपलब्धियों द्वारा ज्ञात किया गया।

ग- सामाजिक, आर्थिक स्तर में सुधार :

योजना लागू होने के पूर्व और बाद में लाभार्थियों का आर्थिक सामाजिक स्तर में क्या परिवर्तन हुआ को ज्ञात करने के लिये त्रिवेदी और

पारिक (1963) द्वारा विकसित विधि का प्रयोग किया गया। देश की बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन किये गये। इसकों ज्ञात करने के लिये निम्न आठ छोटी धारणाओं का सहारा लिया गया।

1. बच्चों की शिक्षा।
2. भौतिक स्थिति।
3. प्रक्षेत्र पर प्रयुक्त होने वाली सामाग्री।
4. खाने की आदत।
5. कपड़े प्रयोग की स्थिति।
6. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की दशा।
7. आय स्तर।
8. परिवार में नौकरी करने वालों की संख्या।

घ- सामाजिक-आर्थिक स्तर के बीच संबंध और वित्तीय सहायता।

अध्ययन क्षेत्र के चयनित लाभार्थियों को दिये गये अनुदान सहित ऋण और इसके पूर्व की सामाजिक, आर्थिक स्तर के सम्बन्ध को सहसम्बन्ध गुणांक द्वारा ज्ञात किया गया।

च- लाभार्थियों की समस्याएं :

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि एवं अकृषि मजदूरों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ग्रामीण दस्तकारों, जो गरीबी

रेखा से नीचे जीवन यापन करते है की दशा सुधारने के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और सरकारी विभागों की सहायता से चलाई जा रही हैं अतः लाभान्वित को जाने अनजाने अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिनकों जानने के लिये एक सारिणी का सहारा लिया गया।

र- *वर्तमान शोध अध्ययन की सीमाएं :*

वर्तमान अध्ययन समाज के अत्यन्त निर्बल वर्ग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे के सूक्ष्म अध्ययन से संबन्धित था। अतः बुलन्दशहर जिले के एक पिछड़ा विकास खण्ड दानपुर के केवल 150 लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि एंव अकृषि मजदूरों, अनुसूचित जाति एंव जनजाति का ही अध्ययन किया गया। योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता के साथ उसकी सामाजिक दशा पर पड़ने वाले प्रभावों का ही अध्ययन किया गया। उत्तरदायी लाभार्थियों की अज्ञानता रूढ़वादिता लज्जालुपन और आँकड़ा देने में हिचकिचाहट के कारण आकड़े एकत्रित करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लाभार्थी एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से प्राप्त सहायता तथा सामाजिक कार्यों से संबन्धित कोई लिखित आकड़े नहीं रखते। यदि कोई आंकड़ा था भी तो अधूरा था। उसकों देने में डरते रहे। अतः लाभार्थियों ने स्मरण के आधार पर ही ज्यादा आँकड़ा दिया। जिसका सत्यापन आवश्यकतानुसार संबन्धित कार्यालयों से किया गया। संबधित कार्यालयों के अधिकारियों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार तथा अधूरे आँकड़ों के कारण कई बार उनसे सम्पर्क करना पड़ा।

ल- अध्ययन की अवधि - वर्ष 1993–94

व- न्यादर्श का विश्लेषण :

आंकड़ों के विश्लेषण और उनकी व्याख्या के लिये निम्न विश्लेषण सामग्री का प्रयोग किया गया।

1. औसत : औसत द्वारा सम्पूर्ण मूल्य का औसत दिखाया गया।
2. प्रतिशत : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्राप्त कर्ज और उनका उपयोग आदि क़ी व्याख्या के लिये प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया।
3. काई – स्क्वायर टेस्ट फिट टेस्ट की अच्छाई।

   एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों से प्राप्त चयनित लाभार्थियों के द्वारा योजना स्वीकार के पूर्व और बाद की स्थितियों के अन्तर को स्पष्ट करने के लिये काई –स्क्वायर टेस्ट विधि का प्रयोग किया गया। काई–स्क्वायर विधि के लिये जो सूत्र प्रयोग किया गया वह नीचे दिय गया है :–

$$X^2 = \frac{N^2}{R_1 R_2}\left[\left\{\left(\frac{a^2}{c}\right) - \frac{R_1^2}{N}\right\}\right]$$

जब कि, a = कार्यक्रम कार्यान्वयन के बाद की सामाजिक आर्थिक स्थिति की बारम्बारता अवलोकन

c = कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रारम्भिक और बाद की सामाजिक आर्थिक स्थिति के कालमों का योग।

R_1 और R_2 = कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रारम्भिक और बाद की सामाजिक आर्थिक स्थिति के पंक्तियों का योग।

N = सम्पूर्ण पंक्तियों को स्पष्ट करता।

4. टी–टेस्ट :

टी टेस्ट का प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रारम्भिक और बाद की स्थितियों में लाभान्वितों की प्रक्षेत्र शक्ति और सामान रखने की दशा में महत्व को स्पष्ट करता है। टी टेस्ट ज्ञात करने के लिये जो सूत्र प्रयोग किया गया वह नीचे दिया गया है।

$$t = \frac{\bar{D}}{S \sqrt{N}}$$

$$S/\sqrt{N} = \frac{\sqrt{\Sigma D^2 - \frac{(\Sigma D)^2}{N}}}{N(N-1)}$$

$$D = \frac{\Sigma D}{N}$$

जब कि,

D = योजना कार्यान्वयन के प्रारम्भिक और बाद की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का अन्तर।

N = वस्तु की संख्या।

5. गुणांक सहसंबन्ध :

दो चंचल कारकों का आपसी संबन्ध सकारात्मक है या नकारात्मक यह उसको स्पष्ट करता है। गुणांक सह संबध ज्ञात करने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया।

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$$

जब कि,

r = गुणांक सहसंबन्ध

$x = x - \bar{x}$

$y = y - \bar{y}$

$xy =$ चंचल कारक

6. मीन स्कोर :

विशेष गणना के औसत को ज्ञात करने के लिये मीन स्कोर विधि का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग सब जगह किया गया। मीन स्कोर का सूत्र निमन है:

$$Mean\ Score = \frac{Total\ weighted\ score\ on\ particulor\ item}{No.\ of\ respondents}$$

7. जिनी कन्सेन्ट्रेशन रेसियों :

चुने हुये उत्तरदाता लाभार्थियों के आय स्तर ज्ञात करने के लिये जिनी कन्सेन्ट्रेशन रेसियों का प्रयोग किया गया। अनुपात शून्य के जितना पास रहता है उतनी ही अधिक आय में समान्ता और अनुपात का एक से निकटता आय की असमान्ता प्रदर्शित करता है। जिनी कन्सेन्ट्रेसन रेसियों का अनुपात निम्न है :

जिनी कन्सन्ट्रेशन रेशियों $(L) = 1 - \sum_{j-1}^{n} P_j (Q_j + Q_{j-1})$

जबकि,

$P_j =$ j+L समूह के उत्तरदाताओं का अनुपात
$Q_j =$ j + Lसमूह में आय का जोड़ने वाला अनुपात
$Q_{j-1} = (j-1)^{+L}$ समूह में आय का जोड़ने वाला अनुपात
N = आय समूह की जोड़ संख्या

वर्ष 1993–94 की आय की गणना करते समय वर्ष 1985–86 के मूल्यों को ही आधार माना गया है।

अध्याय - तृतीय

जनपद बुलन्द शहर के एतिहासिक तथ्य

अध्याय - 3

जनपद बुलन्दशहर के एतिहासिक तथ्य

अ- सामान्य विवरण :

बुलन्दशहर का प्रारम्भिक इतिहास पौराणिक है। जब इतिहास के साथ पुराण शब्द जुड़ा हो तो वह भूगोल से विशेष रूप से सम्बद्ध हो जाता है। क्योंकि पुराना स्थान विशेष की जलवायु एवं वर्षा, नदी, नाले, जमीन की बनावट, जंगल, खेती का दृश्य, पशुपालन आदि से अछूता नहीं रहता। इतिहास से पता चलता है कि समय और स्थान विशेष की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही। जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है उसी के अनुसार आर्थिक उन्नति होती है। शांति और व्यवस्था के अभाव में किसी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। जिस देश की सामाजिक एवं आर्थिक दशा ठीक न हो वह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता इस प्रकार किसी देश के स्थान या समाज की आर्थिक सामाजिक जानकारी से पूर्व वहां का भूगोल एवं इतिहास की जानकारी आवश्यक है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बुलन्दशहर की गरीब जनता पर पड़ने वाले आर्थिक सामाजिक प्रभाव के अध्ययन से पूर्व वहां के भूगोल एवं इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दी गई। जो अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हुई।

स्थानीय भूगोल

बुलन्दशहर, मेरठ के स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो

मेरठ आगरा मण्डल में है और गंगा तथा यमुना के ऊपरी भाग में स्थित है। पश्चिम दिशा में यह यमुना नदी से घिरा है, जो कि इसे दिल्ली एवं पंजाब में गुरगांव से अलग करती है। पूर्व दिशा में गंगा नदी इस जिले को रूहेल खण्ड परिक्षेत्र के मुरादाबाद एवं बदायूं नगरों से अलग करती है। उत्तर में मेरठ जिला है तथा दक्षिण में अलीगढ़। इस जिले का सामान्य विस्तार क्षेत्र 40 किमी के करीब तथा उत्तर से दक्षिण सामान्य लम्बाई लगभग 56 कि0मी0 है। हाल के प्रतिवेदनों के आधार पर इस जिले का कुल क्षेत्रफल 492390 हेक्टर अथवा 2240 वर्ग किमी0 है। यह जिला 28'' 4 3 और 28^0 0, 4'' उत्तरी अक्षांस तथा 770'' 0, 18 और 78, 0 28'' पूर्वी अक्षांस के बीच स्थित है। इस क्षेत्र का सामान्य भूतल लगभग समान रूप से एकरूपता प्रस्तुत करता है केवल पश्चिम पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर क्रमिक ढलान लिए हुये है जो कि गंगा व यमुना के किनारों से बनी है। बुलन्दशहर, जो कि जिले के मध्य के निकट स्थित है, समुद्र तल से लगभग 217 मीटर ऊपर है तथा कलकत्ता से 1349 कि0मी0 लगभग की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ ही इस जनपद की अपनी कुछ अलग विशेषतायें है। इसका हमें कुछ आभास नदियों के अध्ययन एवं जल निष्कासन की रेखाओं से भी मिलता है, जिन पर मिट्टी का एकीकरण प्रमुख रूप से निर्भर करता है।

यमुना नदी :

यमुना नदी सबसे पहले इस जिले को स्पर्श करती है और इसके पश्चिम किनारों पर लगभग 80 कि0मी0 तक छूती रहती है अपने बहाव भाग

में यह सिकन्दराबाद तहसील के दादरी एवं दनकौर परगनों एवं खुर्जा तहसील के जेवर परगना के सीमा क्षेत्रों के साथ बहती है। इस जिले में इस नदी के बाढ़ की गति लगभग 4 1/2 फुट प्रति सेकेण्ड है और ठंडे मौसम में यह लगभग 18 इंच प्रति सेकेण्ड की दर से घटती है। किन्तु ये माप पानी के नहरों और नालियों में अधिक प्रयोग हो जाने से एक जैसा नहीं रह पाता है। सर्दी के मौसम में इसका पानी इतना स्वच्छ होता है कि यह रंग विहीन सा लगता है जब कि वर्षा में यह अत्यधिक गन्दा एवं कीचड़ युक्त हो जाता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की पर्त सी जमी रहती है। इस जिले में यमुना नदी के पानी से कोई सिचाई नहीं होती है। इस पर नौका गमन केवल लकड़ी की ढुलाई एवं थोड़ी मात्रा में अनाज एवं कपास के परिवहन तक ही सीमित है। बुलन्दशहर की तरफ नयावास तथा दिल्ली के ओखले गांवों के बीच बनाया गया बांध अस्थायी परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करता है। यह बांध आगरा नहर के शीर्ष भाग का एक हिस्सा है जिसे कि सर विलियन म्यर ने मार्च 1874 में (प्रारम्भ किया) खोला था।

सन् 1871 की बाढ़ में जब कि पानी अपनी पहले की सतह से दस फुट ऊपर उठ गया था। बांध के समान्तर ऊंचाई के बनाये गये किनारे उस बड़ी मात्रा में पानी को रोकने तथा आसपास क्षेत्रों की सुरक्षा करने में अपर्याप्त पाये गये और इसके फलस्वरूप क्षेत्र को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बाढ़ का प्रकोप 31 जुलाई से अगस्त माह के अन्त तक रहा। इस बाढ़ के दौरान 5 गांव पूर्णतया नष्ट हो गये एवं 25 गांव में से

आधे नष्ठ हो गये और 25 और गांवों में से अधिकतर भाग बह गये। खरीफ की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी किन्तु इसके बाद रवी की फसल बहुत अच्छी हुई। भविष्य में इस खतरे को टालने की दृष्टि से ही यहां सुरक्षात्मक कार्य प्रारम्भ किये गये और तब से आज तक पहले जैसी बाढ़ का प्रकोप नहीं हुआ। इसके साथ ही जब यमुना की बाढ़ अधिक विकराल नहीं होती तो निश्चय ही वह उपजाऊपन का कारण बनती है किन्तु जब बाढ़ का रूप उग्र होता है तो बाढ़ का पानी फसलों को बहा ले जाता है तथा भूमि को सूखा (संतृप्ति) बना देती है, खादर में नम मौसम में हल्की फुल्की बाढ़ का प्रकोप रहता है भूमि के सूखी होने के कारण इससे प्रर्याप्त छति पहुँचती है और भूमि का एक बड़ा भाग कृषि से वंचित रह जाता है।

खादर :

यमुना नदी से मिला हुआ निचाई पर फैला हुआ खादर का क्षेत्र है यह अपनी अलग विशेषताओं एवं चीज के कारण विस्तृत व्याख्या चाहता है। सिकन्दराबाद तहसील में दादरी और दनकौर परगनों मे स्थित खादर विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र का एक अंग है जो कि नदी से उत्तर में लगभग 1.5 कि.मी. तथा दक्षिण में लगभग 2 कि.मी. तक फैला हुआ है। अपने सबसे चौड़े बिन्दु पर खादर की माप यमुना नदी से पठार (उच्च भूमि) तक लगभग 144 कि. मी. किसी प्रागैतिहासिक युग में इस नदी के नाले या धार ने सम्पूर्ण क्षेत्र को रौदा होगा और अभी भी यह असानी से देखा जा सकता है कि किस प्रकार अनेक स्थानों में और प्रमुख रूप से लकसर और दनकौर में कठोर मिट्टी ने इसके बहाव को पश्चिम की ओर मोड़ा होगा।

जहां तक मनुष्य की याददास्त का प्रश्न है नदी अपने वर्तमान मार्ग समीकरण ही रही होगी और अभी हाल के वर्षो में इसके मार्ग का परिवर्तन महत्वहीन रहा है। निश्चय ही इसका एक कारण यह रहा है कि विभिन्न नहरों एवं सुरक्षात्मक कार्यो ने नदी के मार्ग को अपरिवर्तित बना दिया है। लगभग सम्पूर्ण खादर पुराना बसा हुआ है और यमुना नदी के किनारे केवल लहराने वाली खेती होती है और इससे कम मात्रा में उन नालों के किनारे होती है जो उस मैदान से गुजरते है। आगरा नहर का शीर्ष कार्य अपने नीचे के गांवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। किन्तु पश्चिमी किनारे पर नीचे टीलों की कई श्रेणियाँ उभर कर आई है जिसके फलस्वरूप इस धार का बहाव जिले के विपरीत दिशा में मुड़ गया है। इस और के कुछ गांवों को बहुत छति हुई है।

साधारणतया जहां तक नदी के परिवर्तन का प्रश्न है इसकी प्रवृति लगभग स्थिर है किन्तु चूंकि बाढ़ की मिट्टी वाले गांवों का मूल्यांकन केवल पांच वर्षो के लिये होता है उनके मालिकों को किसी महान क्षति का कोई खतरा नहीं है। आगे जेवर परगने में नदी पहले कठोर ऊँचे किनारे के ठीक पीछे जाती है और परगना के ऊपरी हिस्से में बहुत कम मिट्टी छोड़ती है। करीब आधी दूरी नीचे दूसरे किनारे बल्लभगढ़ नगर के पास कठोर मिट्टी का निकला हुआ हिस्सा और कंकर नदी के बहाव को यकायक पश्चिम की ओर मोड़ देते हैं जिससे कि साढ़े तीन या चार मील चौड़ा बाढ़ की मिट्टी का मैदान बन जाता है जो कि अलीगढ़ के परगने तक फैल जाता है।

खादर का यह क्षेत्र ऊपरी हिस्से से मिलता जुलता है किन्तु यह इस अर्थ में इससे कही अधिक श्रेष्ठ है कि इस क्षेत्र में लवण दल–बल और लवणीय नहीं है जो कि दादरी और दनकौर क्षेत्र में खादर की प्रमुख विशेषता हैं।

हिन्डन नदी :

ऊपरी यमुना खादर का मध्य क्षेत्र को प्रमुख नदियों द्वारा स्पर्श किया जाता है जो यमुना नदी में आकर गिरती है। इनमें से प्रमुख हिन्डन नदी है जो कि दादरी परगना में उत्तर की ओर से मेरठ से इस जनपद में प्रवेश करती है तथा वर्तमान में परगना के तह अर्थात निचले हिस्से में अपने प्रवेश बिन्दु से लगभग 21 कि.मी. सीधी रेखा में यमुना में गिरती है यह नदी ऊँचे ढाल के किनारों के बीच में बहती है किन्तु इसकी कोई अलग धारा नहीं है यह किनारों से चक्कर लगाती जाती है और निरन्तर अपनी धार को बदलती जाती है। यही कारण है कि आस पड़ोस के गांवों के लिए ऐसे घेरे या सीमा रेखा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसके सन्निकट के गांव इसके दोनों किनारों पर बसे है। कभी–कभी हिन्डन नदी एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण नदी बन जाती है किन्तु पानी की मात्रा पूर्णतया मेरठ जिले के नहर विभाग के नियंत्रण पर निर्भर करती है। किनारे से कुछ दूर पर नदी के आर–पार और पैलेस के ठीक नीचे एक बांध का निर्माण किया गया है जिससे कि यमुना नदी में पानी की दिशा को मोड़ कर आगरा नहर में गिराया गया है।

वर्षा ऋतु में जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो यह पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न बहा ले जाती है और जिस मिट्टी से होकर यह प्रवाहित होती है

इसकी विशेषताओं के कारण इसके पानी में उन तत्वों की अच्छी मात्रा पायी जाती है जो कि अपने प्रभाव में आने वाली भूमि को उर्वरा बना देती है। इसे संचय जिसे कि क्षेत्रीय भाषा में बक कहा जाता है।

कुछ वर्षों में नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके समाप्त होने का डर बना रहता है और रेह पैदा हो जाती है इससे भूमि बहुत खराब हो जाती है जब तक ताजी बाढ़ से इसे पुनः प्राप्त किया न जाय। सामान्य दशाओं में हिन्डन के किनारे के गांव बहुत धनी है। वे प्रमुख रूप से बसन्त ऋतु की फसलों पर निर्भर करते हैं।

भूरिया नदी :

भूरिया नदी भी हिन्डन नदी के लगभग 3 या 5 कि.मी. उत्तर में समकक्ष ही बहती है। किन्तु दोनों ही नदियों की धाराओं का घुमाव उन्हें बहुत ही करीब पतली धारा जिसके कारण दूसरी नदी से पानी के प्रवाह के कारण भूरिया के पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब यह जिला में प्रवेश करती है तो यद्यपि इसका स्वरूप बहुत छोटा होता है किन्तु फिर भी करीब 40 कि.मी. नीचे यमुना नदी में गिरते समय इसका आकार पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो जाता है।

साधारणतया यह नदी हिन्डन नदी से मिलती जुलती है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी का संचय लिये हुये होती है। किन्तु छोटी मात्रा के कारा यह कोई बड़ा फल नहीं दे पाती है क्योंकि केवल नदी के किनारे एक पतली सी पट्टी की ही भूमि अच्छी है।

समग्र रूप से खादर पर विचार करते हुये हम पाते है कि यमुना नदी के किनारे या पड़ोस की भूमि निम्न श्रेणी की है। यहां की मिट्टी में बालू का अधिक मिश्रण है और वह अच्छी फसल नहीं पैदा करती है। भूमि के दूसरे और अच्छे टुकड़े जो कि खादर के मध्य भाग की और विस्तारित है और सामान्यतया उसमें बालू की एक पर्त सी है जिससे सतह की नमी और भी जल्दी समाप्त हो जाती है। यहां पर कुछ भाग ऐसे भी है जिसमें बाढ़ के बहाव की अच्छी मिट्टी है जिसमे पर्याप्त उपजाऊपन है। वैसे समग्र रूप से कुछ अपवादों को छोड़कर जिनका कि हिन्डन और भूरिया के ऊपर उल्लेख किया गया है, खादर एक निम्न् श्रेणी का भू–क्षेत्र है जिसके नदी के किनारे सामाजिक और घास के बड़े क्षेत्र हैं तथा अन्दर के क्षेत्र में खजूर एवं ताड़ की विस्तृत उपज है। भूरिया तथा ऊपरी क्षेत्र के बीच की भूमि बहुत खराब है। ढ़लान के पास की भूमि प्रायः निचली भूमि है चूंकि नमी ऊपरी सतह के निकट है, इसलिए भूमि रेह से ढक जाती है जिस पर खेती करना असम्भव सा है। और रेह आग के अंश ज्यादा होने से उसमें घास का उगना भी असम्भव है। जो थोड़ी बहुत खेती होती भी है वह वर्णन योग्य नहीं तथा यहां के निवासी कृषि के अलावा अन्य साधनों से जीविका निर्वाह करते है।

उच्च पठारी भूमि क्षेत्रः

यमुना नदी के सादर से परे जिले का पठारी क्षेत्र है जो कि पूर्व दिशा में गंगा के खादर तक विस्तृत है जिसमें चौड़े एवं समतल मैदान है जो कि जल निष्कादन की रेखाओं से भंग होते है निचले क्षेत्र से पठारी क्षेत्र

की ओर उठाव बहुत कम है। दादरी परगना के उत्तर में शीर्ष से बाढ़ की मिट्टी के मैदान तक क्रमशः लगभग 0.8 कि.मी. की ढलान है और दनकौर के दक्षिण में भी ढलान बहुत क्रमिक है। अन्य क्षेत्रों में यह ढलान अधिक है, जिसमें कहीं-कहीं पर नियमित अच्छी तरह 7/6 स्पष्ट ढालू दरार है जैसा कि जेवर परगने के बल्लभगढ़ नगर में स्थित है किन्तु नियमित रूप से ढलान पर हर जगह खेती होती है और कभी-कभी तो इसकी खेती ऊपर या नीचे क्षेत्र में होने वाली खेती से कहीं अच्छी है। इसका प्रभाव के कारण यह है कि यह चोटी के पास के कुओं से सींचे जा सकते हैं। जो कि ढलान के कारण एक विस्तृत क्षेत्र समेटे हैं। टीले के चोटी के साथ-साथ बलुई भूमि की एक पट्टी है जो कहीं-कहीं पहर पहाड़ी दर्रे या घाटी के कारण अलग हो जाती है। इसकी चौड़ाई अलग-अलग है। जो कि उत्तर में सबसे चौड़ी है जहां कि प्रमुख मिट्टी पीली बालू है जिसे क्षेत्र में पिलाटा के नाम से जानते है। यहां दक्षिण में सकरी हो जाती है जहां कि केन्द्रीय क्षेत्र की दुमट उपजाऊ मिट्टी चोटी तक फैली है। इसके बीच की पट्टी सफेद बुलई मिट्टी की है।

पटवाहा बाहू :

दर्रे या घाटी के सबसे ऊँचे बिन्दु से भूमि क्रमशः अन्दर की ओर ढाल होती जाति है जो कि मोरे आकार की जल निष्कासन रेखा की तरह है जिसे पटवई अथवा पटवाहा बाहू के नाम से पुकारते है।

यह आकार मेरठ के हसन पुर की ओर से प्रारम्भ होता है और दक्षिण

दिशा में दादरी, दनकौर ज्वार और अलीगढ़ तक बढ़ता है।

बलुई घाटी :

इस नदी या धार के पूर्व में भूमि पुनः धीरे–धीरे ढलान लेती है, जो कि उठी हुई बलुई भूमि के ढेर में समाप्त होती है। जो कि दादरी परगना के शादीपुर गांव से देखी जा सकती है, तथा यह जेवर के सुदूर दक्षिण बिन्दु से यह अलीगढ़ तक फैली है। इसकी रेखा को मानचित्र पर गंग नहर के माढ ब्रान्च द्वारा दर्शाया गया है जो कि इसकी घाटी को सम्पूर्ण लम्बाई में स्पर्श करती अथवा घेरे हुये है।

दस्तूरा गांव के निकट जहां सिकन्दराबाद खुर्जा एवं दानकौर परगने मिलते है यह पट्टी अथवा श्रेणी चौड़ी होती है और विभाजित होती जाती है इसकी एक चढ़ाई या चोटी परगना खुर्जा के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ती है और जो कि उसी नाम के कस्बे से कालीनदी जो कि उसी चोटी की शाखा है जो कि खुर्जा से दक्षिण पूर्व की ओर ग्रेन्ड ट्रक रोड के बराबर या साथ–साथ बढ़ती है।

बालू की प्रमुख श्रेणी के किनारे जेवर परगने पूर्वी दिशा के किनारे दक्षिण दिशा लिये हुये है। इन दो शाखाओं के बीच बलुई एवं ऊँची–नीची भूमि के टुकड़े पाये जाते हैं जो कि कहीं कहीं पर कुछ गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोनों ओर की भूमि दर्रे और ढीलों भूटानों से एकाएक नीची होती जाती है और ये मैदान इस जिले की विशेषता है। नीचे के क्षेत्र का बलुई किनारा चौड़ा होता जाता है किन्तु अधिक स्पष्ट नहीं होता।

इसकी मिट्टी में बालू की बड़ी मात्रा पायी जाती है जो कि प्रत्येक जगह कमजोर फसल के द्वारा स्पष्ट होती है किन्तु यह उतार–चढ़ाव एकाएक नहीं होती और मिट्टी की प्रवर्ति पूर्ववत है।

मध्य या केन्द्रीय मैदान :

इस बलुई टीले और चढ़ाई नहर के पार एक अन्य दुमट एंव काली मिट्टी का मैदान है जो कि जिले के बीच से बालू के दर्रे तक विस्तृत है और गंगा नदी के ऊपर दर्रे या घाटी का निर्माण करता है। इस मध्य क्षेत्र में सतह स्पष्ट रूप से बलुई टीले जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है के द्वारा भंग होता है और यह टीला पूर्व दिशा में परगना खुर्जा तक फैला है। इस मैदान में तीन धार बहती है जिसमें से केवल एक को ही नदी कहा जा सकता है और वह है काली नदी। जो कि जिले को बराबर भागों में विभाजित करती है।

काली नदी :

कारवान के पूर्व दिशा में मुख्य गंग नहर तक भूमि सामान्यतया स्पष्ट समतल है और मिट्टी अच्छी किस्म की है इसी में काली नदी जो कि गुलावती के समीप मेरठ सड़क के पास जिले में प्रवेश करती है तथा दक्षिणी दिशा में बहती हुई बुलन्दशहर पहुंची है और तब बरन परगना को पार करके दक्षिण–पूर्वी मार्ग को अपनाती है तथा पहासू और डिवाई के मिलन बिन्दु अर्थात संगम पर अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यह एक स्पष्ट घाटी में बहती है जिसकी सामान्य चौड़ाई लगभग आधा मील है तथा नदी

की सतह से कभी एक ओर कभी दूसरे किनारे की ओर घूमती है। यह खादर आसपास के क्षेत्र की सतह से नीचे दबा हुआ है तथा भारी वर्षा के बाद यह प्रायः जल मग्न हो जाता है।

छोहिया :

काली नदी एवं गंगा के बीच एक अन्य धार भी है जो कि छोहिया के नाम से प्रचलित है। यह सिंयाना परगने में छिटसौना के पास विभिन्न झीलों के रूप में प्रकट होती है और धार के रूप में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अलीगढ़ की अतरौली तहसील में प्रवेश के पूर्व एक नदी का रूप ले लेती है। छोहिया के पास की मिट्टी बड़ी दुमट है जो कि हमें जिले के मध्य क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद कम अच्छी किस्म के ऊंची पूर्वी किनारे पर समाप्त होती है।

गंगा नदी :

गंगा नदी बुलन्दशहर के परगना स्याना तथा अनूपशहर तहसील के अहार और डीवी के साथ बहती है। नदी का तल मोटी बालू से बना है जोकि पानी के निम्न स्तर से लगभग 30 फुट की गहराई लिये हुये है। मिट्टी की इस पर्त के नीचे काली मिट्टी एवं कंकड़ों की लगभग 12 फुट गहरी पर्त है और उसके नीचे पुनः करीब 18 फुट भूरी मिट्टी है। इसका पानी इतना अच्छा है कि मिट्टी की पर्त के बावजूद भी वहां के लोग कुंये के जल की अपेक्षा इसे पीना पसन्द करते हैं। सर्दी के मौसम में इसका पानी बहुत स्वच्छ होता है तथा पानी का रंग लालिमा लिये हुये भूरे रंग का

हो जाता है। गंगा पर वर्ष भर नौकायन होता रहता है, केवल फरवरी और मार्च के महीनों में कुछ स्थानों पर यह अत्यन्त छिछली या कम गहरी हो जाती है

गंगा का खादर :

नियमित गंगा का खादर कठोर काली मिट्टी के दर्रे के किनारे एक संकरा किनारा है, और अपनी सम्पूर्ण लम्बाई में कोई कृषि नहीं होती है केवल उतार चढ़ाव वाली कृषि ही होती है। गंगा के द्वारा एकत्र की गई मिट्टी का ढेर यमुना नदी की बालू से कहीं उच्च कोटि का है और जहां कहीं भी परिस्थितियां अनुकूल हैं यह अच्छी फसल देती हैं। इन दोनों स्थानों पर कंकड़ एवं काली मिट्टी का किनारा नदी के तलहटी के गांवों की रक्षा करता है।

जंगल :

जिले के जंगल में कृषि योग्य बहुत ही कम भूमि पायी जाती है। किसी समय ढाक से ढके गहन अर्थात घने जंगल प्रत्येक भाग में कृषि योग्य पर्याप्त क्षेत्र थे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र परगना सियाना और इसके पड़ोस के अगौता के गांवों में थे जो कि अहार और बरन तक विस्तृत थे और यह क्षेत्र अनूपशहर के पश्चिमी कोने से शिकारपुर तक फैले थे। अन्यत्र इसका अस्तित्व केवल बिखरे हुये टुकड़ों तक ही सीमित था जहां कृषि का कोई भी प्रयास कठिनाई से मूल्य अदा करता था। इन जंगलों की लकड़ी को कुंये के बेलन तथा कोयला बनाने में प्रयोग की जाती है। लगभग सम्पूर्ण

जिले में कम ही लकड़ी मिलती है।

पश्चिमी एवं मध्य भागों की मिट्टी आम की पैदावार के लिये प्राकृतिक रूप से अनुकूल नहीं है और बहुत से भागों या रियासतों में मालिकों ने उत्साहवश वृक्षारोपड़ को बनाये रखा है पूर्वी परगना जहां की मिट्टी अधिक अनुकूल है अन्य स्थानों की भांति यहां भी सड़क के किनारे के हिस्से की प्रगति के बारे में विस्तार एवं तीव्र प्रयासों एवं योजनायें चल रही है किन्तु कुछ भूस्वामियों द्वारा इस संदर्भ में उदासीनता दिखलाई पड़ती है।

पशु व्याधि या बीमारी :

दुर्भाग्य से इस जिलें में पशुओं में बीमारी का अधिक प्रकोप है। यहां पशुओं में फैलने वाली प्रमुख बीमारियों पैर औरा मुंह पका रोग है। वैसे इन रोगों से सम्बन्धित आकड़े प्रायः अविश्वसनीय है।

जलवायु एवं वर्षा :

बुलन्दशहर की जलवायु बहुत ही असमान प्रकृति की है। जाड़े के दिनों में जब कि थर्मामीटर करीब पानी जमने के बिन्दु तक पहुंच जाता है बहुत अधिक सर्दी होती है। बसन्तु ऋतु के बाद के समय तथा गर्मी के प्रारम्भ के समय जलवायु बहुत ही शुष्क एवं गर्म हो जाती है। इस जिलें में ऋतु विज्ञान के द्वारा कोई अध्ययन नहीं किये जाते जब कि वर्षा की मात्रा के सम्बन्ध में चार तहसीलों से सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयों में बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, खुर्जा एवं अनूपशहर में सूचना रखी जाती है।

प्रमुख रूप से बरसात जून के अन्त से अक्टूबर के बीच तक होती है और बाकी की वर्षा बाद के महीनों में छिटपुट रूप से होती है। इस जिले में जुलाई, अगस्त, सितम्बर सबसे नम महीनें होते हैं और नवम्बर, अप्रैल एवं दिसम्बर सबसे शुष्क।

क्षेत्रीय आधार पर भी वर्षा में पर्याप्त विषमता पायी जाती है जिले के कुछ हिस्से अधिक शुष्क रहते है।

कृषि :

जैसा कि पहले ही वर्णित है कि बुलन्दशहर जिले की उपलब्ध कृषि भूमि पर खूब कृषि होती है तथा आगे के वर्षो में कृषि के विस्तार की कोई आश नहीं की जाती है कृषक अब भी अधिक भूमि को अपने स्वामित्व में लाना चाहते है। जनसंख्या में अध्यधिक गति से बृद्धि ने खेती में विभाजन हुआ है और इसकी सहायता की एक मात्र आशा खेती के स्तर के विकास से निर्मित है।

रेलवे :

इस जिले में सन्देश वाहन के साधनों में सबसे प्रमुख रेलगाड़ी का है। इनमें से कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली प्रमुख लाइन उत्तर रेलवे है यह इस जिले के पश्चिमी आधे भाग में चलती है तथा खुर्जा के दक्षिणी परगने में प्रवेश करती है और खुर्जा, सिकन्दराबाद और दादरी को पार करती हुई सिकन्दराबाद, दादरी के उत्तरी सीमा पर जिले को छोड़ती है। गाजियाबाद जंक्शन से कुछ मील दूर बुलन्दशहर जिले में पांच प्रमुख रेलवे

स्टेशन है जिनके नाम दावर, खुर्जा, चोला, दनकौर है। खुर्जा का रेलवे स्टेशन अपने नाम के कस्बे से 6 कि0मी0 दूर दक्षिण–पश्चिम में स्थित है चोला स्टेशन जो कि बुलन्दशहर जाने वाली रेलवे लाइन के सबसे निकट है, चोला गांव से 4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा दनकोर का रेलवे स्टेशन सिकन्दराबाद दनकोर जाने वाली सड़क पर स्थित है जो कि तहसील के प्रमुख कार्यालय से दक्षिण–पश्चिम में लगभग 6 कि0मी0 है।

ग्रण्ड ट्रंक रोड :

इस जिले की प्रमुख सड़क जी.टी. रोड है जो कलकत्ते से पेशवर तक है यह सड़क इस जिले में परगना खुर्जा के सुदूर दक्षिण से इलाहाबाद की ओर से 520 कि0मी0 व पर इस जिले में प्रवेश करती है। इस बिन्दु से यह सड़क खुर्जा के उत्तरी पश्चिमी दिशा के अरनिया को पार करती है जो कि डावर स्टेशन से 3 कि0मी0 की दूरी पर है। इलाहाबाद से यह सड़क अपने 539 वे कि0मी0 पर खुर्जा पहुंचती है और इस शहर के पूर्व से निकलती हुई वलीपुरा तक ऊपरी गंगा नहर के समान्तर चलती है जहां पर ये 55 वे कि0मी0 पर नहर को पार करती है तथा बुलन्दशहर के उत्तर–पश्चिम में 3 कि0मी0 की दूरी पर भूड़ को जाती है। सिकन्दराबाद एवं खुर्जा के बीच सीधी सड़क प्रायः विचार का विषय रहा है और यह सम्भव है कि कुछ वर्षो में जिला परिषद के द्वारा यह कार्य सम्पन्न हो जाय।

पक्की सड़कें :

पक्की सड़कों का सुधार कार्य जिले के सर्वेक्षणकर्ता द्वारा किया जाता

है और अन्य सड़कों की मरम्मत अन्य ठेकेदारों द्वारा की जाती है जो कि जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर के अधीन होते हैं। अन्य स्थानीय सड़कों में सबसे प्रमुख सड़क वह है जो कि भूड होती हुई हापुण और मेरठ जाती है। इस जिले में इन सड़क की लम्बाई 24 कि0मी0 है तथा ताजपुर और गुलाबी होती हुई, गुलावटी के निकट ही मेरठ जिले में प्रवेश करती है।

बुलन्दशहर से एक पक्की सड़क पूर्व में अनूपशहर जाती है जिसकी कुल लम्बाई 40 कि0मी0 है यह सड़क बहुत महत्व की है किन्तु अधिक मात्रा में यातायात जो कि इसी सड़क पर से गुजरता था अब नये और अधिक तीव्र मार्गों की ओर मोड़ दिया गया है।

जहांगीराबाद के निकट जरवई में एक छोटा सा निरीक्षण भवन है जो कि अनूपशहर एवं बुलन्दशहर के मध्य है अन्य पक्की सड़क वह है जो कि अलीगढ़ से अनूपशहर जाती है। जिसकी इस जिले में लम्बाई 40 कि0मी0 है। यह सड़क ठीक दक्षिण पहासू से इस जिले में प्रवेश करती है और छतारी के निकट से होती हुई यह उत्तर–पश्चिम में दानपुर के मध्य से गुजरती है तथा मखौना के निकट अनूपशहर नहर को पार करती हुईं दक्षिण से अनूपशहर में प्रवेश करती है। अनूपशहर एवं दानपुर में शिविर प्रांगण है। इस सड़क से एक अन्य सड़क पक्की सड़क निकली है जो कि भीमपुर से दानपुर के 3 कि0मी0 उत्तर कसैरकलां, डिबई रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ती है जो कि बुलन्दशहर से रामघाट की पक्की सड़क का हिस्सा है आगे यह सड़क नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र तक जाती हैं तथा वहां से गंगा पुल द्वारा बदायूं जिलें में प्रवेश करती है।

इतिहास के प्रमुख अवसर

जनपद बुलन्दशहर के ऐतिहासिक तथ्य पौराणिक इतिहास :

प्रारम्भिक इतिहास पौराणिक है। बुलन्दशहर का पौराणिक गाथा के अनुसार पाण्डवों के राज्य का एक भाग था, पाण्डवों की राजधानी हस्तिनापुर से दूर नहीं था तथा हस्तिनापुर के वह जाने के पश्चात अहार पाण्डवों का प्रमुख नगर था। एक अन्य पौराणिक गाथा के अनुसार अहार जो कि एक प्राचीन स्थान है, नगर ब्राहम्णों का निवास स्थान था जिन्होंने कि जन्मेजय को महान शाका (संस्कार) करने में सहायता की थी। बुलन्दशहर को अभी भी इसके पुराने नाम बरान से जाना जाता है जो कि उस परगने का भी नाम है जिसमें यह स्थित है। बुलन्दशहर का साधारण अर्थ होता है। "ऊँचा नगर" और प्रत्यक्ष रूप से यह नाम बरान को दिया गया है क्योंकि यह कालि नदी के ऊँचे लटों किनारें पर स्थित है इस कालि नदी का ही अब बिगड़ा हुआ नाम काली नदी है। बरान नाम देने के पहले, यह प्रचलित था कि किले का निर्माण तोमर राजा अथवा एक पाण्डव राजा के द्वारा करवाया गया था जिनका नाम परमाल था। इस किले के निर्माण का उद्दृश्य नग को जिसका कि नाम बनहाती अथवा जंगली आवरण था। बरान नाम तोमर राजा अहिबरन के नाम से लिया गया है किन्तु यह प्रमाणित नहीं है।

पश्चिमी राज्यपाल :

प्राप्त सिक्कों से यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि यह जिला मूत्रा के राज्यपालों के सीमा क्षेत्र का एक भाग था। शिला लेखों से प्राप्त

सूचना (तत्यों) के आधार पर ये ईसा से दो शताब्दी पूर्व हूये। इनमें से एक जिनका उल्लेख सिक्कों पर किया गया है, बरनामें कहा गया जिन्हें कनिघम के द्वारा बरान का बताया गया है जो बुलन्दशहर का प्राचीन नाम था किन्तु यह व्याख्या सार्वभौतिक रूप से स्वीकार नहीं की गयी है।

इन्दौर जस्ते की प्लेट :

जो कि इन्दौर नामक हीला जो कि अनूपशहर से लगभग 131 कि0मी0 दक्षिण–पश्चिम में है, पाया गया था। यह सूर्य मन्दिर में एक गौर ब्राहम्ण जो कि इन्द्रपुरा का निवासी था के द्वारा रख रखाव किया गया था। यह इन्द्रपुरा ही इन्दौर के नाम से जाना जा सकता है। इस अभि सूचना का महत्व इसलिये है क्योकि यह ब्राहम्णों के गौर श्रेणी को बताता है और अभी भी यहां पर्याप्त संख्या में है, यह गुप्त काल के 146 वें वर्ष में थे जो कि ईसा की मृत्यु के 465 वर्ष बाद के बराबर है। इस समय स्कन्दगुप्त का शासन था। गुप्त राजा बौद्ध नहीं बल्कि हिन्दु थे किन्तु कुछ बौद्ध खण्डरों, जिसमें कुछ मूर्ति बनाने की काली मिट्टी मोहरें और एक अंकित मूर्ति भी सम्मिलित है। इस मूर्ति पर लेख पांचवी से नवीं शताब्दी का माना जाता है, ये चीजें भी बुलन्दशहर में मिली हैं।

मानपुर प्लेट :

1867 में अगौता परगने में मानपुर में एक जस्ते की प्लेट खुदाई में प्राप्त हुई है। मानपुर बुलन्दशहर से उत्तर में 13 कि0मी0 दूर है। इसमें गाण्डव नाम के एक गांव का उल्लेख है जो कि गौर ब्राहम्ण से सम्बन्धित

नहीं बताया गया है। इस प्लेट पर लिखी इबारत (लेख) का वर्णन किया गया एवं बंगाल की एशिमाटिक सोसाइटी के तथा पृष्ट 2 पर इसका अनुवाद प्रकाशित किया गया है। 1018 ई0 बाद गजनी के महमूद ने भारत पर अपने ग्यारहवें आक्रमण में दिसम्बर मास में यमुना नदी को पार किया तथा एक किले पर पहुँचा जिसका कि नाम बारमा, बाखा, बारटूर और बारना बताया जाता है जो कि वास्तव में बरान ही है। इस स्थान का राजा हरदत्त था जो कि दी गयी सूची का सातवां शासक था और जिसका नाम अभी भी बलाई कर अथवा बुलन्दशहर के ऊपरी किले के निर्माता के रूप में किया जाता है।

म्योज

इसके बाद एक अन्य विवरण के अनुसार म्योज अथवा जिन्हें आज दिन तक मेवा मेवाती नाम से जाना जाता है इसने बड़ी संख्या में इस जिले में प्रवेश किया और दक्षिणी किनारों पर बस गये। बारगुजारों का नेता प्रताप सिंह था जिसने म्योज का सफाया किया तथा एक लम्बे संघर्ष के पश्चात उसने उन्हें पहारू डिबाई और अनूपशहर से मार भगाया। इस परिवार का पहला केन्द्रीय निवास चौन्धरा था जिसमें उसने अन्य गांवों को विवाह, क्रय एवं हिंसा के द्वारा एक–एक कर बढ़ाया।

मुस्लिम आक्रमण

पूरे जिले में डोर अभी भी नाम के नेता थे और मुसलमानों के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन तक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के अधिकारी रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ई0 बाद शहबुद्दीन की ओर से मेरठ और

बरान को जीता तथा अपने रात्यपाल नियुक्ति किये।

मुसलमानों के आक्रमण से डोरों के प्रभाव में तीव्रता में कमी आयी। पहले वे पृथ्वीराज के सम्पर्क में आये थे जिसने बारगुजरों को उन्हें समाप्त करने के लिए लगाया था वे अब जिले में समाप्त प्रायः है। उनका अस्तित्व अब केवल डिबाई नामक गांव के एक छोटे क्षेत्र में ही रह गया है। इसी समय गुजर लोग पंजाब के गुजराल क्षेत्र से आये। वैसे इस सन्दर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी तथ्य नहीं है। चौदहवीं शताब्दी में राजपूत जनजाति का आगमन एक प्रमुख बात थी। कीर्ति सिंह के नेतृत्व में भाले सुल्तानों ने जिले के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया तथा परगना खुर्जा में जिन गांवों पर मेयों का आधिपत्य था उन्हें निकाल भगाया।

पुनः मुसलमान इतिहासकारों की ओर ध्यान देने पर हमें तबाकर्तानसों में मिलता है कि एक समय अल्तमश बरान का राज्यपाल था जिले के कुछ अन्य स्थानों का जिसका उल्लेख हमें मिलता है, उनमें निम्न वर्णन किया जा सकता है।

प्रारम्भिक सुल्तान :

बलान के शासन काल में बरान का खेती क्षेत्र अधिक तुजाकी के द्वारा अधिकार में किया गया जिसने काकबाद को नाराज कर दिया तथा उसी के बाद उससे छुटकारा पा लिया गया था। ईसा बाद 1295 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलाउद्दीन फीरोजशाह के कर्रा में हत्या के पश्चात बरान को प्रस्थान किया जो कि कुछ समय तक उसका केन्द्रीय

कार्यालय रहा। 1296 में जियाउद्दीन बारनी के पिता मुयुदि मलिक बरान के ख्वाजा और अपनी नियुक्ति के लिये पिछले वर्ष की सभा में उसके द्वारा अलाउद्दीन को दी गई सहायता के लिये ऋणी थे।

मुहम्मद बिन तुगलक :

इस जिले के बारे में हमें पुनः उस समय सुनने में आता है जब मुहम्मद बिन तुगलक का राज्य था जो कि 1324 में गद्दी पर बैठा। जिले के अमील ने भी इसके हाथों कष्ट उठाया और उनमें से उनेक को तो मौत के घात उतार दिया गया। इनमें से प्रमुख बरान के बरनबाल थे जिन्होंने कि देश की ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी के कारण अपने लगान देने में असमर्थ घोषित कर दिया था। इस गरीबी का कारण एक ओर शासक की ज्यादती तथा दूसरी ओर 1344 का भीषण अकाल था।

फिरोजशाह :

इस शासक का शासन उतना ही नम्र था जितना इसके पूर्वजों का कठोर था इसके शासन काल में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या की बृद्धि को आश्चर्य से देखते है। यह तथ्य इस बात का सबूत है कि यह जिला पुनः खुशहाल था। उसने खुर्जा में फिरोजगंज में अपना एक मकबरा भी बनवा कर छोड़ा। फिरोजशाह की मृत्यु के दस वर्ष पश्चात 1398 में तौमूर के आक्रमण ने इस काल की खुशहाली को समाप्त कर दिया।

मुगल :

बरान की ओर से विभिन्न लुटेरों के दल को भेजा गया जहां के

इकबाल खान व अन्य ने संरक्षण की गुहार लगायी थी। 1399 में विभिन्न मुगलों की विदाई के समय फीरोज के प्रपील तथा फतेहखान के पुत्र नसरतशाह ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया तथा साहबखान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को बरान पर इकबाल पर आक्रमण के लिये भेजा। साहबखान हिन्दू जमीनदारों के घात लगा कर किये गये आक्रमण में अपने साथियों सहित मारा गया और इकबाल ने दिल्ली तक युद्ध किया।

अकबर :

अकबर के आने के पूर्व तक हमें न तो इस जिले की माली हालत और न ही प्रशासन की कोई स्पष्ट मूलक मिलती है। परगनों की व्यवस्था जैसा कि आइने अकबरी में दिया है। उस समय बुलन्दशहर का कोई नियमित एवं स्पष्ट जिला नहीं था बरान जो कि मात्र एक बड़े परगने का लाभ था दिल्ली की सरकार के अधीन था जबकि दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्से क्वाइन के आधीन थे।

बारगूजरों का अन्युदय :

जहागीर के शासन काल में अनूपशहर परगने का निर्माण राजा अनीराय को पारितोषिक देने के उद्देश्य से किया गया था। जिसने कि एक चीते के शिकार में अपनी जान खतरे में डाल कर शाहशांह की जान बचाई थी।

स्थानीय सेनापति

अपने परिश्रम एवं बल के आधार पर दादरी के गूजर सेनापति

दरगाही सिंह व कुचेसर के जाट रामधन सिंह उत्तरदायी पूर्व अधिकारी बन गये तथा जिले के प्रशासन में उन्हें नियमित स्थान मिल गया तथा उन्हें उच्च नाम एवं विशाल क्षेत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्हें आगाह किया गया कि उन्हें न केवल बुरे कर्म करने वालों से लाभ लेना था बल्कि उन्हें अपनी रियासत में व्यवस्था भी स्थापित करना था।

दरगाही सिंह वास्तव में लुटेरों के झुण्ड के नेता के अलावा और कुछ नही था करहरों के भट्टी गूजरों का वह प्रधान था। जिसने दिल्ली के पास यमुना के यात्रियों के लिए इस तरह खतरा पैदा कर दिया था। तजीबुद्दीन ने इस प्रकार की स्थिति को समाप्त करने के लिये एक बुद्धिमतापूर्ण योजना बनाई जिसके अनुसार दरगाही सिंह को एक विस्तृत क्षेत्र दे दिया जाय तथा इसके साथ ही उसे चारमार" की पदवी भी प्रदान की गई जिसके साथ उसका यह दायित्व बन गया कि वह दिल्ली एवं कोल के बीच के मार्ग को साफ रखे। कालान्तर में दरगाही सिंह के अधीन 135 गांव थे जो कि बाद में दादरी नाम का परगना बन गया। बाद में साहब आलम से उसने राव की पदवी प्राप्त की तथा इन गांवों से रू0 29000 की माल प्राप्त की यह व्यवस्था मराठा सरकार द्वारा तथा बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा सम्मानित की गई।

रोहिल

नजीबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका बेय जवीनाखान उसका उत्तराधिकारी बना जो कि मराठों द्वारा शीघ्र ही अपनी जागीर से वंचित कर

दिया गया शाहीसेना का सेनापति सजाफखान था जो कि महादास के द्वारा जवीना खान को निकालने के लिये लगाया गया था किन्तु कुछ समय बाद ही वह अपने मालिकों से लड़ पड़ा और उन्हें दोआब से बहार निकाल दिया इस पर जवीनाखान झिन्द और पटियाला से सिखों को लाया जिससे व उसकी सहायता कर सके एवं नजाफखान से अपना बदला ले सके। युद्ध के इस निरन्तर दौर ने निरन्तर इस जिले पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला। सम्पत्ति की सुरक्षा पूर्णतया समाप्त हो गई तथा सेना में भर्ती होना जीविका कमाने का सबसे सुरक्षित साधन बन गया। अनिश्चितता की भावना के कारण कृषि कार्य उपेक्षित हो गया जिसके फलस्वरूप कमी का प्रसार हुआ। 1795 में चालीसा अकाल ने पूरे क्षेत्र को वीरान कर दिया तथा जवीता खान के बेटे गुलाम कादिर के अक्सर धावों से सुधार की स्थिति को और भी धीमा कर दिया।

महाराष्ठक

इस सम्पूर्ण युग में बुलन्दशहर कोल क़ा मुहताज रहा और उसका अपना कोई अलग इतिहास नहीं था। महाराष्ट की श्रेष्ठता के दौरान इसका शासन कोल से होता था तथा 1789 से अंग्रेजों के शासनारूढ़ होने तक सिन्धिया के प्रशासन में रहा। उनका जनरल डीबानगे 20,000 सैनिकों एवं 200 तोपों के साथ अलीगढ़ में पड़ाव डाले था। इन सेना के रखरखाव के लिये उसे एक जागीर दी गई जो पहले नजाबुदौला के पास थी। 1796 होने पर जनरल पैरान ने कार्य भाल सम्भाला और उसने लगान की दृष्टि से

सम्पूर्ण क्षेत्र का बड़ी ही कुशलता से प्रबन्ध किया किन्तु उसके समय में न्याय की सबसे खराब व्यवस्था रही। न तो न्याय की प्रक्रिया का कोई निश्चित स्वरूप था और ना ही हिन्दू और मुसलिम कानूनों के मिश्रित रूप से लागू किया गया।

अंग्रेजी विजय

अंग्रेजों के हाथों में आने वाला पहला परगना अनूपशहर था जो कि 1801 में रादाबाद जिसका कि यह भाग था सबाब वजीर के द्वारा अर्पित किया गया। शेष भाग 1803 में अलीगढ़ के युद्ध में लार्ड के हाथों में आ गया। अंग्रेजी सेना व दिल्ली की महाराठा सेनाओं में होने वाले द्वितीय युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की पूर्ण विजय हो गई।

मालागढ़ के माधोराव

विजय के तुरन्त पश्चात मालागढ़ के महाराठा जागीरदार माधौराव के द्वारा कुछ परेशानी पैदा की गई। डिबाई और अलीगढ़ के बीच देश में व्यवस्था का कार्य कर्नल जेम्स स्किनर को सोंपा गया, कर्नल स्किनर सिकन्दराबाद में 1200 घुड़सवारों के साथ पड़ाव डाले हुये था। कर्नल जेम्स ने इंकार कर दिया और माधेराव ने 500 घुड़सवारी, 800 पैदल सैनिकों एवं दो जोपों का साथ मालागढ़ से कूच कर दिया। दोंनों का सामना सिकन्दराबाद के पड़ोस में हुआ तथा माधौराव घमासान शुद्ध के पश्चात जेम्स स्किनर के हाथों पराजित हुये जिसमें जेम्स स्किनर के 2500 घुड़सवार हताहत हुये अथवा घायल हुये जबकि माधोराव की पैदल सेना लगभग समाप्त हो गई।

उन दिनों प्रमुख जयनि सम्पत्ति दादरी के गुजरों नेता राव अजीत सिंह, कचेसर के राव रामध सिंह तथा पीतनपुर के लखानी सेनापति डुन्डेखान की थी।

डुन्डेखान

1805 में नाहर अलीखान का वुर्कपुर का किला ले लिया गया तथा डुन्डेखान को इस शर्त पर क्षमा किया गया कि अपनी तोपों को छोड़ दें किले की खाई को भर दे और अपनी सेना भंग कर दे। उसके बेटे रन्तमस्त खान को उसकी पैत्क सम्पत्ति दे दी गई किन्तु जिस नम्ता से उसके साथ व्यवहार किया गया उसके बावजूद उसने असन्तोस प्रकट किया। 1806 में डुन्डेखान अपने घर वापस आया और अलीगढ़ के पड़ोसी जमींदारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अगले वर्ष अगस्त में न्यायाधीश ने सूचित किया कि डुन्डेखान और उसके बेटे ने कमाना और गनौरा के उनके किलों पर तोपें साधी थीं। डुन्डेखान के दमन के पश्चात किसी भी अन्य जमींदार ने कोई विरोध नहीं किया किन्तु पश्चिम के गूजरों ने कई वर्षों तक परेशानी पैदा की। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1824 में बुलन्दशहर जिले का गठन था किन्तु उन दिनों से गदर के दिन तक 1837 के अकाल को छोड़ कर कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है।

गदर

1857 के गदर के प्रारम्भ में होने के समय बुलन्दशहर जिला मिस्टर बैण्ड सटर्नबुल मेलकले तथा ए0 लायन जो कि बाद में इन प्रान्तों का

गवर्नर जनरल बना) के अधिकार में था। यह विवरण मिस्टर सप्ते की आधिकारिक रिपोर्ट से लिखा गया है। जो कि व्यवस्था बहाली के तुरन्त बाद लिखी गई थी।

सावधानी के उपाय

मिस्टर सप्ते ने तुरन्त मुख्य जमीदारों को बुलाया और उनसे व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना की सहायता देने को कहा उनके आदेश का कुचेसर के रख गुलाब सिंह, घतौरी के मुहम्मद अलीखान, पहासू के मुरादअली खान, खानपुर के अब्दुल लतीफ खान और सीमापुर के लक्ष्मणसिंह द्वारा तुरन्त पालन किया गया। सेहरा व जैदपुर के जाटों को स्थायी सेवा इस शर्त पर प्रदान की गई कि वे एक निश्चित समय में घुड़सवारों की एक फौज की व्यवस्था करेंगे। जिस समय मिस्टर सप्ते के मातहतों ने दादरी एवं सिकन्दरा की ओर अभियान शुरू किये, तो क्रोधित गूजरों ने दिल्ली और मेरठ की घटना के बारे में सुनकर सभी दिशाओं में लूटपाट शुरू कर दी थी।

बुलन्दशहर पर आक्रमण

21 मई की प्रातः अलीगढ़ से सेना की बगावत तथा अंग्रेजों की आगरा को रवानगी का संदेश आया 21 मई की शाम को इस दल को सूचना मिली कि गूजर उन पर हमला करने का इरादा रखते हैं तथा उनके दिल्ली के मार्ग पर बागियों के आगमन का भी समाचार मिला। लगभग 90 घुड़सवार इस समय छठी एवं चौवालिसिवीं पैदल दस्ते के संरक्षण में

बुलन्दशहर से होता हुआ मेरठ जा रहा था किन्तु जनरल हर्वटर ने उनकी अगवानी से इंकार कर दिया और वे बुलन्दशहर में ही रही। वे सब बचकर मेरठ भागने में सफल रहे। मिस्टर नाइट और उनके पुत्र को छोड़कर जनरल हैवर्ट के इन्कार करने और उनके घोड़ों पर खजाना भेजने से मना कर देने पर घोड़े एवं खजाना सब खोना पड़ा मिस्टर रास टनविल तथा लायल ने खजाने के रक्षकों को जी0टी0 रोड तक अपने साथ चलने को प्रेरित किया किन्तु जब वे वहां पहुंचे तो सिपाहियों ने उनसे कहा कि वे अपने मित्रों से मिलने का इरादा रखते हैं।

स्टेशन की बरबादी

जैसे ही गूजरों ने चौकी प्रवेश किया उन्होंने डाक बंगले से प्रारम्भ करके हर घर पर गोलीबारी शुरू कर दी। और चार दिन जबकि चौकी बिना किसी अंग्रेज अधिकारी के था, सारी सरकारी सम्पत्ति एवं अधिकारियों की सम्पत्ति या तो लूट ली गई। सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मार दिया गया इसलिये इस जिले के निर्माण से लेकर गदर या विद्रोह तक इसके इतिहास को बताना लगभग असम्भव सा है।

सिकन्दराबाद :

28 मई की शाम को गोरख सैनिकों ने गजियाबाद में जनरल विल्सन की सेना के साथ मिलने के लिये प्रस्थान किया। जैसे ही दादरी व सिकन्दराबाद के गूजरों को रवानगी का समाचार मिला वैसे ही अगले दिन बुलन्दशहर से लगभग 10 मील दूर बसे सिकन्दराबाद पर धावा बोल दिया

गया। सभी लिंग एवं उम्र के निवासियों के साथ दुर्व्यहार किया गया तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया इस समय सभी प्राशसनिक अधिकारी असहाय बने रहे।

जिले की दुर्व्यव्यस्था

राजस्व विभाग के मिस्टर क्लिफोर्ड और यंग 1 जून को सेना में सम्मिलित हो गये और मामला बड़ा ही गम्भीर दीखने लगा। जिले के आन्तरिक हिस्सों से समाचार आ रहा था कि व्यवस्था एवं शान्ति समाप्त होती जा रही थी। भूतपूर्व मालिकों ने वर्तमान को रियासत से देखबाल करना शुरू कर दिया और कुछ मामलों में तो यह सेना एवं शस्त्रधारी लोगों द्वारा किया गया।

गुलाठी से अधियान

अलीगढ़ पर एक दिन के लिये अंग्रेजों का अधिकार हो गया किन्तु दूसरे दिन वह विद्रोहियों के अधिकार में था किन्तु खुर्जा तक अधिकारियों का आदर किया गया। मिस्टर मेल विल जिन्होंने मेरठ में जाकर चौकी स्टेशन ग्रहण की थी, खुर्जा गये और 1500 का खजाना लाने में सफल रहे। चौकी पर आक्रमण की अफवाहे रोज की घटना बन गई जिसके कारण अधिक गश्त एवं चौकसी की आवश्यकता अनुभव की गई।

बुलन्दशहर का परित्याग

अंग्रेजों के जाने के दूसरे दिन ही चलीदाद ने गुलाथी की पुलिस चौकी को वरखास्त कर दिंया जबकि मिस्टर साप्ते का दल मेरठ जिले में

हापुड़ के निकट बावूगढ़ में ही रह कर रोहिल खण्ड के वागियों को देखता रहा। 18 जून को बलीदाद की गुलाधी की बाहरी चौकी को पीछे ढकेल दिया गया। किन्तु 22 जून को बरेली के विद्रोहियों की टुकड़ी के आ जाने पर अंग्रेजों को पुनः मेरठ पीछे हटना पड़ा इस प्रकार मेरठ और आगरा रोड़ विद्रोहियों के हाथ आ गई और मालगढ़ सभी पड़ोस के असन्तुष्ट का गढ़ बन गया।

शहर का पुनः अधिकार

25 सितम्बर को कर्नल की तीव्र सेना गाजियाबाद से खाना हो गई तथा 28 सितम्बर को बुलन्दशहर पहुंच गई सेना ने बुलन्दशहर से लगभग 1/2 मील दूर सड़क पर जहां से मालागढ़ के लिये सड़क करती है डेरा डाल विद्रोहियों के एक घुड़सवार दस्ते को शहर के पीछे हटना पड़ा क्योकि यह एक तोप खाने द्वारा रक्षित था जबकि बगीचे दीवाले शमू के पैदल सिपाहियों द्वारा भरे थे। सड़क के संगम पर असबाव और भण्डार की रक्षा के लिये कुछ को छोड़कर अंग्रेजों के रक्षकों ने जितना हो सकता था उतनी होशियारी से शहर की ओर बढ़ना शुरू किया।

जिला पर पुनः अधिकार

बलीदाद अपने साथियों की एक बड़ी संख्या के साथ गंगा नदी के उसपार भाग गया तथा अपने पीछे किले में जो कि एक घुड़सवार दस्ते के द्वारा अधिकार में था, अनेक तोपे, सामान एवं लूट का माल छोड़ गया। 3 अक्टूबर को सेना ने खुर्जा को कूंच किया जबकि मिस्टर विल्स वहां थे।

मिस्टर साप्ते और कैप्टन वास्टन ने आझार का दौरा किया क्योंकि पहले के जनाब को खुफिया तौर पर यह समाचार मिला कि 15 अनियमित घुड़सवार दस्ते ने एक मुसलमान विद्रोही के घर में एक ईसाई लड़की को छिपा दिया गया है। 4 अक्टूबर को लेफ्टीनेन्ट कर्नल फारकुहार के अधीन एक सेना ने बुलन्दशहर पर कब्जा कर लिया। इस सेना में विट्रिश सेना की पूर्वी कमान, दो घुड़सवार, तोपे और पठान घुड़सवार का एक दस्ता था जो क मेजर स्येक के अधीन था। इस दिन के पश्चात अंग्रेजों में पुनः आत्म विश्वास पैदा हो गया। बरान बस्ती के पठानों के मुखिया अब्दुल लतीफ खान ने बकाया भूमि का लगान अदा कर दिया यद्यपि उसने पहले एक पैसा भी देने में इकांर कर दिया था। इसी व्यक्ति को विद्रोहियों द्वारा हर प्रकार से दोषी पाया गया था आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। उसका चाचा आजिव खान बलीदाद से मिल गया और उस समय जबकि वह रोहलखण्ड भागने की कोशिश कर रहा था। अनूप शहर के जाट पुलिस अधिकारी खुशीराम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आजिम खां को सेना के नियमानुसार मृत्यु दण्ड दिया गया। पुलिस विभाग के छोटे बड़े सभी लोग विद्रोहियों में सम्मिलित हो गये थे और उनके रिक्त स्थानों की जाये द्वारा पूर्ति हो गई। इस सशक्त सेना को दादरी और सिकन्दराबाद के जाये की निगरानी करने के लिये भेजा गया। 17 नवम्बर को पड़ाव गंगा नदी की ओर बढ़ा किन्तु वह मुश्किल से अहार तक ही पहुंचा था जबकि यह समाचार मिला कि अपने गिरफ्तार भाइयों को छुड़ाने के लिये गूजर ने हमले का इरादा बना रहे हैं किन्तु बुलन्दशहर वापिस आ रही सेना के कारण यह योजना भंग कर दी

गई। जेल की इस समय सुरक्षा का एक ऐसा स्थान बना दिया गया जो कि गूजरों की किसी भी संख्या को रोक कर उसका मुकाबला कर सके। जेल की सेना को सैनिकों तथा सामान की दृष्टि से मजबूत बना दिया गया जिससे आगे बढ़ने वाली सेना को दुबारा बुलाने का भय या आवश्यकता न पड़े।

अनूपशहर की सुरक्षा

2 जनवरी को अनूपशहर ने नाव के रक्षक पर हमले का संदेश मिला और मिस्य लायल अपने घुड़सवार दस्ते के साथ रवाना हो गये किन्तु उसने खुशीराम के नेतृत्व में जाये तथा विद्रोहियों के बीच एक मुस्त मुठभेड़ देखी। जिलाधीश यहां पर 187 नावों को लाया था। विद्रोही घाटों के नीचे दो तोपें लाये जिससे यचे नावों तथा उनकी सुरक्षा करने वाले सन्तरियों को खत्म कर सकें। जाटों ने लोहे की दो तापों से गोलावारी का जबाव दिया किन्तु उसी समय एक घुड़सवार दस्ते तथा कुछ पैदल सिपाहियों ने नदी को घुसकर पार करने की चेष्टा की। खुशीराम किसी प्रकार विचलित नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया तथा एक के बाद दो तोपें दागीं जिसने उन्हें उस समय भगा दिया। कर्नल फरगुहार ने जाटों की सहायता सहायता करना उचित समझा 17 जनवरी को दुश्मन पुनः 6 तोपों के साथ वापिस आया तथा उसने अपने दो तोपों को अंग्रेजों के स्थल के बिल्कुल सामने लगा दिया अन्य चार को दो–दो अलग दिशा में लगा दिया। किन्तु लेफ्टीनेंट ने तीन घण्टे में ही शत्रु की गोलावारी को शान्त कर दिया इस अवसर पर अंग्रेजी सेना को मात्र दो सिपाहियों के घायल होने और एक

के मारे जाने की हानि हुई जबकि सब को करीब 50 सैनिकों की मौत की क्षति हुई और यदि कर्नल फरगुहार को नदी पार न करने का सख्त आदेश न दिया होता तो कदाचित पूरी शत्रु सेना ही समाप्त हो गई होती। इस सफलता का यह असर पड़ा कि विद्रोहियों ने पुनः नदी पार करने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इसी विरुद्ध किसी भी प्रकार से प्रयास में सफल नहीं हुआ।

व्यवस्था की पुनः स्थापना

दादरी के गूजरों ने ब्राह्मणों के द्वारा लगान भेज कर यमुना के पश्चिमी किनारे पर पलायन कर दिया और 21 अप्रैल 1950 को मिस्टर साप्ते जिला छोड़ने के पहले जिले में लगभग 60 तोपें जिसमें कुछ सशक्त और कुछ छोटी थीं जिले में प्राप्त की गई। जिला छोड़ते समय मिस्टर साप्ते यह समाचार देने के योग्य थे, कि वहां आवश्यक शान्ति स्थापित की जाचुकी थी सभी लगान अदा किया जा चुका था गम्भीर अपराध करीब लुप्त प्रायः थे तथा हल्के फुल्के अपराध भी केवल यदा कदा ही होते थे।

वफादारों की पारितोषिक

शान्ति व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात अब लेखा जोखा ठीक करने का समय आया अनेक लोगों को हथियाये गये गांवों को देकर इनाम दिया गया कुछ को पैसे का भी इनाम दिया गया इसके साथ ही असन्तुष्टों को दिया गया दण्ड भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इनाम पाने वालों में निम्न का उल्लेख किया जासकता है विलासपुर के मिस्टर रिकरन को हड़प लिये गये

गांव दिये गये जिनका लगान 6000 रू0 था और उनके एजेण्ट मुन्नी लाल को 1000 रू0 का इनाम दिया गया था।

छतारी के महमूद अली को उस गांव की मालाकेषन दी गई जिसका मूल्यांकन 4139 रू0 तथा 1000 रू0 का खिल्फ भी दिया गया उसके रिस्तेदारों में फैजअली खान और पहासू के इमदाद को कई गांव मिले। इनमें से पहले को अपने पूरे लगान में 1/4 भाग की जीवन भर के लिये रियायत दे दी गई सभी के साथ उसी 1000 रू0 का खिलेट भर दिया गया धरमपुर के नहर अली खांन को 3000 रू0 की कीमत के गांव दिये, कचेसर के रख गुलखसिंह को राजा बहादुर की पदवी दी गई 2000 रू0 का खिलेट तथा 8000 रू0 की एक रियायन दी गई जिसका 1/4 भाग लगान आजीवन माफ कर दिया गया।

विद्रोह के लिये दण्ड

इसी तरफ मालागढ़ की बलीदाद की संज्ञा दी गई और उनकी सारी सम्पत्ति लेली गई यही दण्ड खानपुर के अबदुल लतीफ को दिया गया। इस्माइल खान जो कि स्किनर के घुड़सवारी में था जो कि बाद में मेरठ का कोतवाल था बलीदाद के साथ हो गया था बाद में माफ कर दिया गया था और उसने राजपुरा के नवाब के यहां नौकरी कर ली बलीदाद के एडेन्ट गुलाम हैदरखान के बरान परगनी में अपनी धार गांवों समेत सम्पत्ति खो दी महदीबक्स जाकि बलीदाद का प्रमुख सलाहकार था को 14 साल का कारावास दिया गया। बुलन्दशहर के काजी बजीर अली को जिसकी कि

बलीदाद ने काजी नियुक्ति किया था उसकी रियासत छीन ली गई। बुलन्दशहर के शेख को जिसे लगान से मुक्त सहायता दी गई थी अब उससे वंचित कर दिया गया। इसी के साथ झिकारपुर और डेल्टेरा के अनेक सायझाईस के कठोर दण्ड दिये गये।

बाद का इतिहास

विद्रोह के पश्चात बुलन्दशहर जिले से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई सबसे महत्वपूर्ण घटनायें जो आज दिन तक घटी हो उनमें 1806, 1876, 1897 के अकाल प्रमुख है 1860–65 के लगान बंदावस्त के प्रारम्भ तथा बाद में 1889 में मिस्टर स्टोकर के द्वारा दी गई व्यवस्था या बन्दोवस्त इन्हीं प्रमुख घटनाओं में है। इसके बाद की घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम से मुख्य से संबद्ध है। जिससे स्पष्ट होता है कि जिले के लोगों को देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

स्थानीय व्यक्तियों का योगदान

बुलन्दशहर के इतिहास से संबन्धित प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यहां के स्थानीय व्यक्तियों का यहां के इतिहास रचना के प्रमुख योगदान था। स्थानीय व्यक्तियों के योगदान की प्रमुख घटना स्कंधगुप्त के शासन काल में गौर ब्राह्मणों का इन्दौरा के रख–रखाव से संबन्धित है। इसके बाद म्योज गौर अथवा मेवातियों का जिले दाक्षिणी भाग में बड़ी संख्या में बसना था जिन्हें लम्बे संघर्ष के बाद भार गूजरों का नेता प्रताप सिंह पहास डिवही और अनूपशहर से मार भगाया। मुसलमानों

को सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के आने तक यहां के स्थानीय डोर नेता का आधिपत्य था। मुसलमानों के अनुसार से डोरो के प्रभाव की तीव्रता में कमी आई। बरान के मुगलों के प्रारम्भिक समय में इकबाल खान ने न केवल बरान बल्कि थी दिल्ली तक आक्रमण किया।

मुगलों शाहशांह जहांगीर की जीते के आक्रमण से जान बचाकर स्थानीय गूजर सेनापति पाहियोषिक में पये इलाके को अनूपशहर के रूप में बताया। अपने परिश्रम एवं बल के आधार पर दादरी के गूजर सेनापति दरगाही सिंह और कवेसर के जाट, रामधन सिंह, उत्तरदायित्व पूर्ण अधिकारी बन गये तथा 135 गांव दादरी परगना नाम से जाने जाते है। ग्रेंद में साहब आलम सेउसके राव की पदवी प्राप्त की तथा इन गांवों से रू0 2900/- की मालगुजारी प्राप्त की। यह व्यवस्था मराठा सरकार तथा बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा सम्मानित की गई।

अंग्रेजों के हाथ में आने वाला जिले का पहला परगना अनूपशहर था। 1824 में बुलन्दशहर जिले क़ी स्थापना और 1837 के अन्दाज को छोड़कर जिले की कोई महत्व्पूर्ण घटना नहीं है। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज सहो ने तुरन्त मुख्य जमींदारों को बुलाया और उनसे व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेना की सहायता देने को कहा। उनके आदेश का कुन्वेसर के राव गुलाब सिंह, बतौरी के मुहम्मद अलीखान, पहासू के मुरादअली खान के अब्दुल लतीफ खान सीतापुर के लक्ष्मण सिंह द्वारा तुरन्त पालन किया गया। सेहरा और जैदपुर के जाटों से स्थायी सेवा इस शर्त पर प्रदान कर गई कि

वे एक निश्चित समय में घुड़सवारों की एक फौज की व्यवस्था करेंगे। जिस समय मिस्टर सिप्ते के मातहतों ने दादरी और सिकंदर की ओर कूच किया तो क्रोधित गूजरों ने दिल्ली और मेरठ की घटनाओं को सुनकर चारों ओर लूट–पाट शुरू कर दी। और बाद में स्थान–स्थान पर डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंत मे पराजित होने पर दादरी के गूजरों ने ब्राह्मणों के द्वारा लगान भेजकर यमुना को पश्चिमी किनारे पर पलायन कर दिया। शान्ति व्यवस्था स्थापित होने के बाद वफादारों को पारितोषिक दिया गया। पारितोषिक पाने बाले स्थानीय लोगों में विलासपुर के मुन्सी, स्तारी के महमूद अली और कचेसर के राव गुलाबसिंह को राजा बहादुर की पदवी दी गई। इसके साथ विद्रोहियों को पेड़ पर लटका दिया गया जिसमें ये लोग मालोगढ़ के बलीदाद मुख्य थे।

इस प्रकार बुलन्दशहर का इतिहास एक सजीव इतिहास है जिसमें यहां के स्थानीय लोगों ने जमकर भाग लिया। जो कि कुछ लोगों के गद्दारी पूण कारनामों को छोड़कर देश प्रेमी होने का गर्व प्रदान किया।

समाज शास्त्रीय विश्लेषण

बुलन्दशहर का प्रारम्भिक इतिहास पौराणिक है। पौराणिक गाथा के अनुसार यह पांडवों के राज्य का एक भाग था। राजा जन्मेजय को संस्थापित करने में ब्राह्मणों का सहयोग होने के कारण यहां प्रारम्भ में ब्राह्मणों का ही आधिपत्य रहा। इन ब्राह्मणों में गौर ब्राह्मण प्रमुख थे। इन्दौर नामक टीले की खुदाई में प्राप्त सिन्दकों की मिट्टी की मोहरों आदि से ज्ञात

होता है कि यहां गुप्त वंश का राज्य था, जो कि एक हिन्दु राज्य था। इस समय यहां की सामाजिक व्यवस्था अच्छी थी। क्योंकि गुप्त राज्य एक शक्तिशाली संगीत में उन्नति हुई। खेती यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय रहा।

गुप्त काल के बाद दिल्ली के पास होने के कारण यहां का इतिहास अशांन्ति पूर्ण रहा है जो कि छोटे–छोटे हिन्दू राजाओं के आपसी लड़ाई से भरा पड़ा है। इसके बाद मुसलमानों का आक्रमण शुरू होता है। जिससे यहां सामाजिक प्रकार की कला, संगीत साहित्य आदि में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। मुगलों द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के बाद यहां की प्रशासनिक व्यावस्था ठीक रही। लोगों के माली हालात में सुधार हुआ। अनूपशहर का विकास मुगलकाल में ही हुआ। स्थानीय शासकों को मजबूत बनाकर मुगलों ने लुटेरों से जनता की जान–माल की सुरक्षा की। जिससे कृषि का विकास हुआ। सामाजिक सुरक्षा से कला एवं साहित्य का विकास हुआ।

मुगलों के पतन के साथ अंग्रेजों का उदय हुआ। मुगलों के पतन और अगेजों के अभ्यूदय का इतिहास अशान्तिपूर्ण रहा। जिससे जिले की सामाजिक दशा पुनः अशान्तिपूर्ण रही। जो नाना प्रकार के शोषणों से ग्रसित रही। अंग्रेजों के अभ्यूदय के साथ रेल, सड़क, परिवहन, सिंचाई, डाक आदि के विकास से जिले के सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। जब लोगों का आवागमन बढ़ा। वही लोग शिक्षा के महत्व से परिचित हुये। सिंचाई की

सुविधा बढ़ने से कृषि में सुधार हुआ। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। समाज में स्वतंत्रता का महत्व समझा और यहां की जनता देश के अन्य लोगों के साथ कदम मिला कर आगे बढ़ी और देश को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश स्वतंत्र हुआ।

निष्कर्ष

उक्त समाजशास्त्रीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहां की सामाजिक संरचना प्रशासनिक व्यवस्था के साथ–साथ परिवर्तित होती रही। परन्तु यहां की जनता में स्वतंत्र रह कर अपना निर्माण स्वयं करने की लालसा सदैव रही। जो एक स्वस्थ समाज की पहचान है।

******

अध्याय - चतुर्थ

जनपद बुलन्दशहर का जनसंख्या घनत्व

अध्याय - ४

जनपद बुलन्दशहर का जनसंख्या घनत्व

सामान्य विवरण

किसी स्थान विशेष, देश, जाति या समाज का आर्थिक–सामाजिक अध्ययन करने से पूर्व वहां की जनसंख्या के विषय में विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्याय में बुलन्दशहर जनपद की जनसंख्या से संबन्धित अध्ययन है। जनपद की जनसंख्या संबन्धी अध्ययन करते समय, जनपद की जनसंख्या, उसमें पुरूष–महिला, ग्रामीण–नगरीय, अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति से संबन्धित अध्ययन के साथ–साथ ग्रामीण पारिवारिक स्वरूप की भी व्याख्या की गई है।

प्रशासनिक एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त न्यायदर्श :-

समाजशास्त्री जब किसी समाज या क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की सामाजिक व्यवस्था पर शोध करता है। तो उनके लिये सर्वप्रथम यह ज्ञात करना आवश्यक होता है। कि उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है तथा उसमें स्त्री, पुरूष, शिक्षित तथा अशिक्षित, ग्रामीण तथा नगरीय, विकलांग, साक्षरता, व्यवसाय जनसंख्या का क्या प्रतिशत है आदि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जनपद बुलन्दशहर के प्रशासनिक एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त तथ्यों का सारणीयकरण किया गया है। जो निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 4.1 : जनसंख्या

क्र0सं0	मद	इकाई सं0 ह0 में वर्ष 1991
1.	पुरूष	1536
2.	स्त्री	1314
	योग	2850
3.	ग्रामीण	2257
4.	नगरीय	595
5.	अनुसूचित जाति की संख्या	604
6.	अनुसूचित जनजाति की संख्या	1

तालिका 4.2 : साक्षर व्यक्तियों की संख्या

क्र0सं0	मद	इकाई सं0 ह0 में वर्ष 1991
1.	कुल	1012
2.	पुरूष	760
3.	स्त्री	252

तालिका 4.3 : जनसंख्या प्रतिशत

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	20.8
2.	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	655
3.	दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत	20.8
4.	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिशत	21.2
5.	राज्य का कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जनपद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत	---
6.	लिंगानुसार प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	856

तालिका 4.4 : साक्षरता प्रतिशत

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	कुल	44.7
2.	पुरूष	62.0
3.	स्त्री	24.3

तालिका 4.5 : परिवार का औसत आकार

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	ग्रामीण	6.5
2.	नगरीय	6.9
3.	योग	6.6

तालिका 4.6 : विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत	0.1

तालिका 4.7 : कुल मख्य कर्मकारों का जनसंख्या में प्रतिशत

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	ग्रामीण	26.9
2.	नगरीय	25.6
	योग	26.6
	कृषि कर्मकारों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कृषि तथा कृषि कर्मकारों को सम्मिलित करते हुये	18.0
	कृषि कर्मकारों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	5.8

तालिका 4.8 : मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत विवरण

क्र0सं0	मद	संकेतक वर्ष 1991
1.	कृषक	45.9
2.	कृषि जमिक	21.8
3.	पशुपालन, जंगल लगाना, वृक्षारोपण	0.6
4.	खदान खोदना	0.0
5.	पारिवारिक उद्योग	1.8

उपरोक्त तालिकाओं के माध्यम से यह विदित होता है कि जनपद बुलन्दशहर की जनसंख्या 2850 स0ह0 है। ग्रामीणों की संख्या 2257 स0 ह0 हैं। तथा नगरीय जनसंख्या 595 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 604 स0 ह0 है। तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.1 है।

तालिकाओं के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1012 (44.7 प्रतिशत) है, जिनमें पुरूषों की संख्या 760 स0 ह0 (62.0 प्रतिशत) है तथा स्त्रियों की संख्या 252 स0 ह0 (24.3 प्रतिशत) है।

तालिका के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि जनपद बुलन्दशहर की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 20.8 है तथा प्रति कि0 मी0 तथा प्रति वर्ग कि0 मी0 जनसंख्या का घंनत्व 655 है। और जिले में जनसंख्या की वृद्धि एक दशक में 20.8 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजाति 21.2 प्रतिशत है। तथा राज्य की कुल

अनसूचित जाति की जनसंख्या में जनपद की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत 2 है। तथा लिंगानुसार प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 856 है। कुल जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत 44.7 प्रतिशत है। जिसमें पुरूषों तथा स्त्रियों का प्रतिशत 62.0 और 24.3 क्रमशः है।

सम्पूर्ण जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत 0.11 है।

कुल मुख्य कर्मकारों की जनसंख्या 52.5 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण कर्मकारों का प्रतिशत 26.9 है। तथा नगरीय कर्मकारों का प्रतिशत 25.6 है।

कृषि कर्मकारों का कुल जनसंख्या में 18.6 प्रतिशत है। तथा कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या में 5.8 है।

मुख्य कर्मकारों में 45.9 प्रतिशत कृषक 21.8 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं। तथा पशु पालन, जंगलों लगाना, वृक्षारोपण, खान खोदना तथा पारिवारिक उद्योग में 0.6, 0.0. 1.8 प्रतिशत क्रमशः है।

परिवार का स्वरूप

न्यायदर्श में परिवार के स्वरूप के बारे में निम्न लिखित तालिका द्वारा समझाया गया है।

तालिका 4.9 : न्यायदर्श के परिवार का स्वरूप

क्र0सं0	गांव का नाम	परिवार का स्वरूप		कुल योग
		केन्द्रीय	संयुक्त	
1.	दानपुर	20	10	30
		(66.67)	(33.33)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	09	21	30
		(30.00)	(70.00)	(100.00)
3.	नरायनपुर	09	21	30
		(30.00)	(70.00)	(100.00)
4.	रहमापुर	13	17	30
		(43.33)	(56.67)	(100.00)
5..	रामनगर	10	20	30
		(33.33)	(66.67)	(100.00)
	कुल योग	61	89	150
		(40.67)	(59.33)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि न्यायदर्श में परिवार का स्वरूप 59.33 प्रतिशत संयुक्त व्यवस्था का है। और केन्द्रीय व्यवस्था 40.67 प्रतिशत है। सबसे अधिक संयुक्त व्यवस्था 70 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी और नरायनपुर गांव में है। और सबसे कम प्रतिशत 33.33 दानपुर गांव काहै।

इसके विपरीत केन्द्रीय व्यवस्था का प्रतिशत 66.67 दानपुर का है। जो सबसे अधिक है। इससे कम 43.33 रहमापुर का है। और सबसे कम प्रतिशत 30 हिम्मतगढ़ी और नरायनपुर का है।

सत्ता का स्वरूप

परिवार में सत्ता का स्वरूप न्यायदर्श के गांव में निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4.10 : न्यायदर्श का परिवार, परिवार में सत्ता का स्वरूप

क्र0सं0	गांव का नाम	परिवार में सत्ता का स्वरूप		कुल योग
		मातृ सत्तात्मक	पितृ सत्तात्मक	
1.	दानपुर	01	29	30
		(03.33)	(96.67)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	05	25	30
		(16.67)	(83.33)	(100.00)
3.	नरायनपुर	01	29	30
		(03.33)	(96.67)	(100.00)
4.	रहमापुर	––	30	30
		(––)	(100.00)	(100.00)
5..	रामनगर	01	29	30
		(03.33)	(96.67)	(100.00)
	कुल योग	08	142	150
		(05.33)	(94.67)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह पता ज्ञात होता है कि परिवार में सत्ता आज भी पितृ सत्तात्मक है। न्यायदर्श में इसका प्रतिशत 94.67 है। मातृ सत्तात्मक सिर्फ 5.33 प्रतिशत है।

आंकड़े एकत्रित करते समय शोध कर्ता ने यह महसूस किया कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था उन्हीं परिवारों में है, जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो या किसी कारण वश मुखिया बाहर रहता है।

परिवार का सामंजस्य

न्यायदर्श में परिवार के मध्य सामंजस्य का वर्णन निम्न लिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 4.11 : परिवार के मध्य सामंजस्य

क्र0सं0	गांव का नाम	परिवार के मध्य सामंजस्य				कुल योग
		हां	नहीं	मिश्रित	कुछ कह नहीं सकते	
1.	दानपुर	27	01	02	–	30
		(90.00)	(03.33)	(06.67)	(––)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	26	––	04	–	30
		(86.67)	(––)	(13.33)	(––)	(100.00)
3.	नरायनपुर	24	01	04	1	30
		(80.00)	(03.33)	(12.33)	(3.33)	(100.00)
4.	रहमापुर	22	05	03	–	30
		(73.33)	(16.67)	(10.00)	(––)	(100.00)
5..	रामनगर	20	02	07	1	30
		(66.67)	(06.67)	(23.33)	(3.33)	(100.00)
	कुल योग	119	09	20	2	150
		(79.34)	(06.00)	(13.33)	(1.33)	(100.00)

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि न्यायदर्श में 79.34 प्रतिशत परिवार के मध्य सामंजस्य है। और 6 प्रतिशत में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। तथा 13.33 प्रतिशत में मिश्रित सामंजस्य है। 1.33 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट मत जाहिर नहीं कर सके।

उपर्युक्त तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 90.00

प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के परिवार के मध्य सामंजस्य है। और सबसे कम 66.67 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाताओं के परिवार में है।

सबसे अधिक प्रतिशत 16.67 सामंजस्य रहमापुर के उत्तरदाताओं के परिवार में नहीं है। और सबसे कम 3.33 प्रतिशत दानपुर और नरायनपुर के उत्तरदाताओं के परिवार में नहीं है।

स्थानीय सामाजिक व्यवस्था

न्यायदर्श में स्थानीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का निम्न तालिका में उल्लेख किया गया है।

तालिका 4.12 : स्थानीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण

क्र0सं0	गांव का नाम	स्थानीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण			कुल योग
		उपयुक्त	अनुपयुक्त	मिश्रित	
1.	दानपुर	17	2	11	30
		(56.67)	(6.66)	(36.67)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	20	2	8	30
		(66.67)	(6.66)	(26.67)	(100.00)
3.	नरायनपुर	18	5	7	30
		(60.00)	(16.67)	(23.33)	(100.00)
4.	रहमापुर	23	4	03	30
		(76.67)	(13.33)	(10.00)	(100.00)
5..	रामनगर	24	6	–	30
		(80.00)	(20.00)	–	(100.00)
	कुल योग	102	19	29	150
		(68.00)	(12.67)	(19.33)	(100.00)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मत है कि सामाजिक व्यवस्था उपयुक्त है और वह इस व्यवस्था से पूर्णतः सन्तुष्ट है। लेकिन 12.67 प्रति उत्तरदाताओं का मत है कि सामाजिक व्यवस्था अनुउपयुक्त है और वह इस व्यवस्था से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है।

19.33 प्रतिशत उत्तरदाता न्यायदर्श में ऐसे मिले जिनके सामाजिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण के प्रति मिश्रित विचार धारणा थी।

80 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता स्थानीय सामाजिक व्यवस्था को पूर्णतः सन्तुष्ट थे इससे निम्नतम 66.67 तथा 76.67 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी तथा रहमापुर का था जो कि सामाजिक व्यवस्था को उपर्युक्त मानते है।

इसके परिप्रेक्ष्य में निम्नतम 6.66 प्रतिशत दानपुर तथा हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता है। जो कि सामाजिक व्यवस्था को अनुपर्युक्त मानते है तथा 36.67 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाता है जिनके कि स्थानीय सामाजिक व्यवस्था के मिश्रित हैं।

सामाजिक सन्दर्भ :

जातिगत संरचना न्यायदर्श के चुने हुए गांव की निम्न लिखित तालिका में दी गयी है।

तालिका 4.13 : न्यायदर्श के चुने हुए गावं की जातिगत संरचना

क्र0सं0	गांव का नाम	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	कुल योग
1.	दानपुर	09	17	04	30
		(30.00)	(57.66)	(13.34)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	15	24	02	30
		(13.34)	(80.00)	(06.66)	(100.00)
3.	नरायनपुर	06	21	03	30
		(20.00)	(70.00)	(10.00)	(100.00)
4.	रहमापुर	02	16	12	30
		(06.66)	(53.33)	(40.00)	(100.00)
5..	रामनगर	03	19	08	30
		(10.00)	(63.33)	(26.67)	(100.00)
	कुल योग	24	97	29	150
		(16.00)	(64.66)	(19.33)	(100.00)

कोष्ठक में दिये आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 4.13 से विदित होता है कि दानपुर विकास खण्ड के गांवों की पिछड़ी जाति का प्रतिशत 64.66 है। जिसमे हिम्मतगढ़ी का प्रतिशत सबसे अधिक 80 प्रतिशत है। इसके बाद नरायनपुर का 70 प्रतिशत है। और सबसे कम रहमापुर का 53.33 प्रतिशत है।

सवर्ण जाति का प्रतिशत 16 है। सबसे अधिक दानपुर 30 प्रतिशत है। तथा सबसे निम्न रहमापुर 6.66 प्रतिशत है। जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है। यह न्यायदर्श के गांव में 19.33 प्रतिशत है। सबसे अधिक रहमापुर में 40 प्रतिशत है। और सबसे कम हिम्मत गढ़ी में 6.66 प्रतिशत है।

जहां तक तीनों जाति का सबाल है न्यायदर्श में सबसे अधिक प्रतिशत पिछड़ी जाति (64.66) अनुसूचित जाति का (19.33) है और सवर्ण जाति का सिर्फ 16.00 प्रतिशत है।

अतः उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनरत क्षेत्र में पिछड़ी जाति का बाहुल्य है और सबसे कम प्रतिशत सवर्णों का है।

सामाजिक स्थायित्व :

सामाजिक स्थायित्व के वर्तमान समय की आवश्यकता के बारे में निम्न लिखित तालिका में विवेचना की गई है।

तालिका 4:14 सामाजिक स्थायित्व की आवश्यकता

क्र0सं0	गांव का नाम	सामाजिक स्थायित्व वर्तमान समय की आवश्यकता है				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	27	90.00	03	10.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	26	86.67	04	13.33	30	100.00
3.	नरायनपुर	30	100.00	–	–	,,	,,
4.	रहमापुर	30	100.00	–	–	,,	,,
5..	रामनगर	29	96.67	01	3.33	,,	,,
	कुल योग	142	94.67	08	5.33	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 94.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि समाज में स्थायित्व की बहुत आवश्यकता है। इन लोगों का मानना है कि स्थायित्व से समाज में प्रगति होती है।

इसके विपरीत 5.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है समाज में स्थायित्व का विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः स्थायित्व से समाज की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः सामाजिक स्थायित्व की कोई आवश्यकता नहीं है।

जाति प्रथा :

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के जाति प्रथा के बारे में मत का निम्न लिखित तालिकाओं में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:15 जातीय वर्गीकरण के बारे में मत

क्र0सं0	गांव का नाम	जातीय वर्गीकररण के बारे में मत		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	13	17	30
		(43.33)	(56.67)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	16	14	30
		(53.33)	(46.67)	(100.00)
3.	नरायनपुर	08	22	30
		(26.67)	(73.33)	(100.00)
4.	रहमापुर	14	16	30
		(46.67)	(53.33)	(100.00)
5..	रामनगर	08	22	30
		(26.67)	(73.33)	(100.00)
	कुल योग	59	91	150
		(39.33)	(60.67)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि 60.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं

का मत है कि जातीय वर्गीकरण नहीं होना चाहिये और 39.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जातीय वर्गीकरण होना चाहिये।

रामनगर तथा नरायनपुर के उत्तरदाता सबसे अधिक जातीय वर्गीकरण के विरोधी हैं जिनका प्रतिशत 73.33 है।

इसके विपरीत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 53.33 है। उनका जातीय वर्गीकरण में विस्वास है। रामनगर तथा नरायनपुर के उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 26.67 है जातीय वर्गीकरण में विश्वास करते हैं।

तालिका में जाति प्रथा का विकास पर प्रभाव के बारे में निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:16 जाति प्रथा का विकास पर प्रभाव

क्र0सं0	गांव का नाम	जाति प्रथा विकास में बाधक है		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	26	04	30
		(86.67)	(13.33)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	23	07	30
		(76.67)	(23.33)	(100.00)
3.	नरायनपुर	24	06	30
		(80.00)	(20.00)	(100.00)
4.	रहमापुर	27	03	30
		(90.00)	(10.00)	(100.00)
5..	रामनगर	21	09	30
		(70.00)	(30.00)	(100.00)
	कुल योग	121	29	150
		(80.67)	(19.33)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि जाति प्रथा के विकास पर प्रभाव के बारे में 80.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा विकास में बाधक है। और 19.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा विकास में बाधक नहीं है।

रहमापुर में 90 प्रतिशत उत्तरदाता जाति प्रथा को विकास में बाधक मानते हैं

तालिका में जाति प्रथा को समाप्त करने की विचारधारायें निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:17 जाति प्रथा को समाप्त करने के बारे में आख्या

क्र0सं0	गांव का नाम	जाति प्रथा को समाप्त होना चाहियै		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	27 (90.00)	03 (10.00)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	23 (76.67)	07 (23.33)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	22 (73.33)	08 (26.67)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	21 (70.00)	09 (30.00)	30 (100.00)
5..	रामनगर	24 (80.00)	06 (20.00)	30 (100.00)
	कुल योग	117 (78.00)	33 (22.00)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा को जड़ से समाप्त होना चाहिये इसके विपरीत 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा को समाप्त नहीं होना चाहिये

पर्दा प्रथा :

न्यायदर्श में पर्दा प्रथा का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

तालिका : 4.18 न्यायदर्श में पर्दा प्रथा

क्र0सं0	गांव का नाम	पर्दा प्रथा			कुल योग
		हां	नहीं	कुछ कह नहीं सकते	
1.	दानपुर	19 (63.33)	08 (26.67)	03 (10.00)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	26 (86.67)	01 (3.33)	03 (10.00)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	23 (76.67)	04 (13.33)	03 (10.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	27 (90.00)	02 (6.67)	01 (3.33)	30 (100.00)
5..	रामनगर	27 (90.00)	02 (6.67)	01 (3.33)	30 (100.00)
	कुल योग	122 (81.33)	18 (12.00)	10 (6.67)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि पर्दा प्रथा 81.33 प्रतिशत

है। और 12.00 प्रतिशत पर्दा प्रथा नहीं है। 6.67 प्रतिशत के उत्तरदाता अपनी कोई राय स्पष्ट नहीं कर सके हैं।

सबसे अधिक पर्दा प्रथा 90.00 प्रतिशत रहमापुर और रामनगर में है। और सबसे कम 63.33 दानपुर में है।

इसके विपरीत सबसे कम प्रतिशत 3.33 हिम्मतगढ़ी में पर्दा प्रथा नहीं है और सबसे अधिक 26.67 प्रतिशत दानपुर में नहीं है।

पर्दा प्रथा से सामाजिक सुरक्षा :

न्यायदर्श में पर्दा प्रथा से सामाजिक सुरक्षा का निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:19 पर्दा प्रथा से सामाजिक सुरक्षा

क्र0सं0	गांव का नाम	पर्दा प्रथा से सामाजिक सुरक्षा			कुल योग
		हां	नहीं	कुछ कह नहीं सकते	
1.	दानपुर	18 (60.00)	09 (30.00)	03 (10.00)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	25 (83.34)	04 (13.33)	01 (3.33)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	19 (63.33)	08 (26.67)	03 (10.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	21 (70.00)	08 (26.67)	01 (3.33)	30 (100.00)
5..	रामनगर	13 (43.33)	14 (46.67)	03 (10.00)	30 (100.00)
	कुल योग	96 (64.00)	43 (28.66)	11 (7.33)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 64 प्रतिशत उत्तरदाओं का मत है कि पर्दा प्रथा से औरतों की सामाजिक सुरक्षा होती है। और 28.66 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है। 7.33 प्रतिशत उत्तरदाता अपना कोई भी मत स्पष्ट नहीं कर सके।

अन्ध विश्वास :

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं में पाये गये अन्धश्विास की जानकारी निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार दी गई है।

तालिका 4:20 न्यायदर्श में अन्ध विश्वास

क्र0सं0	गांव का नाम	अन्ध विश्वास उचित है			कुल योग
		हां	नहीं	कभी–कभी	
1.	दानपुर	01	21	08	30
		(3.33)	(70.00)	(26.67)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	02	22	06	30
		(6.67)	(73.33)	(20.00)	(100.00)
3.	नरायनपुर	03	23	04	30
		(10.00)	(76.67)	(13.33)	(100.00)
4.	रहमापुर	04	24	02	30
		(13.33)	(80.00)	(6.67)	(100.00)
5..	रामनगर	–	27	03	30
		(–)	(90.00)	(10.00)	(100.00)
	कुल योग	10	117	23	150
		(6.67)	(78.00)	(15.33)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 78 प्रतिशत उत्तरदाता अन्ध विश्वास जैसे जादू–टोना में विश्वास नहीं करते हैं। 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता

विश्वास करते है। परन्तु 15.33 प्रतिशत उत्तरदाता कभी–2 इन बातो पर विश्वास कर लेते है। जैसे अभी हाल ही में 21 सितम्बर 1995 में लोगो के मन में यह विश्वास हुआ कि गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पिया है।

सामाजिक प्रंसगों में योगदान

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के सामाजिक प्रसंगों में योगदान का निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:21 सामाजिक प्रसंगों में योगदान

क्र0सं0	गांव का नाम	सामाजिक प्रसंगो में आपका योगदान			योगफल
		सक्रिय	भाग नहीं लेते हैं।	आवश्यकतानुसार	
1.	दानपुर	13 (43.33)	9 (30.00)	08 (26.67)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	17 (56.67)	1 (3.33)	12 (40.00)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	19 (63.33)	2 (6.67)	9 (30.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	13 (43.33)	5 (16.67)	12 (40.00)	30 (100.00)
5..	रामनगर	11 (36.67)	3 (10.00)	16 (53.33)	30 (100.00)
	कुल योग	73 (48.66)	20 (13.37)	57 (38.00)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है। कि सामाजिक प्रसंगो में 48.66 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक प्रसंगो में सक्रिय योगदान करते है। तथा 13.37 प्रतिशत उत्तरदाता कोई योगदान नहीं करते है। 38 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है। जो

सामाजिक प्रंसगो मे आवश्यकतानुसार योगदान करते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह भी प्रतीत होता हैं। कि नरायनपुर के उत्तरदाता सबसे अधिक 63.33 प्रतिशत सामाजिक प्रंसगो में योगदान करते हैं। और सबसे कम 36.67 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता करते है। परन्तु रामनगर के 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता आवश्यकतानुसार योगदान करते है।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक योगदान

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के सांस्कृतिक तथा धार्मिक योगदान की जानकारी निम्न तालिका में दी गयी है।

तालिका 4:22 सांस्कृतिक तथा धार्मिक योगदान

क्र0सं0	गांव का नाम	सांस्कृतिक तथा धार्मिक योगदान			योगफल
		हाँ	नहीं	कुछ नहीं कह सकते है।	
1.	दानपुर	30 (100.00)	– (–)	– (–)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	23 (76.67)	5 (16.67)	2 (6.66)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	27 (90.00)	3 (10.00)	– (–)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	28 (93.34)	1 (3.33)	1 (3.33)	30 (100.00)
5..	रामनगर	22 (73.33)	5 (16.67)	3 (10.00)	30 (100.00)
	कुल योग	130 (86.67)	14 (9.33)	6 (4.00)	150 (100.00)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 86.67 प्रतिशत उत्तरदाता सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों में योगदान करते है। तथा 9.33 प्रतिशत उत्तरदाता बिल्कुल भाग नहीं लेते है। 4 प्रतिशत न्यायदर्श में ऐसे उत्तरदाता मिले जो अपने विचार प्रकट ही नहीं कर सके।

दानुपर के उत्तरदाता सबसे अधिक शतप्रतिशत धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रंसगों में भाग लेते है। और सबसे कम 73.33 प्रतिशत उत्तरदाता रामनगर के भाग लेते है।

परिवार पर नियन्त्रण

न्यायदर्श में परिवार के सदस्यों पर संरक्षकों का दृष्टिकोण के बारे में निम्न लिखित तालिका में वर्णित किया गया है।

तालिका 4:23 परिवार के सदस्यों के नियन्त्रण में संरक्षको का मत

क्र0सं0	गांव का नाम	परिवार के सदस्यों के नियन्त्रण में संरक्षकों का दृष्टिकोण			योगफल
		सामान्य	कठोर	कुछ नहीं कह सकते है।	
1.	दानपुर	22	8	–	30
		(73.33)	(26.67)	(–)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	17	9	4	30
		(56.67)	(30.00)	(13.33)	(100.00)
3.	नरायनपुर	10	19	1	30
		(33.33)	(63.33)	(3.33)	(100.00)
4.	रहमापुर	24	6	–	30
		(80.00)	(20.00)	(–)	(100.00)
5..	रामनगर	25	5	–	30
		(83.33)	(16.67)	(–)	(100.00)
	कुल योग	98	47	5	150
		(65.34)	(31.33)	(3.33)	(100.00)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है। कि 65.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि संरक्षको का परिवार के सदस्यों पर सामान्य नियन्त्रण होना चाहिए अर्थात परिवार के सदस्यों पर संरक्षको को न आवश्यकता से अधिक कठोर नियन्त्रण होना चाहिए और न आवश्यकता से अधिक शिथिलता बरतनी चाहिए।

इसी परिप्रेक्ष्य में 31.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि संरक्षको का परिवार के सदस्यों पर कठोर नियन्त्रण होना चाहिए इन लोगों का यह मानना है कि संरक्षक यदि परिवार के सदस्यों के प्रति शिथिलता बरतते है तो परिवार के सदस्य अर्कमण्य तथा अनुशासन हीन हो जाते है।

3.33 प्रतिशत उत्तरदाता न्यायदर्श में ऐसे भी मिले जो कि परिवार के सदस्यों पर संरक्षकों का दृष्टिकोण के बारे में अपना स्पष्ट मत प्रकट नहीं कर सके।

83.33 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता ऐसे है जिनका मत है कि परिवार के सदस्यों पर संरक्षको का नियन्त्रण सामान्य होना चाहिए। इससे कम 80 प्रतिशत उत्तरदाता रहमापुर के मिले। जो कि परिवार के सदस्यों पर संरक्षको का नियन्त्रण सामान्य होना चाहिए। यह मानते है।

इसके परिप्रेक्ष्य में 63.33 प्रतिशत नरायनुपर के उत्तरदाताओं का मत है कि परिवार के सदस्यों पर संरक्षको का कठोर नियन्त्रण होना चाहिए सबसे कम 16.67 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाताओं का मत है कि परिवार

पर कठोर नियन्त्रण होना चाहिए नरायनपुर के 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता ही यह मानते है कि परिवार के सदस्यों पर संरक्षको का दृष्टिकोण सामान्य होना चाहिए।

आर्थिक सन्दर्भ

व्यवसाय :

न्यायदर्श में तालिका 4.28 में परिवार में कमाने वालो के व्यवसाय का विवरण दिया गया है।

तालिका 4:24 कमाने वालो के व्यवसाय का विवरण

क्र0सं0	गांव का नाम	कमाने वालो की संख्या	कमाने वालो का व्यवसाय का विवरण			योगफल
			कृषि	नौकरी	वाणिज्य	
1.	दानपुर	35	13 (37.14)	17 (48.58)	5 (14.28)	35
2.	हिम्मतगढ़ी	42	25 (59.52)	15 (35.71)	2 (4.77)	42
3.	नरायनपुर	47	25 (53.19)	15 (31.92)	7 (14.89)	47
4.	रहमापुर	38	22 (57.89)	7 (18.43)	9 (23.68)	38
5..	रामनगर	40	17 (42.50)	18 (45.00)	5 (12.50)	40
	कुल योग		85 (52.50)	54 (33.33)	23 (14.19)	162 (100.00)

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि अधिकतम 52.48 प्रतिशत

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं की जीविका का साधन कृषि है। तथा 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी पर निर्भर है। और 14.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जिविका व्यापार पर निर्भर है।

हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता सबसे अधिक 59.52 प्रतिशत कृषि करते है। तथा इसके बाद 57.89 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं की जीविका का साधन कृषि है और निम्नतम 37.14 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाता कृषि पर निर्भर हैं।

परन्तु इसके विपरीत दानपुर के 48.58 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी करते है। जो कि न्यायदर्श में अधिकतम प्रतिशत आंका गया है। इसके बाद 45 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता नौकरी पर निर्भर है और निम्यार्थ 18.43 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं की जीविका नौकरी है। परन्तु इसके परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक 23.68 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाता व्यापार में संलग्न है और सबसे कम 4.77 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता व्यापार में संलग्न है।

परिवार की आय :

शोध क्षेत्र में प्रति परिवार की आय कि विवेचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

तालिका 4:25 प्रति परिवार की आय

क्र0सं0	गांव का नाम	परिवार की संख्या	कृषि	नौकरी	व्यापार	योगफल
1.	दानपुर	30	713.34	1764.80	267.66	2745.80
2.	हिम्मतगढ़ी	30	546.66	956.66	86.66	1589.90
3.	नरायनपुर	30	1101.66	826.66	210.00	2138.33
4.	रहमापुर	30	626.66	408.33	253.33	1288.33
5..	रामनगर	30	620.00	1058.33	246.66	1925.00
	कुल योग		721.66	1002.66	212.66	1935.50

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध है कि शोध क्षेत्र में औसतम परिवार की आय 1935.50 रूपये है। जिसमें 721 रूपये 66 पैसे कृषि से तथा 1002 रूपये 66 पैसे नौकरी से और 212 रूपये 66 पैसे व्यापार से आय होती है।

कृषि से सबसे अधिक आय 1101 रूपये 66 पैसे नरायनपुर के उत्तरदाताओं की है। तथा सबसे अधिक 1764 रूपये 80 पैसे नौकरी में आय दानुपुर के उत्तरदाताओं की है और व्यापार में 267 रूपयें 66 पैसे आय भी दानपुर के उत्तरदाताओं की है।

उपर्युक्त तालिका से यह भी विदित होता है कि दानपुर के उत्तरदाताओं की आय सबसे अधिक 2745 रूपये 80 पैसे हैं।

परिवार में प्रति व्यक्ति कमाने वाले की आय :

शोध क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कमाने वाले की आय का विवरण तालिका 4.26 में इस प्रकार दिया गया हैं।

तालिका 4:26 प्रति व्यक्ति कमाने वाले की आय

क्र0सं0	गांव का नाम	कमाने वालो की संख्या	कृषि	नौकरी	व्यापार	योगफल
1.	दानपुर	35	611.43	1512.68	228.57	2352.68
2.	हिम्मतगढ़ी	42	390.47	603.33	61.90	1135.71
3.	नरायनपुर	47	703.19	527.65	134.04	1364.89
4.	रहमापुर	38	494.73	322.36	200.00	1017.10
5..	रामनगर	40	465.00	793.75	185.00	1443.75
	कुल योग	202	535.89	744.77	157.92	1438.58

उपरोक्त तालिका से यह सुस्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कमाने वाले की आय 1438 रूपये 58 पैसे है।

कृषि से 535 रूपये 89 पैसे तथा नौकरी से 744 रूपये 77 पैसे है और व्यापार से 157 रूपये 92 पैसे है।

नारायनपुर के उत्तरदाताओं की आमदनी कृषि में सबसे अधिक 703 रूपये 19 पैसे है तथा सबसे कम 390 रूपये 48 पैसे हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं की है। नौकरी में सबसे अधिकं रू0 1512.68 दानपुर के उत्तरदाताओं की तथा 322/– रूपये 36 पैसे सबसे कम रहमापुर के उत्तरदाताओं की है।

व्यापार में अधिकतम आय 228/–रूपये 57 पैसे दानुपर के उत्तरदाताओं की है तथा सबसे कम 61/– रूपये 90 पैसे हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं की आय है।

कमाने वाले तथा आश्रित

न्यायदर्श में कमाने वाले तथा आश्रितों का प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4:27 न्यायदर्श के कमाने वालों तथा अश्रितों का प्रतिशत

क्र0सं0	गांव का नाम	न्यायदर्श के कमाने वाले तथा अश्रितों का प्रतिशत		कुल योग
		कमाने वाले	आश्रित	
1.	दानपुर	43 (27.22)	115 (72.78)	158 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	51 (31.28)	112 (68.72)	163 (100.00)
3.	नरायनपुर	41 (25.16)	122 (74.84)	163 (100.00)
4.	रहमापुर	38 (23.89)	121 (76.11)	159 (100.00)
5..	रामनगर	48 (27.27)	128 (73.73)	176 (100.00)
	कुल योग	221 (26.98)	598 (73.02)	819 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि कमाने वाले तथा आश्रितो का अनुपात 1:2.71 है। अर्थात एक कमाने वाले के पीछे करीब तीन आदमी खाने वाले हैं।

कमाने वालो का सबसे ज्यादा प्रतिशत 31.28 हिम्मतगढ़ी में है और सबसे कम 23.89 प्रतिशत रहमापुर गांव में है।

इसके विपरीत आश्रितों का सबसे अधिक प्रतिशत 76.11 रहमापुर का है। और सबसे कम 68.72 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी का है।

कमाने वालों का वैवाहिक स्तर :

न्यायदर्श में कमाने वालो का वैवाहिक स्तर का निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:28 कमाने वालों का वैवाहिक स्तर

क्र0सं0	गांव का नाम	कमाने वाले		कुल योग
		विवाहित	अविवाहित	
1.	दानपुर	39 (90.69)	4 (9.31)	43 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	49 (96.67)	2 (3.92)	51 (100.00)
3.	नरायनपुर	36 (87.81)	5 (12.19)	41 (100.00)
4.	रहमापुर	38 (100.00)	– (–)	38 (100.00)
5..	रामनगर	40 (83.33)	8 (16.67)	48 (100.00)
	कुल योग	202 (91.41)	19 (8.59)	221 (100.00)

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि कमाने वाले 91.41 प्रतिशत विवाहित है और अविवाहित 8.59 प्रतिशत है।

आंकड़े एकत्रित करते समय शोधकर्ता ने यह पाया कि कमाने वाले अविवाहितों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनमें कुछ ऐसे भी थे

जिनकी विवाह की उम्र निकल गयी थी।

सबसे अधिक 16.67 प्रतिशत कमाने वाले अविवाहित रामनगर में पाये गये और सबसे कम हिम्मतगढ़ी में 3.92 प्रतिशत थे।

इसके विपरीत कमाने वाले विवाहितों का प्रतिशत 96.67 हिम्मतगढ़ी का ही है। परन्तु इससे भी अधिक 100 प्रतिशत रहमापुर का है। और सबसे कम कमाने वाले विवाहितों का प्रतिशत 83.33 रामनगर का है।

कमाने वाले का विवाहितों का शैक्षिक स्तर :

कमाने वाले विवाहितों का शैक्षिकस्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4:29 कमाने वाले विवाहितों का शैक्षिक स्तर

क्र0सं0	गांव का नाम	कमाने वाले विवाहितों का शैक्षिक स्तर		कुल योग
		शिक्षित	अशिक्षित	
1.	दानपुर	40 (93.03)	3 (6.97)	43 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	42 (82.35)	9 (17.65)	51 (100.00)
3.	नरायनपुर	31 (75.87)	10 (24.13)	41 (100.00)
4.	रहमापुर	24 (63.15)	14 (36.85)	38 (100.00)
5..	रामनगर	41 (85.41)	7 (14.59)	48 (100.00)
	कुल योग	178 (80.54)	43 (19.46)	221 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह विदित होता है कि कमाने वाले 80.54 प्रतिशत शिक्षित है और 19.46 प्रतिशत कमाने वाले अशिक्षित है।

उपरोक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि कमाने वाले शिक्षितों का सबसे अधिक 93.03 प्रतिशत दानपुर का है। और सबसे कम 63.15 प्रतिशत रहमापुर का है।

इसके विपरीत कमाने वाले अशिक्षितों का 36.85 प्रतिशत रहमापुर का है। और सबसे कम 6.67 प्रतिशत दानपुर का हैं।

आश्रितों का वैवाहिक स्तर

न्यायदर्श में अश्रितों का वैवाहिक स्तर का निम्नलिखित तालिका में वर्णन दिया गया है।

तालिका 4:30 आश्रितों का वैवाहिक स्तर

क्र0सं0	गांव का नाम	वैवाहिक स्तर		कुल योग
		विवाहित	अविवाहित	
1.	दानपुर	30 (26.09)	85 (73.91)	115 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	45 (40.17)	67 (59.83)	112 (100.00)
3.	नरायनपुर	34 (27.87)	88 (73.33)	122 (100.00)
4.	रहमापुर	40 (33.06)	81 (66.94)	121 (100.00)
5..	रामनगर	49 (38.29)	79 (61.71)	128 (100.00)
	कुल योग	198 (33.11)	400 (66.89)	598 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह विदित होता है कि आश्रितों में विवाहित 33.11 प्रतिशत है। और अविवाहित 66.89 प्रतिशत है।

आश्रित विवाहितों की कुल संख्या सबसे अधिक 40.17 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी में है। और सबसे कम 26.09 प्रतिशत दानपुर में है

इसके विपरीत आश्रित अविवाहितों की संख्या सबसे अधिक 73.91 प्रतिशत दानपुर में ही है और सबसे कम 59.83 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी में है।

शोध कर्ता ने आंकड़े एकत्रित करते समय यह पाया कि हिम्मतगढ़ी के आश्रितों का जीवन स्तर उच्च श्रेणी का है।

आश्रितों का शैक्षिक स्तर

न्यायदर्श में आश्रितों का शैक्षिक स्तर निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4:31 आश्रितों का शैक्षिक स्तर

क्र0सं0	गांव का नाम	शैक्षिक स्तर		कुल योग
		शिक्षित	अशिक्षित	
1.	दानपुर	88 (76.52)	27 (23.48)	115 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	94 (83.92)	18 (16.08)	112 (100.00)
3.	नरायनपुर	88 (72.13)	34 (27.87)	122 (100.00)
4.	रहमापुर	82 (67.77)	39 (32.23)	121 (100.00)
5..	रामनगर	85 (66.41)	43 (33.59)	128 (100.00)
	कुल योग	437 (73.07)	161 (26.92)	598 (100.00)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि आश्रितों में 73.07 प्रतिशत शिक्षित है तथा 26.92 प्रतिशत अशिक्षित है।

शिक्षितों में सबसे अधिक प्रतिशत 83.92 हिम्मतगढ़ी का है। और सबसे कम 66.41 प्रतिशत रामनगर का है।

इसके विपरीत सबसे अधिक अशिक्षित 33.59 प्रतिशत रामनगर में है और सबसे कम 16.08 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी में अशिक्षित है।

आर्थिक संचालन

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य अपनी कुल आमदनी से आर्थिक संचालन किस प्रकार करते हैं। निम्नलिखित तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

तालिका 4:32 परिवार के सदस्यों की कुछ आमदनी से आर्थिक संचालन

क्र0सं0	गांव का नाम	उचित रूप से		कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है		कुल योग	
		परिवार की संख्या	प्रतिशत	परिवार की संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	17	56.67	13	43.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	19	63.33	11	36.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	15	50.00	15	50.00	30	100.00
4.	रहमापुर	10	33.33	20	66.67	30	100.00
5..	रामनगर	17	56.67	13	43.33	30	100.00
	कुल योग	78	52.00	72	48.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की कुल आमदनी से आर्थिक संचालन उचित रूप से हो जाता है। तथा 48 प्रतिशत ऐसे परिवार थे जहां पर परिवार का आर्थिक संचालन उचित रूप से करने के लिए अतिरिक्त द्रव्य साधन की आवश्यकता पड़ती है।

सबसे अधिक 63.33 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के परिवार का आर्थिक संचालन उचित रूप से हो जाता है। इससे कम अर्थात 56.67 प्रतिशत दानपुर तथा रामनगर के उत्तरदाताओं के परिवार के बारे में तालिका से यह आंका, गया कि इन परिवारों का आर्थिक संचालन भी उचित रूप से हो जाता है।

इसके विपरीत अधिकतम 66.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं को परिवार का आर्थिक संचालन रूप से करने के लिए अतिरिक्त द्रव्य साधन की आवश्यकता पड़ती है।

इससे कम 50 प्रतिशत नरायनपुर के उत्तरदाताओं के परिवार को आर्थिक संचालन के लिए अतिरिक्त द्रव्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। इसी परिप्रेक्ष्य में निम्नतम 36.67 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं को भी परिवार के संचालन को उचित रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त द्रव्य साधन की आवश्यकता पड़ती है।

ऋण प्राप्त करने के साधन

तालिका 6.33 में उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार ऋण प्राप्त करते है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किये गये है।

तालिका 4:33 ऋण प्राप्त करने के साधन

क्र0सं0	गांव का नाम	पारिवारिक आवश्यकता में किस प्रकार ऋण प्राप्त करते है			योगफल
		साहूकार द्वारा	व्यक्तिगत माध्यमों से	अन्य	
1.	दानपुर	7 (23.33)	17 (56.67)	6 (20.00)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	4 (13.33)	20 (66.67)	6 (20.00)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	4 (13.33)	25 (83.34)	1 (3.33)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	7 (23.33)	18 (60.00)	5 (16.67)	30 (100.00)
5..	रामनगर	8 (26.67)	22 (73.33)	– (–)	30 (100.00)
	कुल योग	30 (20.00)	102 (68.00)	18 (12.00)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि शोध क्षेत्र में 68 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ जो कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लए व्यक्तिगत माध्यम से ऋण प्राप्त करते है। तथा इससे कम 20 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं

की पूर्ति के लिए साहूकार अर्थात महाजन द्वारा ऋण प्राप्त करते है। और सबसे कम 12 प्रतिशत अन्य साधन से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करते है।

इसी परिप्रेक्ष्य में तालिका द्वारा यह आंकड़े प्राप्त हुए कि 83.34 प्रतिशत नरायनपुर के उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कि लिए व्यक्तिगत माध्यम से ऋण प्राप्त करते है। तथा इससे कम 73.33 रामनगर के उत्तरदाता भी पारिवारिक आवश्यकताअें की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत माध्यम से ऋण प्राप्त करते है। और सिर्फ 66.67 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाता ही व्यक्तिगत माध्यम से ऋण प्राप्त करते है।

इसके विपरीत 26.67 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकार के द्वारा ऋण प्राप्त करते है तथा सबसे कम 13.33 हिम्मतगढ़ी तथा नरायनपुर के उत्तरदाता शोध क्षेत्र में ऐसे मिले जो कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजन से ऋण लेते है।

इसी परिप्रेक्ष्य में तालिका द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक 20 प्रतिशत दानपुर तथा हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य साधनों का सहारा लेते है।

आवासीय सुविधा

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधाओं का निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 4:34 आवासीय सुविधा

क्र0सं0	गांव का नाम	आवासीय सुविधा का विवरण			योगफल
		पक्केमकान	कच्चेमकान	मिश्रित आवास	
1.	दानपुर	25 (83.34)	1 (3.33)	4 (13.33)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	17 (56.67)	2 (6.66)	11 (36.67)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	23 (76.67)	4 (13.33)	3 (10.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	17 (56.67)	5 (16.66)	8 (26.67)	30 (100.00)
5..	रामनगर	21 (70.00)	4 (13.33)	5 (16.67)	30 (100.00)
	कुल योग	103 (68.67)	16 (10.66)	31 (20.67)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है 68.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मकान पक्के बने हुए है और 10.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मकान कच्चे बने हुए है। तथा 20.67 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जिनके मकान मिश्रित बने हुए है।

सबसे अधिक पकके मकानों का प्रतिशत 83.34 दानपुर में है और सबसे कम 56.66 प्रतिशत रहमापुर तथा हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के है।

इसके विपरीत सबसे अधिक कच्चे मकान 16.66 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के है। और सबसे कम 3.33 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के कच्चे मकान है।

सबसे अधिक मिश्रित मकानों का प्रतिशत हिम्मतगढ़ी 36.67 के है।

परिवार में विद्यमान आवास सुविधायें

शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं के परिवार मे विद्यमान आवास सुविधाओं का निम्नलिखित तालिकाओं में वर्णन किया गया है।

निजी आवास

तालिका 4.35 में उत्तरदाताओं के निजी आवास के सम्बन्ध में निम्न लिखित आकड़ें एकत्रित किए गये है।

तालिका 4:35 निजी आवास

क्र0सं0	गांव का नाम	निजी आवास				कुल योग	
		हा		नही			
		परिवार की संख्या	प्रतिशत	परिवार की संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	24	80.00	6	20.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	29	96.67	1	3.33	30	100.00
3.	नरायनपुर	27	90.00	3	10.00	30	100.00
4.	रहमापुर	26	86.67	4	13.33	30	100.00
5..	रामनगर	30	100.00	–	–	30	100.00
	कुल योग	136	90.67	14	9.33	150	100.00

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि शोध क्षेत्र में 90.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के निजी आवास है परन्तु 9.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवास नहीं हैं।

आंकड़ों से शोधकर्ता ने यह ज्ञात किया कि रामनगर में शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवास हैं। तथा इससे कम 96.67 तथा 90 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी तथा नरायनपुर के उत्तरदाताओं के निजी आवास हैं और सबसे कम 80 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पास निजी आवास हैं।

इसके विपरीत तालिका से यह भी पता चलता है कि सबसे अधिक 20 प्रतिशत दानपुर में उत्तरदाताओं के पास निजी आवास नहीं है। तथा सबसे कम 3.33 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के पास निजी आवास नहीं हैं।

दूरदर्शन

शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं के पास दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

तालिका : 6:36 न्यायदर्श में दूरदर्शन का प्रतिशत

क्र0सं0	गांव का नाम	दूरदर्शन				कुल योग	
		हां		नहीं			
		परिवार की संख्या	प्रतिशत	परिवार की संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	23	76.67	7	23.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	21	70.00	9	30.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	19	63.33	11	36.67	30	100.00
4.	रहमापुर	8	26.67	22	73.33	30	100.00
5..	रामनगर	13	43.33	17	56.67	30	100.00
	कुल योग	84	56.00	66	44.00	150	100.00

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि शोध क्षेत्र में सबसे अधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन है तथा 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन नहीं है।

आंकड़े एकत्रित करते समय शोधकर्ता ने यह ज्ञात किया कि जिन उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन नहीं हैं। उनमें कुछ उत्तरदाताओं के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी परन्तु कुछ उत्तरदाता जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी लेकिन उनके पास टेलीविजन नहीं था। उन उत्तरदाताओं से शोधकर्ता ने कारण ज्ञात करने का प्रयास किया और इससे यह पता चला कि उन लोगों का मानना है कि टेलीविजन से परिवार के सदस्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है और परिवार के सदस्य दिशाविहीन हो जाते हैं।

सबसे अधिक 76.67 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन है। तथा इससे कम 70 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन पाये गये। और सबसे कम 26.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन थे।

इसके विपरीत अधिकतम 73.33 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के परिवार में टेलीविजन नहीं है तथा निम्नतम 23.33 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पास टेलीविजन नहीं है।

स्कूटर

शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं के पास स्कूटर के प्रतिशत का वर्णन ज्ञात के लिये निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

तालिका : 6:37 स्कूटर

क्र0सं0	गांव का नाम	स्कूटर				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	12	40.00	18	60.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	10	33.33	20	66.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	5	16.67	25	83.33	30	100.00
4.	रहमापुर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
5..	रामनगर	11	36.67	19	63.33	30	100.00
	कुल योग	40	26.67	110	73.33	150	100.00

तालिका 6.37 यह दर्शाती है कि शोध क्षेत्र में 73.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्कूटर नहीं है। तथा 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओ के पास स्कूटर है।

दानपुर में सबसे अधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्कूटर है तथा इससे कम 33.33 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के पास स्कूटर है और सबसे कम 6.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के पास ही स्कूटर है।

इसके विपरीत सबसे अधिक 93.33 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं

के पास स्कूटर नहीं है। तथा 60 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पास भी स्कूटर नहीं है।

रेफ्रिजरेटर

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के पास रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज की सुविधा का निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया है।

तालिका : 4:38 रेफ्रिजरेटर

क्र0सं0	गांव का नाम	रेफ्रिजरेटर				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	6	20.00	24	80.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	2	6.66	28	93.34	30	100.00
3.	नरायनपुर	1	3.33	29	96.67	30	100.00
4.	रहमापुर	1	3.33	29	96.67	30	100.00
5..	रामनगर	–	–	30	100.00	30	100.00
	कुल योग	10	6.67	140	93.33	150	100.00

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि शोध क्षेत्र में सिर्फ 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास फ्रिज है तथा 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास फ्रिज की सुविधा नहीं हैं

तालिका के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 20 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पास फ्रिज की सुविधा है तथा इससे कम 6.66 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के पास फ्रिज है।

इसके विपरीत शत प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाताओं के परिवार में फ्रिज की सुविधा नहीं है। और इससे कम 96.67 प्रतिशत नरायनपुर तथा रहमापुर के उत्तरदाताओं के पास फ्रिज नहीं है। तथा सबसे कम 80 प्रतिशत दानुपर के उत्तरदाताओं के परिवार में फ्रिज की सुविधा नहीं है।

कुकिंग गैस

तालिका 4.39 में उत्तरदाताओं के परिवार में कुकिंग गैस की सुविधा का विवरण दिया गया है।

तालिका : 4:39 शोध क्षेत्र में कुकिंग गैस

क्र0सं0	गांव का नाम	कुकिंग गैस				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	13	43.33	17	56.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	7	23.33	23	76.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	3	10.00	27	90.00	30	100.00
4.	रहमापुर	1	3.33	29	96.67	30	100.00
5..	रामनगर	5	16.67	25	83.33	30	100.00
	कुल योग	29	19.33	121	80.67	150	100.00

शोध क्षेत्र में एकत्रित किए गये आंकड़ो से यह ज्ञात होता है कि 19.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कुकिंग गैस की सुविधा है। और 80.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार इस सुविधा से वंचित है।

आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 43.33 प्रतिशत

दानपुर के उत्तरदाताओं के पास कुकिंग गैस की सुविधा है तथा इससे कम 23.33 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के परिवार में भोजन पकाने वानी गैस की सुविधा है। और सबसे कम 3.33 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के परिवार ही कुकिंग गैस की सुविधा है।

इसके प्रतिकूल सबसे अधिक 96.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के परिवार कुकिंग गैस की सुविधा से वंचित है। तथा सबसे कम 56.67 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के परिवार ही कुकिंग गैस की सुविधा से वंचित है।

ट्रैक्टर

उत्तरदाताओं के पास ट्रेक्टर की सुविधा को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तालिका में आंकड़े दर्शाये गये है।

तालिका : 4.40 ट्रेक्टर

क्र0सं0	गांव का नाम	ट्रेक्टर				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	–	–	30	100	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	–	–	30	100	30	100.00
3.	नरायनपुर	3	10.00	27	90.00	30	100.00
4.	रहमापुर	5	16.67	25	83.33	30	100.00
5..	रामनगर	1	3.33	29	96.67	30	100.00
	कुल योग	9	6.00	141	94.00	150	100.00

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में ट्रेक्टर की सुविधा है। तथा 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार ट्रेक्टर की सुविधा से वंचित है।

सबसे अधिक 16.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं के पास ट्रेक्टर की सुविधा है। और इससे कम 10 प्रतिशत नरायनपुर के उत्तरदाताओं के परिवार में ट्रेक्टर की सुविधा है।

इसके विपरीत शत प्रतिशत दानपुर तथा हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाता ट्रेक्टर की सुविधा से वंचित है। तथा सबसे कम रहमापुर से 83.33 उत्तरदाता ट्रेक्टर की सुविधा से वंचित है।

परिवार में मतभेत

न्यायदर्श में उत्तरदाताओं के परिवार के संचालन के रूप में किस परिस्थिति में मतभेद हो जाते है। इसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका : 4:41 परिवार का मतभेद

क्र0 सं0	गांव का नाम	किसी रिश्तेदार के यहां होने वाले कार्य से		परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत अहाता से		आर्थिक कार्य		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	5	16.66	14	46.67	11	36.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	1	3.33	21	70.00	8	26.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	1	3.33	10	33.33	19	63.34	30	100.00
4.	रहमापुर	7	23.33	9	30.00	14	46.67	30	100.00
5..	रामनगर	3	10.00	14	46.67	13	43.33	30	100.00
	कुल योग	17	11.33	68	45.34	65	43.33	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि 11.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में किसी रिश्तेदार के यहां होने वाले आकस्मिक कार्यों से मतभेद हो जाते है। तथा 45.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की व्यक्तिगत आर्हतों के कारण ही मतभेद हो जाते है।

और 43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में आर्थिक कारणों के कारण ही परिवार के सदस्यों में मतभेद हो जाते है।

इसके आलावा शोधकर्ता ने बारीक छानबीन से यह पाया कि 88.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतभेद का मूलकारण धन की ही कमी है।

परिवार की आय को सुरक्षित रखने के क्षेत्र

शोध क्षेत्र में उत्तरदाता अपनी परिवार की आय को सुरक्षित रखने के लिए किनकिन साधनों का प्रयोग करते है। इसका वर्णन निम्नलिखित तालिकाओं में किया गया है।

बैंक

शोध क्षेत्र में उत्तरदाता अपने परिवार की आय को सुरक्षित रखने के लिए बैंक का प्रयोग कितने प्रतिशत करते है। इसका वर्णन निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका : 4.42 बैंक

क्र0सं0	गांव का नाम	बैंक				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	30	100	–	–	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	30	100	–	–	30	100.00
3.	नरायनपुर	30	100	–	–	30	100.00
4.	रहमापुर	22	73.33	8	26.67	30	100.00
5..	रामनगर	26	86.67	4	13.33	30	100.00
	कुल योग	138	92.00	12	8.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से यह विदित होता है कि शोध क्षेत्र में 92 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार की आय को बैंक में रखना ही उचित समझते है तथा इसके विपरीत 8 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपनी पारिवारिक आय को बैंक में रखना उचित नहीं समझते है। शोधकर्ता ने इसका कारण जानने का प्रयास किया और तब यह ज्ञात हुआ कि ये उत्तरदाता बैंक की लम्बी चौड़ी लिखा पढ़ी से कतराते हैं।

तालिका के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि दानपुर हिम्मतगढ़ी, नरायनपुर के शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का अपनी पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने के लिये बैंक को ही उचित मानते है इसके विपरीत सबसे कम 73.33 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं को बैंक पर विश्वास है।

अन्य स्थानों पर

तालिका 4.43 में उत्तरदाताओं की पारिवारिक आय को अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखने का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है।

तालिका 4:43 अन्य स्थानों पर

क्र0सं0	गांव का नाम	अन्य स्थानों पर				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	4	13.33	26	86.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	10	33.33	20	66.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	3	10.00	27	90.00	30	100.00
4.	रहमापुर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
5..	रामनगर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
	कुल योग	21	14.00	129	86.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में 14 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपनी पारिवारिक आय को अन्य स्थानों पर रखना उचित समझते है तथा 86 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को अन्य स्थान पर रखना उचित नहीं समझते है।

शेयर आदि के रूप में :

शोध क्षेत्र में उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय का सुरक्षित रखने के लिए शेयर आदि के रूप में कितना संचय करते है। इसका वर्णन निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 4:44 शेयर आदि के रूप में

क्र0सं0	गांव का नाम	शेयर आदि के रूप में				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	5	16.67	25	83.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	6	20.00	24	80.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	8	26.67	22	73.33	30	100.00
4.	रहमापुर	1	3.33	29	96.67	30	100.00
5..	रामनगर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
	कुल योग	22	14.67	128	85.33	150	100.00

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में 14.67 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपनी पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने के लिए शेयर खरीदना उचित समझते है। लेकिन इसके विपरीत 85.33 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने के लिए शेयर खरीदना उचित नहीं समझते ।

सोने चांदी के रूप में :

तालिका 4.45 में शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं द्वारा अपनी पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने के लिए धन को सोने चांदी के रूप में खरीद कर संचय करने वाले के प्रतिशत का वर्णन किया है। जो इस प्रकार हे।

तालिका 4:45 सोने चांदी के रूप में

क्र0सं0	गांव का नाम	सोने चांदी के रूप में				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	22	73.33	8	26.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	10	33.33	20	66.67	30	100.00
3.	नरायनपुर	16	53.33	14	46.67	30	100.00
4.	रहमापुर	15	50.00	15	50.00	30	100.00
5..	रामनगर	18	60.00	12	40.00	30	100.00
	कुल योग	81	54.00	69	46.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका से यह सुस्पष्ट होता है कि 54.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को सुरक्षित रखने के लिए सोना चांदी खरीदकर रखना ही उचित समझते है।

लेकिन इसके विपरीत 46 प्रतिशत उत्तरदाता सोना चांदी खरीदकर रखना उचित नहीं समझते है।

मिश्रित रूप में :

तालिका 4.46 में जो उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को मिश्रित रूप में रखकर सुरक्षित रखते है। उसका वर्णन किया गया है।

तालिका 4:46 मिश्रित रूप में

क्र0सं0	गांव का नाम	मिश्रित रूप में				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	26	86.67	4	13.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	18	60.00	12	40.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	14	46.67	16	53.33	30	100.00
4.	रहमापुर	17	56.67	13	43.33	30	100.00
5..	रामनगर	20	66.67	10	33.33	30	100.00
	कुल योग	95	63.33	55	36.67	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 63.33 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को मिश्रित रूप में रखकर सुरक्षित समझते है। इसके विपरीत 36.67 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आय को मिश्रित रूप में रखना उचित नहीं समझते है।

एक मात्र परिधि के अर्न्तगत

जो उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को एक मात्र परिधि में रखना ही सुरक्षित समझते है उसका विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 4:47 एक मात्र परिधि के अर्न्तगत

क्र0सं0	गांव का नाम	एक मात्र परिधि के अर्न्तगत				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	7	23.33	23	76.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	2	6.67	28	93.33	30	100.00
3.	नरायनपुर	4	43.33	26	86.67	30	100.00
4.	रहमापुर	14	46.67	16	53.33	30	100.00
5..	रामनगर	14	46.67	16	53.33	30	100.00
	कुल योग	41	27.33	109	72.67	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 27.33 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपनी पारिवारिक आय को घर की एक मात्र परिधि के अर्न्तगत रखना ही उचित समझते है जबकि इसके प्रतिकूल 72.67 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पारिवारिक आय को घर की एक मात्र परिधि के अन्तर्गत रखना उचित नहीं समझते है।

केन्द्रीय व प्रादेशिक संचालन

तालिका 4.48 के माध्यम से शोध कर्ता ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि केन्द्रीय व प्रादेशिक संचालन में समन्वय स्थापित है। अथवा नहीं।

तालिका 4:48 केन्द्रीय व प्रादेशिक संचालन

क्र0सं0	गांव का नाम	केन्द्रीय व प्रादेशिक संचालन में समन्वय स्थापित है				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	6	20.00	24	80.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	12	40.00	18	60.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	18	60.00	12	40.00	30	100.00
4.	रहमापुर	4	13.33	26	86.67	30	100.00
5..	रामनगर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
	योग	42	28.00	108	72.00	150	100.00

तालिका 6.60 के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट होता है कि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संचालन में समन्वय

स्थापित है जबकि इसके विपरीत 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि केन्द्रीय व प्रादेशिक संचालन में सामजंस्यता का पूर्ण अभाव है। केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकार हमेशा एक दूसरे की टांग खीचतीं रहती है।

सामाजिक समन्वय

न्यायदर्श में निम्न तालिका में धर्म का सामाजिक समन्वय पर प्रभाव दर्शाया गया है।

तालिका 4:49 सामाजिक समन्वय में धर्म का प्रभाव

क्र0सं0	गांव का नाम	धर्म का प्रभाव		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	13 (43.33)	17 (56.67)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	16 (53.33)	14 (46.67)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	9 (30.00)	21 (70.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	11 (36.67)	19 (63.33)	30 (100.00)
5..	रामनगर	15 (50.00)	15 (50.00)	30 (100.00)
	कुल योग	64 (42.67)	86 (57.33)	150 (100.00)

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि 57.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धर्म का सामाजिक समन्वय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके विपरीत 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धर्म का प्रचार जितना अधिक होगा उतना ही सामाजिक समन्वय सुदृढ़ होगा

सामाजिक समन्वय पर विशेष व्यक्ति का प्रभाव

तालिका 4:50 में यह दर्शाश गया है कि विशेष व्यक्ति द्वारा भी सामाजिक समन्वय पर प्रभाव पड़ता है।

क्र0सं0	गांव का नाम	सामाजिक समन्वय पर विशेष व्यक्ति का प्रभाव		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	15 (50.00)	15 (50.00)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	20 (66.67)	10 (33.33)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	18 (60.00)	12 (40.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	22 (73.33)	8 (26.67)	30 (100.00)
5..	रामनगर	17 (56.67)	13 (43.33)	30 (100.00)
	कुल योग	92 (61.33)	59 (38.67)	150 (100.00)

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि 61.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि व्यक्ति विशेष द्वारा सामाजिक समन्वय पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के उत्तरदाताओं का मानना हे कि जैसे राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानन्द सरस्वती, श्रद्धानन्द विवेकानन्द का प्रभाव युगों–2 तक

समाज पर पड़ा है।

इसके विपरीत 38.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि व्यक्ति विशेष का भी प्रभाव सामाजिक समन्वय पर नहीं पड़ता है इन लोगों का मानना है कि जब किसी को उपदेश दिये जाते हैं तो कुछ समय तक तो वह इन विचारों से प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर को आते हैं उनके विचार फिर अपने मूल रूप में प्रकट हो जाते हैं।

मिश्रित प्रयासों द्वारा सामाजिक समन्वय पर प्रभाव

तालिका 4:51 में यह ज्ञात किया गया है कि मिश्रित प्रयासों द्वारा सामाजिक समन्वय पर कितना प्रभाव पड़ता है।

क्र0सं0	गांव का नाम	मिश्रित प्रयासों द्वारा सामाजिक समन्वय पर प्रभाव		कुल योग
		हां	नहीं	
1.	दानपुर	17 (56.67)	13 (43.33)	30 (100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	23 (76.67)	7 (23.33)	30 (100.00)
3.	नरायनपुर	27 (90.00)	3 (10.00)	30 (100.00)
4.	रहमापुर	28 (93.33)	2 (6.67)	30 (100.00)
5..	रामनगर	25 (83.33)	5 (16.67)	30 (100.00)
	कुल योग	120 (80.00)	30 (20.00)	150 (100.00)

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सामाजिक समन्वय में धर्म और व्यक्ति द्वारा दोंनों का मिश्रत प्रभाव समान रूप से सामाजिक समन्वय पर पड़ता है। परन्तु इसके विपरीत 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि ऐसा कोई भी प्रभाव धर्म या व्यक्ति विशेष का सामाजिक समन्वय पर नहीं पड़ता है।

रहमापुर के 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धर्म और व्यक्ति विशेष का सामाजिक समन्वय पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। केवल 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि धर्म या व्यक्ति विशेष का कोई भी प्रभाव सामाजिक समन्वय पर नहीं पड़ता है।

सबसे अधिक 43.33 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं का मत है कि सामाजिक समन्वय पर व्यक्ति विशेष या धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अपराध :

अपराधी जन्म से नहीं होते बल्कि समाज ही उन्हें अपराधी बनाता है। अपराधी कैसे बनते है और किस स्तर के लोग बनते है शोधकर्ता ने धन को आधार मानते हुए निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं का मत स्पष्ट किया है।

तालिका 4:52 धन के आधार पर अपराध की विवेचना

क्र0सं0	गांव का नाम	आपके मत से अपराध किस स्तर के व्यक्ति करते है।				कुल योग
		धनी	निर्धन	मिश्रित	कुछ नहीं कह सकते।	
1.	दानपुर	9	5	15	1	30
		(30.00)	(16.67)	(50.00)	(3.33)	(100.00)
2.	हिम्मतगढ़ी	9	2	15	4	30
		(30.00)	(6.67)	(50.00)	(13.33)	(100.00)
3.	नरायनपुर	10	2	18	–	30
		(33.33)	(6.67)	(60.00)	(–)	(100.00)
4.	रहमापुर	5	3	19	3	30
		(16.67)	(10.00)	(63.33)	(10.00)	(100.00)
5.	रामनगर	16	3	11	–	30
		(53.33)	(10.00)	(36.67)	(–)	(100.00)
	कुल योग	49	15	78	8	150
		(32.67)	(10.00)	(52.00)	(5.33)	(100.00)

तालिका 4.52 से यह ज्ञात होता है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का का कहना था कि अपराधी निर्धन भी हो सकता है और धनी भी अर्थात वे मिश्रित कारण ही मानते है। उनका विचार है कि निर्धन व्यक्ति तभी अपराध करता है। जब उसका पेट भूखा होता है। परन्तु धनी व्यक्ति अपनी गलत संगति, गलत तरीके से धन एकत्रित करने के लिए अपराध करता है।

10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि निर्धनता की अपराध की जननी है। इसके विपरीत 32.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धनवान ही अपराध करते है। उन लोगो का कहना है गरीब आदमी भगवानसे डरता है और मजबूरी में ही छोटे–छोटे अपराध करता है। परन्तु

धनवान व्यक्ति धन की लालसा को पूरा करने के लिए अनुचित कदम उठाता है। परन्तु इसके अलावा 5.33 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी थे जिनका अपराध के बारे में स्पष्ट मत नहीं था।

शोध क्षेत्र में अपराध :

शोध क्षेत्र में अपराध की स्थिति का शोधकर्ता ने निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया है।

तालिका 4:53 शोध क्षेत्र में अपराध की स्थिति

क्र0सं0	गांव का नाम	स्थानीय क्षेत्र मे अधिक अपराध है।				कुल योग	
		सहमत		असहमत			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	22	73.33	8	26.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	20	66.67	10	33.33	30	100.00
3.	नरायनपुर	16	53.33	14	46.67	30	100.00
4.	रहमापुर	15	50.00	15	50.00	30	100.00
5.	रामनगर	15	50.00	15	50.00	30	100.00
	योगफल	88	58.67	62	41.33	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 58.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय क्षेत्र में अधिक अपराध है और इसके विपरीत 41.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि शोध क्षेत्र में अधिक अपराध नहीं है।

अपराध का निराकरण

तालिका 4.54 में शोधकर्ता ने रोजगार द्वारा अपराध के निराकरण के बारे में निम्न लिखित तालिका में वर्णन किया है।

तालिका 4:54 रोजगार द्वारा अपराध का निराकरण

क्र0सं0	गांव का नाम	रोजगार द्वारा संम्भव है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	29	96.67	1	3.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	24	80.00	6	20.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	27	90.00	3	10.00	30	100.00
4.	रहमापुर	30	100.00	—	—	30	100.00
5..	रामनगर	30	100.00	—	—	30	100.00
	योगफल	140	93.33	10	6.67	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि रोजगार के द्वारा अपराध रोके जा सकंते है। रहमापुर तथा रामनगर के शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है। जिससे लोगो में अपराधीकरण की भावना को रोका जा सकता है।

परन्तु इसके विपरीत 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि रोजगार के द्वारा अपराध का प्रतिशत तो कम किया जा सकता है लेकिन पूर्ण निराकरण संम्भव नहीं।

इन लोगो के अनुसार कुछ अपराध परिस्थितियों तथा सामाजिक व्यवस्था के कारण रोजगार होने पर भी हो जाते है।

राजनैतिक प्रभाव

राजनैतिक प्रभाव द्वारा अपराधो के निराकरण के बारे में निम्न लिखित तालिका का वर्णन किया गया है।

तालिका 4:55 राजनैतिक प्रभाव द्वारा अपराध का निराकरण

क्र0सं0	गांव का नाम	राजनैतिक प्रभाव द्वारा संम्भव है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	12	40.00	18	60.00	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	15	50.00	15	50.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	8	26.67	22	73.33	30	100.00
4.	रहमापुर	23	76.67	7	23.33	30	100.00
5..	रामनगर	12	40.00	18	60.00	30	100.00
	योगफल	70	46.67	80	53.33	150	100.00

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है। कि राजनैतिक प्रभाव से अपराधों का निराकरण नहीं हो सकता है। इन लोगो का मत था। राजनैतिक दलों में स्वयं ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग घुस गये है। तो वह अपराध को बढ़ावा तो दे सकते है लेकिन अपराध कम करने का प्रयत्न नहीं कर सकते।

दूसरी तरफ 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि राजनैतिक

प्रभाव के माध्यम से अपराध का निराकरण किया जा सकता है। इन लोगों का मत था कि अगर राजनैतिक दलों में अच्छे ईमानदार तथा चरित्रवान प्रशासनिक कुशलता वाले लोग हो तो वे अपनी प्रशासनिक कुशलता तथा अच्छे व्यवहार से अपराधो पर अंकुश लगा सकते है।

राजनैतिक दल

तालिका 4.56 में राजनैतिक दलों की अपराध के निराकरण में भूमिका का वर्णन किया गया है।

तालिका 4:56 राजनैतिक दलों के अपराध के निराकरण पर प्रभाव

क्र0 सं0	गांव का नाम	किसी दल विशेष द्वारा संम्भव है तो दल का नाम बताओं								कुल योग	
		हां		दल का नाम				नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	भा.ज.पा	कांग्रेस	स.पा.	ब.स.पा	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	8	26.67	6	1	–	1	22	73.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	3	10.00	–	1	–	2	27	90.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	13	43.33	8	1	1	3	17	56.67	30	100.00
4.	रहमापुर	3	10.00	2	–	–	1	27	90.00	30	100.00
5..	रामनगर	9	30.00	5	1	2	1	21	70.00	30	100.00
	योगफल	36	24.00	21 58.32	4 11.11	3 8.33	8 22.22	114	76.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि किसी भी दल विशेष द्वारा अपराध का निराकरण नहीं हो सकता है। इसके विपरीत 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का

मत है कि राजनैतिक दलों की सक्रीय भूमिका से अपराध का निराकरण संम्भव है।

इन 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 58.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता मे आये तो अपराधो का निराकरण हो जायेगा। इन लोगों के दिमाग में या तो भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छ छवि थी या उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।

महान व्यक्तियों के माध्यम से अपराध का निराकरण

तालिका 4.57 में महान व्यक्तियों के कारण अपराध में निराकरण की विवेचना की गयी है।

तालिका 4:57 महान व्यक्तियों के माध्यम से अपराध का निराकरण

क्र0सं0	गांव का नाम	किसी व्यक्ति द्वारा संम्भव है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	2	6.67	28	93.33	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	–	–	30	100.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	4	13.33	26	86.67	30	100.00
4.	रहमापुर	–	–	30	100.00	30	100.00
5..	रामनगर	–	–	30	100.00	30	100.00
	योगफल	6	4.00	144	96.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है। 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं

का मत कि महान व्यक्तियों द्वारा भी अपराध पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है। इन लोगो का विचार था कि उनका उपदेश जब तक लोग सुनते हैं तभी तक प्रभाव रहता है। इसमें दिन वह प्रभाव समाप्त हो जाता है। उनका मानना है कि शायद महान पुरूष भी अपने मन वचन कर्म से शुद्व नहीं होता है। इसी कारण प्रभाव स्थायी नहीं होता है। इसके विपरीत 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है। महान व्यक्तियों द्वारा ही अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।

समस्त प्रकार के प्रयासो द्वारा अपराध का निराकरण

तालिका 4.58 में समस्त प्रकार के प्रयासों का अपराध के निराकरण पर प्रभाव का वर्णन किया गया है।

तालिका 4:48 समस्त प्रकार के प्रयासों द्वारा अपराध का निराकरण

क्र0सं0	गांव का नाम	समस्त प्रकार के प्रयासो द्वारा संम्भव है। हां		नहीं		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	7	23.33	23	76.67	30	100.00
2.	हिम्मतगढ़ी	24	80.00	6	20.00	30	100.00
3.	नरायनपुर	26	86.67	4	13.33	30	100.00
4.	रहमापुर	7	23.33	23	76.67	30	100.00
5..	रामनगर	23	76.67	7	23.33	30	100.00
	योगफल	87	58.00	63	42.00	150	100.00

उपर्युक्त तालिका की विवेचना से यह पता चलता है कि 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि अगर समस्त प्रकार के प्रयास किये जाय तो अपराध का निराकरण किया जा सकता है।

इसके विपरीत पर 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है। समस्त प्रकार के प्रयासो के फलस्वरूप भी अपराध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किये जा सकते वरन् कम अवश्य किये जा सकते है।

समाजशास्त्रीय मूल्यांकन

जनपद बुलंदशहर की जनसंख्या में पुरूषों की तुलना में औरतों की जनसंख्या कम है। जिससे विदित होता है कि औरतों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर यहाँ कम ध्यान दिया जाता है। गांव की जनसंख्या शहर से चार गुनी से ज्यादा अधिक है। अर्थात कृषि यहां के लोगों का मुख्य धन्धा है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0 655 है जो सामान्य से अधिक है। जिससे लोगो का रहन सहन का स्तर पड़ोसी राज्य पंजाब से निम्न स्तर का है। जनपद के साक्षरता का प्रतिशत मात्र 44.7 है। इसमें भी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। औरतों के शिक्षा का स्तर (24.3) पुरूषों के शिक्षा स्तर (62.0) से बहुत कम है। जनपद में पितृ सत्रात्मक अधिकांश संयुक्त परिवार है। जो मुखिया के सामान्य नियंत्रण में प्रेम पूर्वक रहते है। जनपद में अधिकांश पिछड़ी जाति के लोग है। अध्ययन के अनुसार लोगों का मत है कि जाति प्रथा आर्थिक सामाजिक विकास का बाधक है। सर्वे के

अनुसार अधिकांश औरते परदे में रहती है। जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लोग धर्मभीरू और सामाजिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि. मी. बहुत अधिक है। जिससे यहां के अधिकांश लोग निरक्षर है। निरक्षरता का प्रतिशत औरतों में बहुत अधिक है। जिससे उनकी मृत्यु दर पुरूषों से अधिक हैं। साथ ही औरतें पर्दाप्रथा, रूढ़वादिता और धार्मिक अन्ध विश्वास जैसी बुराईयों से ग्रस्त है। जिससे यहां के लोगों में निर्धनता और बेरोजगारी अधिक है। अतः जनपद में शिक्षा के स्तर, विशेष कर औरतों के शिक्षा स्तर में सुधार किया जाय। जिससे लोग अन्ध विश्वास, रूढ़वादिता से मुक्ति पाकर अपने आर्थिक–सामाजिक स्तर में बृद्धि कर सके। शिक्षा सुधार में सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का संतुलित सहयोग अधिक उपर्युक्त होगा।

अध्याय - पंचम

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विकास कार्यक्रम

अध्याय - ५

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकास कार्यक्रम

सामान्य विवरण

स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने जो सर्वप्रथम समस्या उत्पन्न हुई। वह थी भारत की अत्यंत दयनीय आर्थिक दशा एवं सामाजिक दशा। आर्थिक दशा में खाद्यान्न की समस्या सर्व प्रथम उत्पन्न हुई। जिसके लिये मात्र दो विकल्प थे– पहला बाहर से खाद्यान्न का आयात और दूसरा कृषि उत्पादन में वृद्धि। सामाजिक दशा सुधारने में सर्व प्रथम शिक्षा की समस्या उत्पन्न हुई। शिक्षा एवं खाद्यान्न उत्पादन की समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार ने पंच वर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रान्ति का दौर भारत में शुरू हुआ। परन्तु हरित क्रान्ति का सारा लाभ गांव के बड़े किसानों तक सीमित रहा है। हरित क्रान्ति के आर्थिक–सामाजिक लाभ से लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर और अन्य ग्रामीण लोग, जो गांव में रहते थे, वंचित रहे। इन्हीं ग्रामीण, साधन विहीन परिवारों के लिये भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अनेक विकास कार्यक्रम बनाये।

विकास संस्थायें

कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण सामाजिक जीवन–स्तर सुधार के लिये समाजशास्त्रियों ने जहाँ कृषि

वैज्ञानिकों के सहयोग से अनेक उपाय किये हैं वहीं छोटे किसानों की लघु जोतों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार ने अनेक विकास कार्यक्रम चलाये, इन कार्यक्रमों की लम्बी सूची में पंचवर्षीय योजनाओं का महत्वपूण स्थान है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जहां कृषि उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया वहीं ग्रामीण जनता को शिक्षित करने और उनके जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये गये। जिनमें प्रमुख हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना, अधिक अन्न उपजाओ, सूखा राहत कार्यक्रम, बारानी खेती लघु कृषक विकास संस्था, सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि। इन ग्रामीण योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों की स्थापना 26 सितम्बर 1975 से की गई। इसका अगला कदम सरकार द्वारा लीड बैंक योजना की शुरूआत करके ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने के लिये कम ब्याज पर त्रृण उपलब्ध कराया गया तथा अपरिहार्य कारणों से किसानों पर अवरुद्ध बैंक रकम वसूली के लिये कई उत्साहपूर्ण छूट की घोषणायें की गईं। इन कार्यक्रमों के साथ–साथ सरकार ने भूमि सुधार योजना, विशेष ऋण योजना, भण्डारण एवं विचारन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, खादों एवं बीजों पर छूट, निरक्षरता उन्मूलन योजना, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों, तकनीकी ज्ञान वृद्धि योजना, कृषि अनसंधान एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, आदि जैसे आर्थिक सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों पर बल दिया गया। कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना न्याय पंचायत स्तर पर की गई। भूमि विकास बैंकों की स्थापना, सघन खेती का प्रदर्शन, जिलों को चुनकर अधिक पैदावार देने वाली

प्रजातियों का प्रदर्शन, कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण आर्थिक सामाजिक विकास से ही सम्बन्धित हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार की प्रत्येक गांव में चलने वाली सबसे बड़ी आर्थिक–सामाजिक सुधार की योजना है।

शिक्षा के क्षेत्र में–प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ महिला शिक्षा प्रसार एवं विकास के लिये स्कूल एवं कालेजों की स्थापना के साथ–साथ अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये। पर्यावरण सुधार के लिये जंगल लगाने के साथ–साथ धुयें रहित चूल्हों का विकास किया गया तथा बायोगैस संयंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिये गांवों, हैण्डपम्पों एवं नल कूपों की व्यवस्था की गई।

विकास सन्दर्भ

स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों का विवरण

शोध क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित तालिका में किया गया है, जो निम्न प्रकार है।

तालिका 5.1

क्र0सं0	गांव का नाम	स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उचित प्रयास किये गये				कुल योग	
		हां		नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	28	93.33	2	8.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
4.	रहमापुर	19	63.33	11	36.67	30	100 %
5.	रामनगर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
	योगफल	130	86.67	20	13.33	150	100 %

उपरोक्त तालिका के विवरण से यह सुस्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा संचालित स्थानीय क्षेत्र में विकास के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 86.67 प्रतिशत ही उचित प्रयास किये हैं। लेकिन इसके विपरीत 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कोई भी उचित प्रयास नहीं किये गये।

दानपुर में सबसे अधिक 96.67 प्रतिशत उचित प्रयास किये गये और इससे कम 93.33 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी तथा रामनगर में विकास के उचित प्रयास किये गये। इसके विपरीत 3.33 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय क्षेत्र में स्वतंत्रता के पश्चात विकास के काई उचित प्रयास नहीं किये गये।

पंचवर्षीय योजनायें

पंचवर्षीय योजनाऐं विकास का प्रभावी माध्यम

उत्तरदाताओं के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पंचवर्षीय योजनाऐं विकास का प्रभावी माध्यम हैं अथवा नहीं तालिका 5.2

क्र0सं0	गांव का नाम	पंचवर्षीय योजनाऐं विकास का प्रभावी माध्यम				कुल योग	
		हां		नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	27	90.00	3	10.00	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	25	83.33	5	16.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	30	100.00	–	–	30	100 %
4.	रहमानपुर	25	83.33	5	16.67	30	100 %
5.	रामनगर	28	99.33	2	6.67	30	100 %
	योगफल	135	90.00	15	10.00	150	100 %

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि पंचवर्षीय योजनायें ही विकास का प्रभावी माध्यम है। जबकि इसके विपरीत 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह स्पष्ट विचार है कि पंचवर्षीय योजनायें विकास का कोई प्रभावी माध्यम नहीं है। नरायनपुर के अधिकतम शत प्रतिशत उत्तरदाता अपना मत पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में देते हैं तथा इससे कम 93.33 रामनगर के उत्तरदाता भी पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

इसके विपरीत अधिकतम 16.67 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी तथा रहमानपुर के उत्तरदाता पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का प्रभावी माध्यम नहीं मानते हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त योगदान

शोध क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकार द्वारा निरंतर योगदान दिया जा रहा है या राज्य सरकार की भूमिका नगण्य है। इसका विश्लेषण तालिका 5.3 में इस प्रकार दिया गया है

क्र0सं0	गांव का नाम	राज्य सरकार द्वारा निरन्तर योगदान दिया जा रहा है।				कुल योग	
		हां		नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	24	80.00	6	20.00	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	30	100.00	–	–	30	100 %
3.	नरायनपुर	27	90.00	3	10.00	30	100 %
4.	रहमानपुर	17	56.67	13	43.33	30	100 %
5.	रामनगर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
	योगफल	127	84.67	23	15.33	150	100 %

तालिका 5.3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 84.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा निरंतर योगदान दिया जारहा है लेकिन इसके विपरीत 15.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि स्थानीय क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है।

हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं का शतप्रतिशत विचार यह है कि राज्य सरकार द्वारा निरन्तर योगदान दिया जारहा है। और सबसे कम 56.67 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं का भी मत यही है।

इसके विपरीत अधिकतम 43.33 प्रतिशत रहमापुर के उत्तरदाताओं का विचार यह है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है। और निम्नतम 3.33 प्रतिशत रामनगर के उत्तरदाता भी इसी बात का समर्थन करते हैं।

स्थानीय व्यक्तियों का योगदान

शोध क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति विकास कार्यक्रमों में कितना योगदान करते हैं। इस का वर्णन निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 5.4

क्र0सं0	गांव का नाम	विकास कार्यक्रमों में स्थानीय व्यक्ति योगदान करते है						कुल योग	
		हां		नहीं		कुछ नहीं कह सकते		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	23	76.67	7	23.33	–	–	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	14	46.67	16	53.33	–	–	30	100 %
3.	नरायनपुर	16	53.33	14	46.67	–	–	30	100 %
4.	रहमानपुर	9	30.00	19	63.33	2	6.67	30	100 %
5.	रामनगर	14	46.67	16	53.33	–	–	30	100 %
	योगफल	76	50.67	72	48.00	2	1.33	150	100 %

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं का मत है कि 50.67 प्रतिशत ही विकास कार्यक्रमों में स्थानीय व्यक्ति योगदान करते हैं तथा 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि स्थानीय व्यक्ति विकास कार्यक्रमों में कोई योगदान नहीं करते तथा 1.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई स्पष्ट मत प्रकट नहीं कर सके।

संचालन : विकास कार्यक्रमों के संचालन के बारे में निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 5.5 विकास कार्यक्रमों में प्रशासनिक संचालन

क्र0सं0	गांव का नाम	संचालन के रूप में				कुल योग	
		हां		नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	24	80.00	6	20.00	30	100 %
3.	नरायनपुर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
4.	रहमानपुर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
5.	रामनगर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
	योगफल	131	87.33	19	12.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह सुस्पष्ट है कि 87.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि विकास कार्यक्रमों में अगर अच्छे ईमानदार और कुशल कर्मचारी रखे जाय तो विकास कार्यक्रमों का संचालन उचित रूप से होगा।

परन्तु इसके विपरीत 12.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि विकास कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों का कोई योगदान नहीं है। परन्तु शोधकर्ता ने अध्ययन क्षेत्र में यह कहते हुये पाया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं कहा है कि विकास कार्यक्रमों के लिये जो धन दिया जाता है। उसमें 85 प्रतिशत कर्मचारी लोग खा जाते है। 15 प्रतिशत ही विकास कार्यक्रमों में लगता है।

जातिगत संचालन

जाति के आधार पर विकास कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित तालिका में वर्णन दिया गया है।

तालिका 5.6 : विकास कार्यक्रमों का जातिगत संचालन

क्र0सं0	गांव का नाम	जाति के आधार पर				कुल योग	
		हां		नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	4	13.33	26	86.67	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	4	13.33	26	86.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	4	13.33	26	86.67	30	100 %
4.	रहमानपुर	7	23.33	23	76.67	30	100 %
5.	रामनगर	3	10.00	27	90.00	30	100 %
	योगफल	22	14.67	128	85.33	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह सुस्पष्ट है कि 85.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि विकास कार्यक्रमों का जाति के आधार पर संचालन नहीं होना चाहिये तथा इसके विपरीत 14.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जातिगत आधार पर ही विकास कार्यक्रमों का संचालन करवाने का मत व्यक्त किया है।

इन लोगों का मत है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो समाज की मुख्य धारा से अलग है। इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाय और उनके लिए ऐसे विकास कार्यक्रम संचालित किये जाये जिनसे उनका विकास हो, उनकी आमदनी बढ़े जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा हो। ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाय।

इसकी तरफ 85.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मत व्यक्त किया है कि जातिगत आधार पर विकास कार्यक्रमों का संचालन नहीं होना चाहिये। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और समाज में वैमन्स्य फैलेगा। जो देश की एकता के लिये घातक है।

तालिका 5.7

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गांव में चलने वाली योजनाओं का लक्ष्य तथा प्राप्ति गांव वार निम्न लिखित तालिका में दिये गये है।

योजना में गांव–वार लक्ष्य तथा प्राप्ति

क्र0 सं0	योजनाऐं	गांव										कुलयोग	
		दानपुर		हिम्मतगढ़ी		नरायनपुर		रामनगर		रहमानपुर			
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	निर्बल वर्ग योजना	14	10	10	10	8	8	5	5	—	—	7.40(100)	6.60(89.2)
2.	बायो गैस	8	6	6	5	5	4	3	2	2	1	4.80(100)	3.60(75.00)
3.	नसबन्दी	300	250	241	200	201	150	40	35	35	28	163.40(100)	32.6(81.15)
4.	स्वतः रोजगार योजना	3	3	2	2	4	4	7	6	12	4	5.6 (100)	3.8 (69.85)
5.	विधवा पेंशन	25	25	23	23	15	15	10	10	5	5	15.6 (100)	15.6 (100)
6.	अल्प बचत योजना	48.57 प्रति.	36.37 प्रति.	35.71%	21%	21.91%	25%	54%	41%	18.42%	14.71%	35.802(100)	27.616(71.13)
7.	साक्षरता अभियान	100प्रति.	100प्रति.	100%	99.00%	100%	90%	100%	93.33%	100%	67.67%	100 (100)	90.00(90.00)
8.	मातृ लाभ योजना	150	150	140	140	101	101	20	20	17	17	85.6 (100)	85.6(100)
9.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	25	25	20	20	15	15	17	17	14	14	18.2 (100)	18.2(100)

क्र0 सं0	योजनाऐं	गांव										कुलयोग	
		दानपुर		हिम्मतगढ़ी		नरायनपुर		रामनगर		रहमापुर			
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	विकलांग पेंशन योजना	2	2	2	2	4	4	2	2	3	3	2.6 (100)	2.6 (100)
11.	जवाहर रोजगार योजना	105	105	80	80	85	85	45	45	35	35	70 (100)	70 (100)
12.	महिला समृद्धि योजना	5	5	10	10	5	5	2	2	4	4	5.2 (100)	5.2 (100)
13.	पारिवारिक पेंशन योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	उन्नत दुग्ध पशु	155	155	124	124	100	100	20	20	17	17	83.2 (100)	83.2 (100)
15.	बकरी पोषणा	20	20	18	18	14	14	16	16	15	15	16.6 (100)	16.6 (100)
16.	सुअर पालन	5	5	3	3	2	2	1	1	1	1	2.4 (100)	2.4 (100)
17.	मुर्गी पालन	7	7	5	5	4	4	3	3	2	2	4.2 (100)	4.2 (100)

विकास कार्यक्रम में पारिवारिक सदस्यों का योगदान

तालिका 5.8 में स्थानीय क्षेत्र के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य किस प्रकार की भूमिका निभाते है इसका वर्णन निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका 5.8 : आर्थिक विकास कार्यक्रम में पारिवारिक सदस्यों की भूमिका

क्र0सं0	गांव का नाम	आर्थिक विकास कार्यक्रमों में आपके परिवार के सदस्य प्रभावी भूमिका निभाते है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	13	43.33	17	56.67	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	21	70.00	9	30.00	30	100 %
3.	नरायनपुर	18	60.00	12	40.00	30	100 %
4.	रहमानपुर	20	66.67	10	33.33	30	100 %
5.	रामनगर	17	56.67	13	43.33	30	100 %
	योगफल	89	59.33	61	40.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में 59.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों में अपना योगदान करते है। जब कि 40.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाते हैं।

अधिकतम 70 प्रतिशत हिम्मतगढ़ी के उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तथा निम्नतम 43.33 प्रतिशत दानपुर के उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्य विकास कार्यक्रमों में भूमिका निभाते हैं।

जनशोषण

सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के नाम पर व्यक्तियों का शोषण किया जाता है या उनकी हर तरह की सहायता की जाती है। इसका वर्णन निम्न लिखित तालिका में इस प्रकार किया गया है।

तालिका 5.7 : विकास कार्यक्रम के नाम पर जनशोषण

क्र0सं0	गांव का नाम	विकास कार्यक्रमों के नाम पर व्यक्तियों का शोषण किया जाता है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	27	90.00	3	10.00	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	29	96.67	1	3.33	30	100 %
3.	नरायनपुर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
4.	रहमानपुर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
5.	रामनगर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
	योगफल	142	94.67	8	5.33	150	100 %

तालिका 5.9 के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि 94.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों को नाम पर जनता का भरपूर शोषण किया जाता है। इन लोगों का यह मानना है कि जो विकास योजनाए होती हैं उनकी पूर्ण जानकारी सरकारी अफसरों द्वारा जनता तक नहीं पहुचाई जाती है। और जो व्यक्ति विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभ उठाने का प्रयास करता है उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है।

इसके विपरीत 5.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत हैं। कि विकास कार्यक्रमों के नाम पर व्यक्तियों को कोई शोषण नहीं किया जाता है। वरन जनता को इन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

विकास कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता

सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं इसका विश्लेषण निम्न लिखित तालिकाओं में इस प्रकार किया गया है।

आर्थिक रूप में

विकास कार्यक्रमों के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन। इस विषय पर तालिका 5.10 में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 5.10

क्र0सं0	गांव का नाम	आर्थिक रूप में				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	24	80.00	6	20.00	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	25	83.33	5	16.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	27	90.00	3	10.00	30	100 %
4.	रहमानपुर	20	66.67	10	33.33	30	100 %
5.	रामनगर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
	योगफल	122	81.33	28	18.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में 81.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि विकास कार्यक्रमों के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आवश्यक है विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिये जो धन मिलता है वह कम है। विकास कार्यक्रमों के लिए और अधिक धन मिलना चाहिए।

इसके विपरीत 18.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि जो धन विकास कार्यक्रमों के लिए दिया जा रहा है। वह उचित है।

धर्म :–

धर्म के आधार पर विकास कार्यक्रम के स्वरूपों में परिवर्तन का वर्णन निम्न लिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 5.11 : धर्म के आधार पर विकास कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन

क्र0सं0	गांव का नाम	धर्म के आधार				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	8	26.67	22	73.33	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	7	23.33	23	76.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	2	6.67	28	93.33	30	100 %
4.	रहमानपुर	4	13.33	26	86.67	30	100 %
5.	रामनगर	3	10.00	27	90.00	30	100 %
	योगफल	24	16.00	126	84.00	150	100 %

उपर्युक्त तालिका 5.11 यह दर्शाती है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है। कि धर्म के आधार पर विकास कार्यक्रमों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात् धर्म का और विकास कार्यक्रमों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। सरकार धर्म के आधार पर कोई योजना स्वीकृत नहीं करती है। क्योंकि ऐसा करने से समाज में विघटन का भ्रम रहता है।

परन्तु इसके विपरीत 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है। कि सरकार को धर्म के आधार पर भी विकास कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। यह उत्तरदाता संकीण विचार धारा के थे। जिनका सोचने का क्षेत्र सीमित था।

विदेशी शक्तियों का विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव

विदेशी शक्तियों का एकीकृत विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव का वर्णन निम्न लिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 5.12 : विदेशी शक्तियों का विकास कार्यक्रम पर प्रभाव

क्र0सं0	गांव का नाम	विदेशी शक्तियां उचित विकास कर सकती है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	3	10.00	27	90.00	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	9	30.00	21	70.00	30	100 %
3.	नरायनपुर	11	36.67	19	63.33	30	100 %
4.	रहमानपुर	9	30.00	21	70.00	30	100 %
5.	रामनगर	6	20.00	24	80.00	30	100 %
	योगफल	38	25.33	112	74.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 74.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि विदेशी शक्तियां भारत में उचित विकास कार्य नहीं कर सकती है उनका मानना है कि विदेशी शक्तियों को भारत के रहन–सहन आर्थिक दशा, जलवायु तथा सामाजिक ढ़ाचे के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान नहीं है। जितना भारतीय वैज्ञानिकों को है।

परन्तु 25.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विदेशी शक्तियां भारत में समुचित विकास कर सकती है।

कृषि के साधन

शोघ क्षेत्र में कृषि योग्य साधन प्रचुर मात्रा में है कि नहीं इसका वर्णन निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 5.13 : शोध क्षेत्र में कृषि योग्य साधन

क्र0सं0	गांव का नाम	शोध क्षेत्र में कृषि योग्य साधन प्रचुर मात्रा में है				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	11	36.67	19	63.33	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	10	33.33	20	66.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	10	33.33	20	66.67	30	100 %
4.	रहमानपुर	20	66.67	10	33.33	30	100 %
5.	रामनगर	14	46.67	16	53.33	30	100 %
	योगफल	65	43.33	85	56.67	150	100 %

तालिका 5.13 से यह पता चलता है कि 56.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शोध क्षेत्र में कृषि योग्य साधन प्रचुर मात्रा में नहीं है। इसलिये खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाती है।

इसके विपरीत 43.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शोध क्षेत्र में कृषि योग्य साधन प्रचुर मात्रा में है।

औद्योगिक इकाई

स्थानीय क्षेत्र में बृहद औद्योगिक इकाई की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है।

तालिका 5.14 : शोध क्षेत्र में औद्योगिक इकाई

क्र0सं0	गांव का नाम	शोध क्षेत्र में औद्योगिक इकाई की आवश्यकता है।				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	28	93.33	2	6.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	30	100.00	–	–	30	100 %
4.	रहमानपुर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
5.	रामनगर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
	योगफल	140	93.33	10	6.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शोध क्षेत्र में वृहद औद्योगिक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है। नरायनपुर के उत्तरदाता शतप्रतिशत औद्योगिक इकाई की कमी महसूस करते हैं।

इसके विपरीत 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शोध क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बाल कल्याण

सरकार द्वारा संचालित बाल कल्याण की विकास योजनाओं का निम्नलिखित तालिका मे वर्णन किया गया है।

तालिका 5.15 : बाल कल्याण की प्रशासनिक योजनाओं के प्रति विचार

क्र0सं0	गांव का नाम	बाल कल्याण की प्रशासनिक योजनाये उचित है				कुल योग	
		सहमत		असहमत			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	30	100.00	–	–	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	27	90.00	3	10.00	30	100 %
3.	नरायनपुर	29	96.67	1	3.33	30	100 %
4.	रहमानपुर	27	90.00	3	10.00	30	100 %
5.	रामनगर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
	योगफल	141	94.00	9	6.00	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह सुस्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही बाल कल्याण योजनाये जैसे ऑगनवाड़ी, बच्चों को पोषाहार योजना उचित है। और उनका विचार है कि यह योजनाये उचित रूप से समाज में चलायी जाये।

इसके विपरीत 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि ऐसी योजनाओं से कोई फायदा नहीं है। सब पैसा अधिकारी आपस मे बांट कर खा जाते हैं।

एकीकृत विकास योजना का विकास पर प्रभाव

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्थानीय क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ा एवं उत्तरदाताओं की विचार धारा का निम्न तालिका मे विश्लेषण किया गया है।

तालिका 5.16 : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव

क्र0सं0	गांव का नाम	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव				कुल योग	
		हां		नहीं			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	दानपुर	22	73.33	8	26.67	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	20	66.67	10	33.33	30	100 %
3.	नरायनपुर	28	93.33	2	6.67	30	100 %
4.	रहमानपुर	26	86.67	4	13.33	30	100 %
5.	रामनगर	20	66.67	10	33.33	30	100 %
	योगफल	116	77.33	34	22.67	150	100 %

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 77.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकार द्वारा संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से स्थानीय क्षेत्र का समुचित विकास हुआ है।

इसके विपरीत 22.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है वरन् सरकारी कागजों में विकास का प्रतिशत बढ़ा है।

सरकारी आर्थिक मदद

शोधकर्ता ने 150 उत्तरदाताओं में गहरी छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी उत्तरदाता के परिवार में किसी भी प्रकार की सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिलती है।

कुटीर उद्योग के प्रति दृष्टिकोण

तालिका 5.17 में सरकार द्वारा संचालित कुटीर उद्योग के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है।

तालिका 5.17 : कुटीर उद्योग के प्रति दृष्टिकोण

क्र0सं0	गांव का नाम	कुटीर उद्योग के प्रति आपका दृष्टिकोण						कुल योग	
		उचित		अनुचित		कुछ नहीं कह सकते		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1.	दानपुर	28	93.33	–	–	2	6.67	30	100 %
2.	हिम्मतगढ़ी	28	93.33	–	–	2	6.67	30	100 %
3.	नरायनपुर	27	90.00	1	3.33	2	6.67	30	100 %
4.	रहमानपुर	23	76.67	2	6.67	5	16.66	30	100 %
5.	रामनगर	29	96.67	1	3.33	–	–	30	100 %
	योगफल	135	90.00	4	2.67	11	7.33	150	100 %

उपर्युक्त तालिका से यह सुस्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार कुटीर उद्योग धन्धों के प्रति उचित है। तथा 2.67 प्रतिशत उत्तरदाता शोध क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को उचित नहीं मानते। इसके अतिरिक्त 7.33 प्रतिशत उत्तरदाता कुटीर उद्योगों के बारे में अपने विचार प्रकट नहीं कर सके।

'वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के लिये देश के लगभग प्रत्येक गांव में चलने वाली एकीकृत विकास संस्था का विवरण नीचे दिया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन् 1978–79 में प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम समाज में निर्वल वर्ग के परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिये प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम प्रारम्भ में देश के 2300 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिये उन परिवारों को उपज तथा अन्य व्यय वढ़ाने वाली सुविधायें प्राप्त कराना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम शुरू में देश के 2300 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया था। इसके बाद हर वर्ष नये 300 विकास खण्ड इस योजना में सम्मिलित किये गये। इसके बाद 2 अक्टूबर 1980 को देश के 550 विकास खण्डों में इस योजना को समायोजित किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लघु कृषक विकास एजेन्सियों तथा सीमान्त कृषक, कृषि मजदूर, बटाईदार, एजेन्सियों को इसमें सम्मिलित किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मलित किया जाता है जो गरीबों में भी अधिक गरीब हैं, जैसे लघु और सीमान्त कृषक, कृषि एवं भूमिहीन श्रमिक, कुम्हार, बढ़ई, मोची, छोटे दुकानदार तथा ऐसे सभी परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन

यापन कर रहे हों। (वे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 9400 या इससे कम)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 मिलियन गरीब परिवारों को सम्मिलित करना प्रस्तावित था। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हर वर्ष 600 परिवार एक विकास खण्ड में प्रत्येक वर्ष सम्मिलित किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 4500 करोड़ रूपया व्यय करने की योजना थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी दूर करना तथा अत्यन्त गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का (टारजेट ग्रुप) की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 26 करोड़ है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को उत्पादक सम्पत्ति तथा उत्पादक साधन एकत्रित करने से है ताकि वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर उससे अपनी आमदनी बढ़ाकर गरीबी रेखा से अपना स्तर ऊंचा उठा लें। इस योजना के दो उद्देश्य हैं प्रथम रोजगार बढ़ाना तथा अमदनी बढ़ाना कृषि में उत्पादक खर्च करके तथा ग्रामीण उद्योग धन्धे वे भी आर्थिक क्रिया कलाप विशेषकर आर्थिक क्रिया कलाप जो कि एक परिवारों को लाभप्रद हो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न आर्थिक कार्य कलापों में धन खर्च किया जाता है परन्तु यह खर्च जब तक बैंक इत्यादि को स्वीकार्य नहीं होगा तब तक उन परिवारों को, जिनको फायदा हो रहा है। खर्च करने को धन नहीं मिलेगा। वित्तीय बंटवारें के अनुसार पहले यह अलग–अलग ब्लाकों के लिये

अलग–अलग थी जिसकी सीमा दो लाख से दस लाख एक ब्लाक के लिये निर्धारित थी। सन् 1980 से 1981 तक वित्तीय बटवारे में समान ब्लाकों की समानता थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय बटवारा 35 लाख प्रत्येक ब्लाक के लिए रखा गया था। यह बटवारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों में 50:50 का हो गया था। छठी योजना, के दौरान 150 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी और इस योजना के अन्तर्गत 300 परिवार प्रत्येक ब्लाक से लिये गये थे।

योजना विचारक मनुष्य (जो फायदा लेता है) की पहचान उस आधार पर कर लेते हैं जिस प्रकार रोग के लक्षण जो रोगी नहीं अनुभव कर पाता परन्तु वैद्य देख लेता है तथा संगठनों के द्वारा पूँछताँछ के आधार पर पहचान की जा चुकी है वर्तमान प्रत्येक वर्ष में कमसे कम 600 परिवारों को प्रत्येक ब्लाक में इसी प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ण किये गये हैं लगभग 400 परिवार कृषि के माध्यम से तथा सम्बन्धित क्रिया कलापों से लाभान्वित हुये होंगे, लगभग 100 परिवार ग्राम तथा कुटीर के उद्योग से लाभान्वित हुये होंगे इसके अतिरिक्त 100 परिवारों की नौकरी विभाग ने एक वर्ष में सहायता की होगी। पहचान हो जाने के बाद प्रत्येक घरेलू उद्योग, उपयोगी वित्तीय क्रिया कलाप में उपयोगी परामर्श तथा उपयोगी बैंक योजनाओं को लागू किया गया होगा। जो मनुष्य लाभान्वित होंगे उनको कुछ जोखिम उठाना होगा, योजना लागू करने से पहले उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता तथा उसकी वास्तविक आमदनी का आंकलन करना होगा। योजना पूर्ण रूप से राहत

सम्बन्धी तथा बैंक ऋण से लिया वित्त होता है, जो सहकारी व वाणिज्य बैंक इस योजना के लिये बनाये गये हैं। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य उन सम्मिलित परिवारों, जो बैंक में ऋण लेते वक्त किसी प्रकार की सुरक्षा की गारन्टी पहले नहीं देने की स्थिति में हैं के लिये है। बैंक संस्थान को कम से कम ब्याज (4 प्रतिशत वर्तमान) निर्देशित करना होगा प्रत्येक लाभान्वित परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 9400/– से कम है। एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं का अधिकार राज्य सरकार को है। ब्लाक स्तर की योजनाओं का अनुमोदन राज्य सह संचालन समिति जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संचालित हो। द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों की समय–समय पर बैठकें करके कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश देकर राज्य में योजनायें चलाई जाती हैं योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र में जिला स्तर की ग्रामीण विकास संगठन और ब्लाक द्वारा होता है।

प्रत्येक ब्लाक के लिये समझाने योग्य कार्यक्रम जिला स्तर पर टीम और अर्थशास्त्र क्रमबद्ध गठन करने में निपुण खाते नाम करने बाला योजना अधिकारी छोटे और कुटीर उद्योग अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। जो एक जिला ग्रामीण विकास संगठन का हिस्सा होता है निरीक्षण के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारी संगठन बनाये गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरक्की सितम्बर 1983 तक ग्रामीण रोजगार तथा कार्य पूर्ण करने की तुलना में संतोषजनक थी। इससे परे कार्य पूर्ण करने से सम्बन्धित

इसको पाना बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक होता है। जिसका लक्ष्य 102 प्रतिशत से अधिक होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तरक्की आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में क्रमशः 142 प्रतिशत, 117 प्रतिशत, 185 प्रतिशत उद्देशीय परिवारों में निकाली गई है।

केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रिमण्डल, भारत सरकार, नई दिल्ली की सम्पूर्ण उत्तरदायी होते हैं जैसे कार्यक्रम बनाने बाला निर्देशित करने के लिये यह ग्रामीण विकास विभाग से सचिव अध्यक्ष तथा विभिन्न मन्त्रीमण्डल के सदस्यों से संचालन की जाती हैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की 50:50 की भागीदारी होती है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निर्देशन समिति आन्तरिक निर्देशन विभाग की मदद के लिये नियुक्ति की जाती है। जिलाधीश के सभापति के पद उपायुक्त के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास संगठन के माध्यम से राज्य स्तर पर कार्यक्रम पूर्ण किये जाते हैं, ब्लाक स्तर पर बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 ओ0 योजना के निर्देशक होते हैं।

आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के कार्य करने का ढ़ंग घरेलू पहुंच के अतिरिक्त व्यक्तिगत पहुंच का अनुसरण करता है, इससे सबसे अधिक गरीब परिवार पहचानने होंगे क्रिया कलाप एक मुस्त अनुदानों द्वारा इन परिवारों वित्तीय रूप से ऊपर उठाना होगा जिससे सभी कर्मचारी तथा कर्मचारियों की औरतों को व्यक्तिगत शामिल किया जाना चाहिये।

आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम देश के 504 ब्लाकों में कार्यरत है यह कार्यक्रम गरीब से गरीब किसानों, खेती में कार्य करने वाले मजदूरों, कामकारों, अनुसूचित जाति, जन जाति और अन्य कमजोर वर्गों की भी खोज करता है तथा साथ ही उनकी दशा भी सुधारता है। हर साल 600 परिवारों को प्रत्येक ब्लाक से चुना जाता है तथा उत्पादकता कार्यों में सहायता करते हैं तथा उन्हें अन्त तक लाभ पहुँचान के लिये आश्वस्त करते हैं और गरीबी रेखा से दूर करने के लिये गरीब भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर भूमिकार्य करने के लिए दी जाती है। अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आ रू0 6400/– से कम होती है सरकार उनकी 25 से 33.33 प्रतिशत की सम्पूर्ण कार्य योजना के खर्च पर आर्थिक सहायता करती है। जो उनकी स्थिति तथा लाभार्थी के ऊपर निर्भर करता है जिसकी सीमा उपरोक्त है।

आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग होते हैं :–

1. ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के वास्ते।

2. औरतों तथा बच्चों के विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यक्रम संलग्न हैं। यद्यपि सभी गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय रू0 6400/– या इससे कम है उनको गरीबी रेखा के अन्तर्गत रखा गया है। आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिये योग्य है इस कार्यक्रम से पहले गरीबी रेखा का स्तर हर परिवार की वार्षिक आय रू0 3500/– थी लेकिन जून 1986 से यह बढ़कर 6400/– रू0 हर परिवार

की वार्षिक आय हो गई।

परिवार की पहचान के लिये वार्षिक आय सीमा रू0 4800/— प्रत्येक परिवार की होगी जिससे उसकी सहायता की जा सके फिर भी जो अधिक गरीब हैं। उसके पहले सहायता का आश्वासन दिया जाता हैं लेकिन जिसकी वार्षिक आय रू0 3500/— होती है उसको सबसे पहले सहायता के लिये विश्वस्त किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 परिवार प्रत्येक ब्लाक से हर साल लाभान्वित किये गये। सन् 1980—81 और 1981—82 राहत राशि क्रमशः पांच लाख रुपया तथा छः लाख रुपया की थी। को बढ़ा कर आठ लाख रु0 हर ब्लाक में कर दी गई।

पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राहत रू0 55 लाख मौजूद थी तथा प्रत्येक ब्लाक से 3000 परिवारों को लाभान्वित किया।

वर्तमान में यह निर्देश दिये गये कि कम से कम एक तिहाई एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों में जो कि 200 परिवार हर ब्लाक से प्रत्येक वर्ष में उद्योग, नौकरी और व्यापार के अन्तर्गत लाभान्वित होने चाहिये। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के कार्य किये गये।

1. निर्वल वर्ग योजना

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के

दानपुर विकास खण्ड में निर्वल वर्ग योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के लोगों के लिये मकान आदि बनवाने के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2. बायो गैस

गांव में सबसे अधिक प्रकाश व ईंधन की समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिये जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बायोगैस योजना को चलाया गया है।

3. नसबन्दी

भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस समस्या के समाधान के लिये एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी योजना को सरकार द्वारा संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम में दो या तीन बच्चों के बाद पुरूष या महिला की नसबन्दी कर दी जाती है। और उन्हें बाद में 250 रूपये दिये जाते हैं।

4. स्वतः रोजगार योजना

जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को हल करने के

लिये सरकार द्वारा स्वतः रोजगार योजना को संचालित किया गया है। इस योजना में निर्वल वर्ग के लोगों के लिये चमड़े का काम, बढ़ईगीरी, घरेलू उद्योगों में सहायता आदि के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है। इसमें राशि विकास खण्ड अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास (डी0 आर0 डी0 ए0) द्वारा स्वीकृत की जाती है।

5. विधवा पेंशन योजना

दानपुर विकास खण्ड में विधवा पेंशन योजना को भी चलाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिला को 300 रू0 प्रतिमाह दिये जाते हैं। जिसकी सहायता से वह अपना निर्वाह कर सकती हैं।

6. अल्प बचत योजना

इस योजना के अन्तर्गत निर्वल व्यक्तियों को डाकघर में खाता खोलकर थोड़ा–थोड़ा रूपया जमा करना पड़ता है।

7. साक्षरता अभियान

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दानपुर विकास खण्ड में साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

8. मातृत्व लाभ

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं के लिये एक या दो बच्चों में 300 रूपये प्रसवोपरान्त दिये जाते हैं।

9. वृद्धावस्था पेंशन योजना

सरकार द्वारा संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वल वर्ग के 60 वर्ष के ऊपर तक के वृद्धों के लिये पेंशन की व्यवस्था की गई हैं।

10. विकलांग पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकालांगों के लिये 125 रूपये की धनराशि निश्चित की गई है।

11. जवाहर रोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था करने के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है। इसमें व्यक्तियों को ऋण विकास खण्ड अधिकारी तथा बैंक की सहायता से प्राप्त होता है।

12. महिला समृद्धि योजना

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वल वर्ग की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिये डाकखाने में गुल्लक खोलना तथा उसमें बचे हुये पैसे जमा किये जाते हैं।

13. उन्नत दुग्ध पशु

यह योजना दो अच्छी नस्ल भेंस या गाय को लेकर बनायी है। यह योजना छोटे और मझोले किसान या श्रमिकों के लिये बनायी गई है।

14. बकरी पालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी की सहायता से पशु पालन विकास योजना (ए0 एच0 डी0) बैंक वित्तीय सहायता कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 4 मादा और एक नर बकरे का समूह बनाया जाता है। इस योजना की कीमत जिला ग्रामीण विकास कार्य स्थान (डी0 आर0 डी0 ए0) के द्वारा स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1700 रू की कीमत की बकरी तथा जमुनापुरी नस्ल की कीमत आंकी गई है।

15. सुअर पालन योजना

चार मादा तथा एक नर सुअर से एक समूह बनाया जाता है। इस योजना की कीमत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुसार रू0 3900 प्रति समूह के लिये धनराशि निश्चित की गई है। विकास खण्ड अधिकारी तथा पशुपालन विकास योजना (ए0 एच0 डी0) और बैंक के द्वारा यह कार्य किया जाता है।

16. मुर्गी पालन

एक इकाई 100 मुर्गियों को मिलाकर बनती है। इसके साथ उपकरण योजना, दवायें होती हैं। एक इकाई की कीमत 6208 रू है। इस योजना को विकास अधिकारी और पशुपालन विकास योजना (ए0 एच0 डी0) बैंक के द्वारा अनुदान करके पूर्ण करते हैं।

अध्याय - षष्ठ

शैक्षिक एवं अन्य सामाजिक जटिलों के एकीकृत विकास कार्यक्रम

अध्याय - ६

शैक्षिक एवं अन्य सामाजिक जटिलों के एकीकृत विकास कार्यक्रम

सामान्य विवरण

प्रस्तुत अध्याय में जिला बुलन्दशहर के विकास खण्ड दानापुर के चुने हुये एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभांन्वित उत्तरदाता परिवारों के एकीकृत विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने से पूर्व 1985–86 और कार्यक्रम से लाभान्वित होने के बाद 1993–94 की शैक्षिणिक एवं अन्य सामाजिक जटिलों के एकीकृत विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया गया है।

शैक्षिणिक स्तर

लाभान्वित चयनित उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर की तालिका में प्रदर्शित किया गया है। तालिका लाभान्वित चयनित उत्तरदाता परिवारों का शैक्षिक स्तर :–

तालिका : 6.1

	कार्यक्रम श्रेणी			
विवरण	कृषि एवं पशुपालन	ग्रामीण उद्योग–धन्धे	व्यापार एवं सेवा	योग
वर्ष 1985–86				
परिवार की सं0	103	17	30	150
कुल जनसंख्या	659	96	191	946
अशिक्षित	456	73	150	679
शिक्षित	203	23	41	267

		कार्यक्रम श्रेणी		
विवरण	कृषि एवं पशुपालन	ग्रामीण उद्योग–धन्धे	व्यापार एवं सेवा	योग
वर्ष 1993–94				
परिवार की सं0	103	17	30	150
कुल जनसंख्या	678	117	212	1007
अशिक्षित	139	58	121	318
शिक्षित	539	59	91	689
वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में				
शिक्षा में प्रतिशत वृद्धि	165.51	156.52	121.95	158.05
अशिक्षा में ह्रास	(–)69.52	(–) 20.55	(–) 19.33	(–) 53.17

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से जहां एक ओर शिक्षा के स्तर में 158.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के अपनाने से अशिक्षित लोगों की संख्या में 53.17 प्रतिशत ह्रास हुआ। शिक्षा के स्तर के सर्वाधिक 165.51 प्रतिशत वृद्धि और शिक्षा के स्तर से सर्वाधिक 69.59 प्रतिशत ह्रास वृद्धि कृषि एवं पशुपालन कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों का हुआ। उसके बाद ग्रामीण उद्योग धन्धे और व्यापार एवं सेवा का स्थान रहा।

प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का स्तर

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व और बाद में

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर को तालिका में दिखाया गया है। तालिका एकीकृत विकास कार्यक्रम से पूर्व 1985–86 और बाद में 1993–94 में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का स्तर :–

तालिका नं0 6.2

विवरण	कार्यक्रम श्रेणी		
	कृषि एवं पशुपालन	ग्रामीण उद्योग–धन्धे	व्यापार एवं सेवा
वर्ष 1985–86			
प्राथमिक शिक्षा	117 (57.64)	17 (73.92)	39 (78.05)
माध्यमिक शिक्षा	79 (38.91)	6 (26.08)	9 (21.95)
उच्च शिक्षा	7 (3.45)	– (0.00)	– (0.00)
योग	703 (100.00)	23 (100.00)	41 (100.00)
वर्ष 1993–94			
प्राथमिक शिक्षा	261 (48.42)	36 (61.02)	59 (64.84)
माध्यमिक शिक्षा	208 (38.59)	20 (33.90)	30 (38.96)
उच्च शिक्षा	70 (12.99)	3 (5.08)	2 (2.20)
योग	599 (100.00)	59 (100.00)	91 (100.00)

तालिका से स्पष्ट है कि विकास क्षेत्र दानापुर के एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभान्वित चयनित परिवारों की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 1985–86 में प्राथमिक शिक्षा 62.17 प्रतिशत थी जो वर्ष 1993–94 में घटकर 51.67 प्रतिशत हो गई।

प्राथमिक शिक्षा में इस ह्रास का कारण माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बृद्धि थी। यही कारण है कि वर्ष 1985 में माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो क्रमशः 35.21 प्रतिशत और 2.62 प्रतिशत थी। यह वर्ष 1993–94 में बढ़कर क्रमशः 37.45 प्रतिशत और 10.58 प्रतिशत हो गई। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में यह वृद्धि सबसे अधिक कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित लाभान्वित परिवारों की थी। क्यों कि कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित लाभान्वित परिवारों ने एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से सबसे अधिक लाभ उठाया।

पुरूष एवं महिला साक्षरता

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व और बाद कीं पुरूष एवं महिला साक्षरता को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका नं0 6.3

	कार्यक्रम श्रेणी			
विवरण	कृषि एवं पशुपालन	ग्रामीण उद्योग–धन्धे	व्यापार एवं सेवा	योग
वर्ष 1985–86				
महिला साक्षरता	41	4	6	51
पुरूष साक्षरता	162	19	35	216
कुल साक्षरता	203	23	41	267
वर्ष 1993–94				
महिला साक्षरता	135	12	15	162
पुरूष साक्षरता	404	47	76	527
कुल साक्षरता	539	59	91	689

वर्ष 1985–86				
की तुलना में वर्ष 1993–1994				
महिला साक्षरता	229.27	200.00	150.00	217.65
पुरूष साक्षरता	149.36	147.37	117.14	143.98
में क्रमशः प्रतिशत वृद्धि या ह्रास				

तालिका से स्पष्ट है कि लाभान्वित परिवारों की पुरूष एवं महिला शिक्षा में तुलना करने से स्पष्ट है कि संख्या की दृष्टि से पुरूष शिक्षा महिला शिक्षा से अधिक थी। परन्तु नारी शिक्षा जागृति की दृष्टि से देखा जाय तो वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–1994 में महिला शिक्षा में ज्यादा बृद्धि हुई है। यही कारण है कि महिला साक्षरता में कुल बृद्धि 217.65 प्रतिशत हुई जबकि पुरूष साक्षरता में मात्र 143.98 प्रतिशत की बृद्धि हुई। इससे स्पष्ट होता है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों ने जहां एक ओर कुल शिक्षा में बृद्धि की ओर अग्रसारित किया वहीं महिलाओं को अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अधिक आकर्षित किया जिससे वे पहले से अधिक शिक्षा को महत्व देने लगी। विभिन्न श्रेणी के कार्यक्रमों के आपसी तुलना से स्पष्ट है कि कृषि पशुपालन से सम्बन्धित लाभान्वित परिवारों की महिला एवं पुरूष शिक्षा में सबसे अधिक बृद्धि हुई। और सबसे कम पुरूष महिला शिक्षा में बृद्धि व्यापार एवं सेवा से सम्बन्धित लाभान्वित परिवारों की थी।

साक्षर एवं विवाहित जोड़े

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व एवं बाद के साक्षर जोड़ों का विवरण तालिका में दिखाया गया है।

तालिका नं0 6.4

	कार्यक्रम श्रेणी			
विवरण	कृषि एवं पशुपालन	ग्रामीण उद्योग–धन्धे	व्यापार एवं सेवा	योग
साक्षर विवाहित जोड़े				
वर्ष 1985–86	12	1	2	15
वर्ष 1993–94	45	3	5	53
वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में साक्षर विवाहित जोड़े में क्रमशः प्रतिशत वृद्धि या ह्रास	275.00	200.00	150.00	253.33

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में साक्षर विवाहित जोड़ों की कुल संख्या में 253.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साक्षर विवाहित जोड़ों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित लाभान्वित परिवारों की थी।

घेरलू वस्तुओं के उपयोग की स्थिति :

घरेलू वस्तुओं के उपयोग की स्थिति, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अपनाने से पूर्व और बाद में क्या थी। इसकों तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.5 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अपनाने में पूर्व और बाद में घरेलू वस्तुओं के उपयोग की स्थिति :–

क्र0सं0	प्रयोग में आने वाली वस्तुयें	प्रयोग करने वालों की संख्या		कुल मूल्य
		1985–86	1993–94	
1.	साईकिल	91	145	
2.	मोटर साईकिल/स्कूटर	0	5	
3.	रेडियों	33	62	
4.	कुर्सी	15	37	
5.	बिजली	25	105	
6.	टेलीविजन	7	23	2.11.97
7.	पंखा	11	74	
8.	क्राकरी	81	128	
9.	प्रेसर कुकर	3	13	
10.	टेबुल/दीवाल घड़ी	6	18	
11.	कलाई घड़ी	21	70	
12.	सिलाई मशीन	9	29	
13.	धूमरहित चुल्हा	11	28	
14.	समाचार पत्र	0	5	

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1985–86 की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग की स्थिति 1993–94 में अच्छी थी। अर्थात एकीकृत ग्राम्यविकास कार्यक्रम से चयनित परिवार लाभान्वित हुये। यही कारण था कि चयनित

परिवारों की घरेलू वस्तुओं के उपयोग की स्थिति सार्थकता स्तर तक पहुँच गई।

कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एवं बाद में कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.6 : कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली वस्तुयें

क्र0सं0	कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली वस्तुयें	प्रयोग करने वालों की संख्या		कुल मूल्य
		1985–86	1993–94	
1.	देशी हल	41	25	
2.	उन्नितशील हल	25	38	
3.	सीडड्रिल	1	3	
4.	स्प्रेयर/डस्टर	5	9	
5.	चारा काटने वाली मशीन	45	81	
6.	थ्रेसर	15	38	1.1868
7.	पम्प सेट	9	15	
8.	ट्यूब वेल	17	37	
9.	बैल	65	45	
10.	बैल गाड़ी	15	35	
11.	अन्य	44	41	

तालिका से स्पष्ट है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से जहां चयनित लाभान्वित परिवार सार्थकता स्थिति तक पहुंचे। वही उन लोगों ने परम्परागत कृषि यंत्र एवं औजार के स्थान पर आधुनिक कृषि यंत्र एवं औजार प्रयोग करना शुरू कर दिया।

खाने की आदत :

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पहले और बाद में भोजन की आदत को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.7 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के पूर्व एवं बाद में खाने की आदत

क्र0सं0	विवरण	1985–86	1993–94	कुल मूल्य
1.	शाकाहारी	65	21	
2.	मांसाहारी	35	40	
3.	साग सब्जी + दाल	28	48	35.786
4.	साग सब्जी + दाल+ दूध	12	26	
5.	साग सब्जी + दूध+ अण्डा	10	15	

तालिका से स्पष्ट है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों की आदत में वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में परिवर्तित हुआ है। खाने की आदत में यह भी स्पष्ट होता है कि लाभान्वित परिवार पहले से अधिक पौष्टिक आहार का उपयोग करने लगे। क्योकि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से चयनित परिवारों की आय में बृद्धि हुई।

कपड़ा प्रयोग की स्थिति :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एवं बाद की कपड़ा प्रयोग की स्थिति को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.8 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एवं बाद की कपड़ा प्रयोग स्थिति :

क्र0सं0	विवरण	1985—86	1993—94	कुल मूल्य
1.	तीन से कम कपड़ा	5	42	25.684
2.	तीन से ज्यादा कपड़ा	41	63	
3.	ऊनी कपड़ा	24	45	

तालिका से विदित होता है कि वर्ष 1985—86 की तुलना में जहां एक ओर वर्ष 1993—94 में चयनित परिवारों के कपड़ा प्रयोग करने की आदत में परिवर्तन हुआ। वहीं चयनित लाभान्वित परिवारों में पहले से अधिक वस्त्रों का उपयोग किया। ऐसा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के कारण ही संम्भव हो सका।

सामाजिक कार्यक्रम में भाग :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अपनाने से पूर्व एवं बाद की चयनित परिवारों के सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की स्थिति की तालिका में दिखाया गया।

तालिका 6.9 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अपनाने से पूर्व एवं बाद की सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की स्थिति :—

क्र0सं0	विवरण	1985—86	1993—94	कुल मूल्य
1.	किसी कार्यक्रम में भाग नहीं	91	48	
2.	एक संगठन का सदस्य	43	65	26.110
3.	एक से दो संगठन का सदस्य	11	25	
4.	दो से अधिक संगठन का सदस्य	05	12	

तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित परिवारों ने वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में पहले से अधिक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से सामाजिक स्तर में सुधार होता है। चयनित लाभान्वित परिवारों के अधिक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से स्पष्ट होता है कि उक्त चयनित परिवारों के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।

पारिवारिक रोजगार की स्थिति :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व और बाद में चयनित परिवारों के पारिवारिक रोजगार की स्थिति को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.10 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पहले और बाद में पारिवारिक रोजगार की स्थिति :–

क्र0सं0	रोजगार	1985–86	1993–94	कुल मूल्य
1.	एक व्यक्ति	103	68	
2.	दो व्यक्ति	32	55	22.982
3.	तीन और तीन से अधिक	10	27	

तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में चयनित परिवारों की रोजगार की स्थिति अच्छी थी। क्योंकि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सहायता से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुये। जिससे कुल रोजगार के अवसर में बृद्धि हुई। जो सार्थकता स्तर को देखने से भी स्पष्ट होता है।

आय की स्थिति

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व एवं बाद की चयनित परिवारों की सम्पूर्ण श्रोतों की आय को विभिन्न आय समूहों को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.11: एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से पूर्व एवं बाद स्थिति

क्र0सं0	आय का समूह	1985–86	1993–94	कुल मूल्य
1.	रू0 5000 से कम	65	28	
2.	रू0 5000 से 6000 तक	40	32	
3.	रू0 6000 से 7000 तक	24	30	40.685
4.	रू0 7000 से 8000 तक	15	25	
5.	रू0 8000 से 9000 तक	5	17	
6.	रू0 9000 से 10000 तक	1	10	
7.	रू0 10,000 से ऊपर	0	8	

तालिका से विदित होता है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम वर्ष 1985–86 की तुलना में वर्ष 1993–94 में चयनित परिवारों की आय में ज्यादा बृद्धि हुई। वर्ष 1985–86 में रू0 5000 से कम प्रतिवर्ष 65 चयनित परिवारों की थी। वही वर्ष 1993–94 में यह संख्या घटकर मात्र 28 ही रह गई। वर्ष 1985–86 में रू0 दस हजार प्रतिवर्ष आय जहां एक भी परिवार की नहीं थ्ज्ञी वहीं वर्ष 1993–94 में रू0 दस हजार अधिक आय 8 चयनित परिवारों की प्रतिवर्ष हो गई। आय की तथाकथित स्थिति सार्थकता स्तर को देखने से स्पष्ट होती है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रशासनिक धारणा

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की कमियों एवं उनकों दूर करने के लिये सुझाव से सम्बन्धित एक प्रशासनिक सर्वेक्षण किया गया। इसकों ज्ञात करने के लिये सहमत तटरूप और असहमत तीन सूत्रीय मापदण्ड अपनाया गया और उनकी क्रमशः 13.2 और मूल्यांकित किया गया। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के कमियों के संबन्धित विभिन्न धारणाओं को विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रशासनिक धारणाओं संबन्धी मापदण्ड को जानने के लिये 20 प्रश्न किये गये।

तालिका 6.12 : एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक धारणा

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	प्रसार कार्यकताओं ने किसानों के यहां नियमित प्रसार निरीक्षण नहीं किया। अतः आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम लागू करने में बाधा आई	2.50	I
2.	विभिन्न विकास संस्थाओं में समन्वय का अभाव रहा	2.35	II
3.	कार्यक्रम संचालनशक्ति उच्च अधिकारियों के हाथ में सीमित होने के कारण कार्यक्रम संचालन में बाधा आई।	2.22	III
4.	कृषि संबंधी सूचना समय पर न मिलने के कारण कार्यक्रम संचालन में बाधा आई	2.15	IV
5.	ग्रामीण कार्यकर्ताओं को पर्याप्त नेतृत्व क्षमता नहीं प्रदान की गई	2.00	V

तालिका से स्पष्ट है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को कार्यान्वय से संबंन्धित प्रशासनिक धारणा कि प्रसार कार्यकर्ताओं ने किसानों के यहां नियमित प्रसार निरीक्षण नहीं किया। अतः इस कमी के कारण एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू करने में सबसे अधिक बाधा आई। दूसरी परेशानी विभिन्न विकास संस्थाओं में आपसी समन्वय के अभाव के कारण आई। तीसरी बाधा कार्यक्रम को संचालन करने की शक्ति उच्च पदस्थ अधिकारियों के हाथ में केन्द्रित होने के कारण आई। चौथी परेशानी कृषि संबंधी सूचना समय पर न मिलने के कारण आई। अन्तिम परेशानी ग्रामीण कार्यकर्ताओं को पर्याप्त नेतृत्व क्षमता न प्रदान करने के कारण आई।

निरीक्षण स्तरीय कार्यकर्ताओं से संबंधित धारणा

तालिका 6.13

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में कार्यरत कार्यकर्ताओं में संवाद आदान–प्रदान की सुविधा का अभाव	2.55	I
2.	लाभार्थियों की असावधानी के कारण कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं मिला	2.45	II
3.	विभिन्न प्रसार संस्थाओं के कार्यों का अपर्याप्त मूल्यांकन	2.25	III
4.	कार्य संचालन में विकास क्षेत्र अधिकारी का अनियंत्रित अधिकार	2.20	IV
5.	निरीक्षक स्तरीय कार्यकर्ताओं का असामयिक निरीक्षण और सलाह देने का अभाव	2.10	V
6.	निरीक्षण स्तर के कार्यकर्ताओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव	1.95	VI

तालिका से विदित है कि निरीक्षक स्तरीय कार्यकर्ताओं की धारणा से संबंधित सर्वेक्षणीय कथन में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में कार्यरत कार्यकर्ताओं में संवाद आदान–प्रदान की सुविधा के अभाव का स्थान प्रथम है। दूसरा स्थान लाभार्थियों की असावधानी का रहा जिसके कारण उनको कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं मिला। कार्यक्रम कार्यान्वयन बाधा निर्धारण में तीसरा स्थान, विभिन्न प्रसार संस्थाओं के कार्यों का अपर्याप्त मूल्यांकन चौथा स्थान बी.डी.ओ. का अनियंत्रित अधिकार, पांचवां स्थान निरीक्षण स्तरीय कार्यकर्ताओं का असामयिक निरीक्षण और सलाह देने का अभाव और अंतिम निरीक्षण स्तर के कार्यकर्ताओं के ऊपर नियंत्रण के अभाव का रहा।

उक्त परिणाम सिंह (1951) और हिरवे (1986) के कथन की पूर्ति करता है कि गरीब ग्रामीण न तो कार्यक्रम के विषय में कोई जानकारी रखता है ना ही उसकी कोई सहायता और मार्गदर्शन करता है।

तालिका 6.14 : कार्यक्रम की पूर्ति एवं सेवा सम्बन्धी धारणा

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण राशि नई सम्पत्ति बनाने के लिये आपत्ति थी	2.45	I
2.	उत्पादन लागत संबंधी धनराशि असामयिक एवं अपर्याप्त थी	2.35	II
3.	कच्चा माल खरीदने के लिये कोई धनराशि नहीं दी गई	2.30	III
4.	विपणन की सुविधा अपर्याप्त रही	2.25	IV
5.	ऋण वितरण में भेदभाव बरता गया	2.20	V
6.	कार्यक्रम के लिये जो मद निर्धारित किये गये, वे न तो स्थानीय साधनों के अनुरूप थे न लाभार्थी परिवारों के आवश्यकता के अनुरूप थे	2.15	VI

तालिका के कथन संबंधी 6 धारणाओं में सबसे पहला स्थान अपर्याप्त वितरण ऋण राशि का था और अंतिम स्थान कार्यक्रम के लिये निर्धारित मद को स्थानीय साधनों के अनुरूप और आवश्यकता के अनुसार न होने के का था।

कार्यक्रम की पूर्ति एवं सेवा संबंधी उक्त धारणा थी सिद्धिकांथ और सिंह (1984) तथा रामचन्द्र सिंह (1986) की इस धारणा है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लिये जो उत्पादन लागत और सामग्री दी गई वह अपर्याप्त एवं असामयिक थी से भी होती है।

कार्यक्रम संबंधी अविभागीय धारणा

कार्यक्रम संचालन में कौन–कौन स्त्री अविभागीय धारणायें बाधक रहीं। इस संबंध में अविभागीय उत्तरदाताओं के सम्मुख 14 प्रश्न रखे गये। उन प्रश्नों और उनके उत्तर व परिणाम को तालिकामें प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 6.15

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के संबंध में अविभागीय धारणा

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर में सुधार हुआ	2.40	I
2.	योजना के बेहतर संचालन के लिये विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल का अभाव रहा	2.25	II

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
3.	कार्यक्रम से ग्रामीण उद्योग–धन्धे पूर्ण विकसित हुये	2.10	III
4.	किसी अन्य कार्यक्रम से गरीब लाभार्थियों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से अधिक लाभ हुआ।	2.00	IV
5.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि हुई।	1.90	V
6.	ग्रामीण गरीबों की उन्नति के लिये एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम विविध कार्यक्रमों का मिला जुला स्वरूप है।	1.85	VI
7.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम गांवों के सम्पूर्ण विकास का एक बहुत ही अच्छा साधन है।	1.75	VII
8.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिले धन का पूर्ण उपयोग हुआ।	1.60	VIII
9.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू होने से प्रसार कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ गया।	1.50	IX
10.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू होने से सभी विभागीय कार्यकर्ताओ की भूमिका और उत्तरदायित्व बढ़ गया।	1.45	X
11.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू होने का तौर तरीका किसानों के अनुमूलन नहीं है।	1.35	XI
12.	ग्रामीण जनता एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की ओर न तो आकर्षित हुई न ही रूचि लिया	1.25	XII
13.	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम शोध एवं प्रसार के लिये एक अच्छा विषय है	1.20	XII
14.	सरकारी, अर्द्धसरकारी, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने का एक अच्छा साधन है।	1.10	XIV

तालिका के कथन संबंधी 14 कार्यक्रम संबंधी अविभागीय धारणाओं में सबसे पहला स्थान एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम द्वारा लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर में सुधार से था। तीसरा स्थान ग्रामीण उद्योग धन्धों के विकास का, पांचवां स्थान किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि औसतन स्थान सम्पूर्ण ग्रामीण विकास का रहा। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से ग्रामीण लाभार्थियों के फसल उत्पादन में जहां एक और वृद्धि हुई वहीं ग्रमीण उद्योग–धन्धों को पनपने का अवसर मिला। जिससे उनके रहन–सहन का स्तर सुधार तथा सम्पूर्ण विकास की दिशा मिली।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू करने में संबंधित सभी विभागों में पूर्ण ताल मेल होता। वितरित ऋण का पूर्ण उपयोग उत्पादन कार्यों में होता और संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते तो एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से ग्रामीण जनता को और अधिक लाभ मिलता।

इस सब के बावजूद एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से विभिन्न विभागों में ताल–मेल स्थापित करने तथा शोध एवं प्रसार का एक अच्छा अवसर मिला।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभ अर्जन में लाभार्थियों के सम्मुख उपस्थित परेशानियां

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण को विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लाभ पहुंचाने के विविध प्रयत्न किये गये फिर भी लाभान्वित परिवारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम संबंधी विविध अध्ययनों को पूर्ण करते समय ज्ञात हुआ। इनकी स्पष्ट जानकारी के लिये तीन सूत्रीय मापदण्ड कार्यक्रम जैसा देखा और उनका महत्व अपनाया गया और उनको क्रमशः 2 और 3 से मूल्यांकित किया गया। इनकी जानकारी के लिये 200 लाभार्थियों से विषय से संबंधित विविध प्रश्न किये गये। संबंधित विस्तृत विवरण तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

1. व्यक्तिगत समस्यायें

लाभार्थियों की व्यक्तिगत समस्यायें, उनकी औसत गणना और उत्तमता तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 6.16 : लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई निजी परेशानियां

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	लाभार्थियों की गरीबी कोई पेशा अपनाने में बाधक रही	2.75	I
2.	लाभार्थियों की निरक्षरता एवं अज्ञानता कार्यक्रम का लाभ लेने में बाधक रही	2.25	II

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
3.	लाभान्वित परिवारों का कमजोर स्वास्थ्य कठिन कार्य करने में बाधक रहा	1.90	III
4.	भूमिहीन लाभार्थियों की रूढ़िवादिता कार्यक्रम का लाभ लेने में बाधक रही	2.25	II

तालिका से स्पष्ट है कि लाभर्थियों द्वारा अनुभव की गई निजी परेशानियों में श्रेणी क्रम के अनुसार गणना करने पर सबसे ज्यादा 2.75 औसत गणना ''लाभार्थियों की गरीबी कोई पेशी अपनाने में बाधक रही'' का स्थान रहा। उसके बाद क्रमशः लाभार्थियों की अज्ञानता और रूढ़िवादिता कार्यक्रम अपनाने में बाधा रही। लगभग ऐसी ही धारणा सत्यनारायण और पीटर (1984) तथा वोगर्त (1985) की रही। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की अज्ञानता, निरक्षरता और इनका पिछड़ापन कार्यक्रम का लाभ अर्जित करने में सबसे अधिक बाधक रहा।

9. सामाजिक समस्यायें

लाभार्थियों की समस्याओं में दूसरा स्थान सामाजिक समस्यायों का रहा जिसे तालिका में दिखाया गया है :—

तालिका : लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई सामाजिक परेशानियां

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	सामाजिक विकास में स्थानीय नेतृत्व का दृष्टिकोण बाधक रहा	2.90	I
2.	ग्रामीण जातिगत ढ़ाचा लाभाकारी कार्यक्रम अपनाने में बाधक रहा	2.80	II
3.	धार्मिक विचार विकास कार्य में बाधक रहे	2.60	III
4.	विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकि प्रशिक्षण का अभाव ग्रामीण विकास में बाधक रहा	2.45	II

तालिका से स्पष्ट है कि लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई सामाजिक परेशानियों के स्थानीय नेताओं का दृष्टकोण सामाजिक विकास में सबसे अधिक बाधक रहा। उसके बाद क्रमशः ग्रामीण जातिगत ढांचा, धार्मिक विचार और प्रशिक्षण का अभाव का स्थान रहा। इस उध्ययन की उपलब्धि की पुष्टि सत्यनारायन और प्रेपर (1984) की इस विश्लेषण से पुष्टि होती है कि स्थानीय नेतृत्व की वर्चस्वता गांव को असंतोषप्रद विकास का कारण रहा।

३. प्रशासनिक समस्यायें

लाभार्थियों की एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से प्राप्त करने वाली समस्याओं में प्रशासनिक समस्याओं का तीसरा स्थान रहा। जिसे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.17 : लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई प्रशासनिक समस्यायें

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	अधिकारियों का व्यवहार कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहा	2.74	I
2.	विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिला।	2.56	II
3.	कुछ संबंधित अधिकारियों ने लाभार्थियों से घूस लिया	2.41	III
4.	कार्यक्रम कें लिये पुनः सहायता प्रदान करने की सुविधा का अभाव	2.30	IV
5.	अचछे कार्यों के लिये प्रोत्साहन का अभाव	1.88	V

तालिका से स्पष्ट है कि लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई प्रशासनिक समस्याओं में सबसे पहला स्थान अधिकारियों का कार्यक्रम के लिये उदासीनता का रहा। उसके बाद क्रमशः विपणन सुविधाओं का अभाव, अधिकारियों का घूस के लिये होना, पुनः सहायता का अभाव एवं अच्छे कार्यों के लिये प्रोत्साहन के अभाव का रहा।

चौधरी (1985) के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि अधिकारी कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहे। साथ ही उन्होंने पाया कि कार्यक्रम के लिये पुनः सहायता की कोई व्यवस्था नहीं थी।

४. पूर्ति एवं सेवा संबंधी समस्यायें

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों की समस्याओं में चौथा स्थान पूर्ति एवं सेवा संबंधी समस्याओं का है। जिसे तालिका में दिखाया गया ।

तालिका 6.18 : लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई पूर्ति एवं सेवा संबंधी समस्यायें

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	लागतों की असामाजिक एवं अपर्याप्त आपूर्ति	2.80	I
2.	विशेष देशों के लिये पर्याप्त ऋण	2.40	II
3.	ऋण वितरण एवं स्वीकृति में भेदभाव	2.86	III
4.	कच्चे माल का अभाव	1.60	IV

तालिका से विदित होता है कि लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई पूर्ति सेवा संबंधी समस्याओं में सबसे पहला स्थान लागतों की असामायिक एवं अपर्याप्त आपूर्ति का रहा। उसके बाद क्रमशः विशेष पेशे के लिये अपर्याप्त ऋण वितरण एवं स्वीकृति में भेदभाव और कच्चे माल का अभाव रहा।

सत्यनारायन और पीटर (1984) और सिंह (1986) के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लागतों की असामायिक एवं अपर्याप्त आपूर्ति का स्थान प्रथम रहा। जिससे योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने में संबधित परिवार असफल रहा।

९. निरीक्षण और मार्ग निर्देशन की समस्या

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों की अंतिम समस्या निरीक्षण एवं मार्ग निदेशन से संबंधित है जिसे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 6.19 :लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई निरीक्षण एवं मार्ग निर्देशन की समस्या

क्र0सं0	कथन	औसत गणना	श्रेणी क्रम
1.	उद्योग–धन्धों के लिये तकनीकी निरीक्षण का अभाव	2.70	I
2.	कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में संवाद आदान–प्रदान का अभाव।	2.86	II
3.	निरीक्षण की देखभाल, सलाह आदि में नियमितता का अभाव	1.56	III

तालिका से स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों द्वारा अनुभव की गई निरीक्षण एवं मार्ग निर्देशन संबंधी समस्याओं मे सबसे पहला स्थान उद्योग–धन्धों के लिये तकनीकी निरीक्षण का अभाव रहा। उसके बाद क्रमशः कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के विषय में संवादहीनता और निरीक्षकों की देखभाल, सलाह आदि में अनियमितता का रहा।

चौधरी (1985) और मिश्रा (1986) ने भी अपने अध्ययन में पाया है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में उद्योग–धन्धों के लिये तकनीकी निरीक्षण का अभाव रहा।

****

अध्याय - सप्तम

उपसंहार एवं निष्कर्ष

अध्याय - 7

उपसंहार एवं निष्कर्ष

वर्तमान शोध अध्ययन जिस पर शोध कर्ता ने शोध किया है।

"समाज के निर्बल वर्गो पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव–जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड के विशेष सन्दर्भ में"।

यह अध्ययन सन् 1993 तथा 1994 के मध्य किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड में एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम का निर्बल वर्गो पर सीमा क्षेत्र के अन्दर इस कार्यक्रम का परीक्षण कार्य पद्धति का अध्ययन एक तरफ किया गया है तथा दूसरी तरफ इस योजना के अर्न्तगत निर्बल वर्ग की आमदनी तथा रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया गया है।

वैसे तो जनपद बुलन्दशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्पन्न जिलों की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी यहां पर निर्बल वर्ग की संख्या अधिक मात्रा में है। सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे है, यहां पर चलाये जा रहे है वे योजनायें जैसे– निर्बल वर्ग योजना, बायोगैस, नसबन्दी, स्वतः रोजगार योजना, विधवा पेंशन योजना, अल्प बचत योजना, साक्षरता अभियान, मातृत्व लाभ योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, जवाहर रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, उन्नत दुग्ध पशु, बकरी पोषण, सुअर पालन योजना, मुर्गी पालन आदि।

उपलब्धियों का भारात्मक मूल्यांकन :

जनपद बुलन्दशहर में जनसंख्या का घनत्व यूरोपीय देशों से प्रति कि0मी0 घनत्व से बहुत अधिक है। जब किसी जनपद का घनत्व अधिक होता है। तो इसका प्रभाव जनसंख्या के रहन–सहन के स्तर पर अधिक पड़ता है। अतः जनपद बुलन्दशहर का रहन–सहन का स्तर अन्य यूरोपीय देशो के जनपदों की अपेक्षा निम्न स्तर का है।

इस जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 44.7 है जो कि अपने देश में स्थित केरल राज्य से बहुत कम है। इस प्रतिशत में प्राथमिक शिक्षा 20.2 प्रतिशत है तथा माध्यमिक शिक्षा 14.1 प्रतिशत आंकी गयी है तथा उच्च शिक्षा का प्रतिशत 10.4 ही है।

जनपद बुलन्दशहर में आवासीय सुविधा के अर्न्तगत कच्चे मकान 20.6 प्रतिशत पाये गये हैं तथा पक्के मकानों का प्रतिशत 58.67 है तथा मिश्रित मकानों का 20.67 प्रतिशत आंका गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह कथन जनपद बुलन्दशहर के विस्तृत अध्ययन के पश्चात अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। यहां पर 62.48 प्रतिशत लोग कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुये हैं। तथा नौकरी में 23.33 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं और वाणिज्य में 14.19 प्रतिशत लोग संलग्न हैं। अतः समाजशास्त्र का यह नियम है कि जिस जनपद में कृषि करने वालों का प्रतिशत अधिक होता है जो उस जनपद के प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम

होती है। अतः इस जनपद में प्रति व्यक्ति कमाने वाले की कुल आय 903 रू0 14 पैसे है।

जिसके अन्तर्गत कृषि से 400 रूपये 60 पैसे तथा नौकरी से 344 रू0 62 पैसे और वाणिज्य से 157 रू0 92 पैसे आंकी गयी है।

और प्रति परिवार की आय 1137 रू0 18 पैसे है जिसमें से कृषि से 521 रू0 60 पैसे तथा नौकरी से 402 रू0 92 पैसे तथा वाणिज्य से 212 रूपये 66 पैसे है।

इस जनपद में कमाने वालों का प्रतिशत 22.98 आंका गया है और आश्रितों का 77.02 प्रतिशत है। अतः एक कमाने वाले के पीछे चार खाने वाले हैं।

जहां तक इस जनपद में ऋण प्राप्ति का प्रश्न है तो यहां पर व्यक्तिगत माध्यम से 64 प्रतिशत है तथा साहूकार से 24 प्रतिशत है तथा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की सुविधा बहुत कम है। जिसका प्रतिशत 12 आंका गया है।

तुलनात्मक मूल्यांकन

जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड के न्यादर्श में चुने हुये गांव के उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करते है तो सबसे अधिक शिक्षित लोग हिम्मतगढ़ी में हैं। इसके पश्चात रामनगर में शिक्षित व्यक्ति हैं। दानपुर, नरायनपुर, रहमापुर में स्तर 90 प्रतिशत. है।

जहां तक महिला साक्षरता का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में रामनगर के 96.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि समाज में अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित होना चाहिये क्योंकि विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में महिलाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है।

परिवार के सदस्यों की शिक्षा के सीमा क्षेत्र के प्रश्न पर शोध क्षेत्र में 90.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि परिवार के सदस्यों को उचित शिक्षा देनी चाहियें। दानपुर के शतप्रतिशत उत्तरदाता इस बात से पूर्ण सहमत थे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित शिक्षा दी जाय।

न्यायदर्श में परिवार के स्वरूप के बारे में तालिका के माध्यम से यह पता चलता है कि शोध क्षेत्र में 40.67 प्रतिशत केन्द्रीय परिवार है तथा 59.33 प्रतिशत संयुक्त परिवार का स्वरूप है। शोधकर्त्री ने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण ज्ञात करने का प्रयास किया। कारण ज्ञात करने के पश्चात शोधकर्त्री इस परिणाम पर पहुंची कि जो नयी पीढ़ी है वह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संचालित करने के लिये उत्साहित है। लेकिन पुरानी पीढ़ी के अनावश्यक हस्तक्षेप तथा आर्थिक विषमता के कारण वे संयुक्त परिवार से अलग होकर केन्द्रीय परिवार बनाकर अलग रहना अधिक पसन्द करते है। इसलिये संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं।

शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं के परिवार 94.67 प्रतिशत पितृसत्तात्मक पाये गये है तथा 5.33 प्रतिशत मातृसत्तात्मक है। जिस परिवार के मुखिया

की मृत्यु हो जाती है या वह किसी कारण वश घर से बाहर चले जाते हैं तो स्त्रियाँ ही घर को सभांलतीं हैं। शोध क्षेत्र में पितृसत्तात्मक स्वरूप होने के कारण एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।

शोध क्षेत्र में तालिका के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि परिवार में 79.34 प्रतिशत समाज स्थता है तथा 13.33 प्रतिशत परिवारों में सामंजस्यता का अभाव है।

सामाजिक सन्दर्भ में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 64.66 है और सवर्ण जातियों का प्रतिशत मात्र 16.00 है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सवर्णों का प्रतिशत (16.00) कम है। परन्तु इस सवर्ण के जो निर्बल परिवार हैं उनकी पहुंच विकास खण्ड के अधिकारियों तक होती है और वे अपने सम्बन्ध अधिकारियों से अच्छे बना लेते हैं और अपना काम आसानी से करा लेते हैं। 80.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा विकास में बाधक है। परन्तु 19.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति प्रथा विकास में बिल्कुल भी बाधक नहीं है। 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जाति प्रथा को समाप्त होना चाहिये परन्तु 22 प्रतिशत उत्तरदाता जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

94.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्पष्ट मत है कि किसी भी विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये सामाजिक स्थायित्व की बहुत आवश्यकता है। परन्तु इसके विपरीत 5.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का

यह मानना है कि विकास कार्यक्रम को सुचारू तथा सुव्यवस्थित ढ़ंग से संचालित करने के लिये सामाजिक स्थायित्व की कोई आवश्यकता नहीं है।

आर्थिक सन्दर्भ में न्यायादर्श में 52.48 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी में कार्यरत हैं तथा 14.19 प्रतिशत उत्तरदाता वाणिज्य में संलग्न हैं।

शोध क्षेत्र में तालिका के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड के अर्न्तगत चुने हुये गांवों में कृषि पर निर्वाह करने वाले प्रति परिवार की आय 721 रूपया 66 पैसे है तथा नौकरी में प्रति परिवार की आय 1002 रूपया 96 पैसे है और वाणिज्य से 202 रूपया 66 पैसे है इस प्रतिशत में यह ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में समस्त उत्तरदाता निर्वल वर्ग में ही आते हैं। दानपुर के उत्तरदाताओं में नौकरी में अधिकतम आय 1764 रू 8 पैसे है इसी प्रकार नरायनपुर के उत्तरदाताओं में कृषि में आमदनी 1101 रू 66 पैसे प्रति परिवार है।

प्रति व्यक्ति कमाने वाले की आय कृषि से 535 रूपया 89 पैसे है तथा नौकरी से 744 रूपया 77 पैसे आंकी गई है और वाण्ज्यि से 157 रूपया 92 पैसे है।

शोध क्षेत्र में किये गये अध्ययन के पश्चात तालिका के माध्यम से यह सुस्पष्ट होता है कि 26.98 प्रतिशत कमाने वालों पर 73.02 प्रतिशत आश्रित हैं। अतः आश्रितों का प्रतिशत कमाने वालों से तीन गुना अधिक है। अध्ययन

क्षेत्र में आश्रितों में 73.02 प्रतिशत आश्रित हैं अतः आश्रितों का प्रतिशत कमाने वालों से तीन गुना अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में आश्रितों में 73.02 प्रतिशत में से 26.92 प्रतिशत आश्रित ही अशिक्षित हैं अतः इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। अतः इन आश्रितों को रोजगार देने के लिये स्थानीय क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

जहां तक ऋण प्राप्ति का प्रश्न है। अध्ययन क्षेत्र में 68 प्रतिशत उत्तरदाता व्यक्तिगत माध्यमों से ऋण प्राप्त करते हैं तथा साहूकार से 26.67 प्रतिशत उत्तरदाता ऋण लेते हैं। अतः आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है। कि संस्थागत माध्यमों से ऋण प्राप्त करने का प्रतिशत न्यूनतम है।

आंकड़ों से यह विदित होता है कि स्थानीय क्षेत्र में 68.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मकान पक्के बने हुये हैं तथा 10.66 प्रतिशत कच्चे हैं और 20.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मकान मिश्रित ढ़ंग से बने हुये हैं।

90.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवास की सुविधा है। तथा 9.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवास का अभाव है।

जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड के अर्न्तगत शोध क्षेत्र के 86.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्वतंत्रता के पश्चात विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये उचित प्रयास किये गये इसके विपरीत 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात

स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के लिये सरकार द्वारा कोई उचित प्रयास नहीं किये गये हैं।

90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि पंचवर्षीय योजनाओं से विकास सम्भव है लेकिन इसके विपरीत 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है विकास कार्यो पर पंचवर्षीय योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे शायद ऐसे उत्तरदाता थे जो पंचवर्षीय योजना का अर्थ ही नही जानते थे।

84.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा निरन्तर योगदान दिया जा रहा है। परन्तु 15.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विकास कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई भी योगदान नहीं दिया जा रहा हैं।

50.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि विकास कार्यक्रम में स्थानीय व्यक्ति योगदान करते है। परन्तु 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय व्यक्ति कोई योगदान नहीं करते बल्कि ये लोग विकास कार्य में बाधा डालते है और उत्तरदाताओं का शोषण करते है।

शोध क्षेत्र में लिये गये आंकड़ो के माध्यम से यह भी पता चलता है कि 87.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि विकास कार्यो में अगर अच्छे ईमानदार, और कुशल कर्मचारी रखे जाय तो विकास कार्यो का संचालन उचित रूप से होगा परन्तु 12.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह भी मत है कि विकास कार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों को कोई योगदान नहीं होता है।

85.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जाति के आधार पर विकास कार्यक्रमों के संचालन में कोई योगदान नहीं है परन्तु 14.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि विकास कार्यों में जातिवाद का योगदान होता है।

आंकड़ो से यह विदित होता है कि शोध क्षेत्र में 94.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि विकास कार्यक्रमों के नाम पर जनशोषण होता है। उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारी जनता का शोषण करते हैं।

84 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धर्म के आधार पर विकास कार्यक्रम के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ 16 प्रतिशत ऐसे भी उत्तरदाता थे जो धर्म के नाम पर विकास कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं।

शोध क्षेत्र में 93.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत कि शोध क्षेत्र में बृहद औद्योगिक इकाई को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर नरायनपुर के शत प्रतिशत उत्तरदाताओं की इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में औद्योगिक ईकाई की स्थापना होनी चाहिए।

94 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बाल कल्याण की योजनाऐं शोध क्षेत्र में उचित रूप से चलनी चाहिए।

77.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि शोध क्षेत्र में एकीकृत

ग्रामीण विकास कार्यक्रम से समुचित विकास हुआ है परन्तु 22.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि विकास कार्य सिर्फ सरकारी कागजों पर हुआ है।

इसी प्रकार 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शोध क्षेत्र में कुटीर उद्योग धन्धे का विकास होना चाहिए परन्तु 2.67 प्रतिशत ऐसे भी उत्तरदाता थे ज़ो कि कुटीर उद्योग धन्धों को उचित नहीं मानते थे ऐसे उत्तरदाताओं के बारे में शोधकर्ता का मानना है कि वे लोग संकीर्ण विचार धारा से प्रभावित थे।

जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड में 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकार मे सामंजस्यता का अभाव है तथा इसके विपरीत 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकार मे सामेंजस्यता है।

57.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि धर्म का सामाजिक समन्वय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि धर्म का प्रचार जितना अधिक होगा उतना ही सामाजिक समन्वय सुदृढ़ होगा।

62.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह विचार है कि व्यक्ति विशेष द्वारा भी सामाजिक समन्वय पर प्रभाव पड़ता है परन्तु 38.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि व्यक्ति विशेष का कोई भी प्रभाव सामाजिक समन्वय पर नहीं

पड़ता हैं

शोध क्षेत्र में अपराध निराकरण के प्रयास का भी आंकड़ो के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास किया है। 83.33 प्रतिंशत उत्तरदाताओं का मत है कि अगर अपराधियों को रोजगार दे दिया जाय तो अपराधी अपराध करना छोड़ देगा लेकिन 6.67 प्रतिशत ऐसे भी उत्तरदाताओं थे जिनका मानना था कि अपराधी संस्कारों से होता है न कि समाज उन्हें बनाता है। अतः रोजगार भी अपराध को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते है, कम अवश्य कर सकते हैं।

46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि राजनैतिक प्रभाव के माध्यम से अपराध का निराकरण किया जा सकता है। इन उत्तरदाताओं का यह विश्वास है कि अगर राजनैतिक दलों में से अच्छे ईमानदार, चरित्रवान, प्रशासनिक कुशलता वाले नेता हों तो वे अपनी प्रशासनिक कुशलता तथा अच्छे व्यवहार से अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके विपरीत 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत है कि राजनैतिक दलों में 96 प्रतिशत अपराधी छवि वाले नेता हैं तो वे क्या अपराधियों को सुधार सकते हैं। वे अपराध को बढ़ावा तो दे सकते हैं लेकिन समाप्तं नहीं कर सकते हैं।

वर्तमान शोध अध्ययन की संस्तुतियाँ

शोध क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जो अवरोध आते है वे अध्ययन के समय उत्तरदाताओं ने निम्न् लिखित बताये है:-

1. लाभार्थियों परिवारों का गलत परिचय अध्ययन के समय यह पाया गया कि बहुत से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर थे उनको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मलित कर लिया गया और जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया।
2. ऋण तथा उपदानों का भुगतान बिलम्ब से होना।
3. लाभार्थी कहीं से भी इच्छित वस्तुओं को खरीदने के लिये स्वतंत्र नहीं है। इस लिये उनको माल की पूर्ति करने वाले व्यापारियों की बुरी आदतें सहन करनी पड़ती हैं।
4. लाभार्थी सहायता (ऋण तथा उपदान) का गलत प्रयोग करते हैं।
5. उचित निरीक्षण और प्रसार सेवाओं की कमी जो अधिकारी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रसार सेवाओं के माध्यम से जो सलाह देते है और निरीक्षण करते है उनकी कमी है।
6. एक गांव में एक साल में कितने गांव लाभार्थी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत सम्मिलित होंगे यह निश्चित नहीं है।
7. जिन लोगों के प्रार्थना पत्र बैंक में ऋण के लिये जमा है उन परिवारों को यह पता नहीं है कि कितना धन उनको मिलना है क्योंकि बैंक अधिकारी बहुत सा धन हड़प कर लेते हैं।
8. लाभार्थियों को आय व्यय के हिसाब के लिये कोई उचित प्रशिक्षण का प्राविधान नहीं है।
9. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति पत्रिका सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं देखी जाती है और न ही मासिक रिर्पोट बैंक और उच्च

अधिकारियों को भेजी जाती है।

10. सरकारी अधिकारी तथा बैंक अधिकारियों के कर्तव्य में यह सम्मिलित नहीं है कि लाभार्थी परिवार एक वर्ष तक उस कार्यक्रम को संचालित करते है कि नहीं, जब तक कोई खास परिस्थिति उत्पन्न न हो।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये जनपद बुलन्दशहर के दानपुर विकास खण्ड में उपर्युक्त जो अवरोध दिये है उनको दूर करने के लिये निम्न् लिखित सुझाव दिये गये हैं।

1. लाभार्थी परिवार का उचित परिचय के लिये प्रशासनिक अधिकारियों को उस गांव के नेता तथा राजनैतिक को उपमार्ग कर देना चाहिये।
2. कार्यक्रम में भाग लेने वाले लक्ष्य समूह को अपने मन की इच्छित वस्तुएं कहीं से भी खरीदने के लिये स्वतंत्र कर देना चाहिये जिससे कि वह उचित भाव पर अच्छामाल प्राप्त कर सके।
3. अग्रिम धन राशि उचित समय में तथा उचित मात्रा में दी जानी चाहिये।
4. ऋण तथा उपदान के गलत प्रयोग रोकने के लिये उत्पत्ति व्यय का प्रसार सेवायें खर्च करने के पश्चात उचित निरीक्षण तथा सक्षम निरीक्षण होना चाहिये।
5. छोटे किसान, सीमान्त किसान और कृषि कर्मकरों की आय तथा रोजगार बढ़ाने के लिये आधुनिक प्रक्षेत्र व्यय तथा ऋण वितरण उचित समय तथा उचित मात्रा में होनी चाहिए।
6. लाभार्थी परिवारों की संख्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के

अन्तर्गत इस तरह सम्मलित होनी चाहिये कि वर्ष प्रति वर्ष एक गांव में सभी निर्बल वर्ग के ग्रामीण परिवारों का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच वर्ष में सभी परिवार सम्मलित हो जाय।

7. उन परिवारों का जिनका प्रार्थनापत्र बैंक में वित्त के लिये जमा हो चुकी है। उनका वित्त निश्चित हो जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि विकास खण्ड अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों में प्रारम्भ से ही परिवार चुनने में नजदीकी समन्वय होना चाहिये।

8. लाभार्थी परिवारों को क्रियाकलाप तथा आय व्यय के खाते के रख–रखाव के लिये उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

9. सरकारी अधिकारियों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति पत्रिका का निरीक्षण करना चाहिये और मासिक रिर्पोट बैंक तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को भेजनी चाहिये।

10. सरकारी अधिकारी तथा बैंक अधिकारियों का यह प्रभावी कर्तव्य होना चाहिये कि वे एक वर्ष तक हर परिस्थितियों में लाभार्थी परिवारों के क्रियाकलापों का निरन्तर निरीक्षण करते रहें जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हो।

******

सन्दर्भ ग्रन्थ एवं लेख सूची

अनिल भट्ट "कास्ट क्लास, एण्ड पालिटिक्स" मनोहर बुक सर्विस, देहली, 1975

अग्रवाल, बी.एन. "राजनीतिक समाजशास्त्र" किताब महल, इलाहाबाद, 1980

अटल, वाई, "आदिवासी भारत", दिल्ली, राजकमल, 1965

अप्पा दुरई, ए "स्टेटस ऑफ वीमेन इन साउथ एशिया", कलकत्ता, आरिएन्ट लांगमैन्स, 1954,

आल्टेकर, ए0एस0"पोजिशन आफ वीमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन" दी कल्चर पब्लिकेशन हाऊस, बी0एच0यू0, 1938.

बोस, एन.के, "फिफ्टी इयर्स आफ साइंस इन इण्डिया" : प्रासेस ऑफ एन्थ्रोपोलॉजी एण्ड आर्कियोलॉजी, कलकत्ता : इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, 1963

बोसर्प, ई. "वीमेन्स रोल इन इक्नॉमिक डेवलपमेन्ट" लंदन : जी. एलेन एण्ड उनविन, 1970.

कोलोगन, जे.एफ.आर., 'हिन्दु ट्राइब्स,' इन इन्टरनेशनल एक्जीविशन 1983–84 कलकत्ता : गवर्नमेन्ट प्रेस, 1984

डी. सिल्वा, जी.बी.एस., ई.टी.ए.एल., "भूमिसेना : ए स्ट्रगल फार पीपुल्स पावर" इन गान्धी मार्ग, वाल्यूम 2 (2) 1979 पी.पी. 73–86

ढेबार, यू.एन., रिपोर्ट आफ शिड्यूल ट्राइबस कमीशन, नई दिल्ली : 1961

दुबे, एस.सी., ''सोशल एन्थ्रोपोलाजी इन इण्डिया'' इन टी0एन0 मदान एण्ड सरन (इ डी एस) इण्डियन एन्थ्रोपोलाजी, बाम्बे : एशिया हाउस 1962.

दुबे, एस.सी., ''मेन्स एण्ड वूमेन्स रोल इन इण्डिया : ए सोशियोलाजिकल रिव्यु'' इन बार बारा बार्ड (ईटी) वूमेन इन द न्यू एशिया, पेरिस यूनेस्को, 1973

धर्मवीर, एवं मंजू मनराल, ''ट्राइबल वीमेन'', क्लासिक पं0 नई दिल्ली, 1990.

फेर्रेइरा, जे.वी., 'इन्ट्रोडक्शन' इन ''सर्वे आफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपोलाजी'', वाल्यूम 1, नई दिल्ली : सात वाहन 1985

फर्थ. आर., ''ह्यूमन टाइप्स'' लन्दन, नेल्सन, 1946.

धर्मवीर, ''राजनीतिक समाजशास्त्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1993

गिसबर्ड पी, ''ट्राइबल इण्डिया'' जयपुर, रावत पब्लिकेशनस 1967.

हसनैन नदीम, ''जनजातिय भारत'', जवाहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1992.

जैन, आर.के., ''सोशल एन्थ्रोजोलाजी इन इण्डिया : थ्योरी एण्ड मैथेड'' इन सर्वे आफ रिसर्च इन सोशियोलाजी एण्ड शोसल एन्थ्रोपोलाजी, वाल्यूम प्रथम, नई दिल्ली, सातवॅा हन, 1985.

कापिड़या, के. एम., मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, (द्वितीय एडीशन) बाम्बे : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958.

कुमार जगजीत, ''वनवासियों के उत्थान में स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान'' अ.ल.शो.प्र., चि.,ग्रा. वि.वि. सतना, 1994.

मजूमदार, डी.एन. ''भारतीय संस्कृति'', अपाला प्रकाशन, लखनऊ, 1988.

मजूमदार, बी. ''सेम्बल आफ पावर'', नई दिल्ली : एलाइड पब्लिसर्स, 1979.

नाग, जसवन्त, ''पाठा के कोलों में राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता'' अ0 पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध काशी विद्यापीठ, वाराणसी 1989.

फूलचन्द्र केशरी, ''ग्रामीण एवं आदिवासी विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका'', अप्रकाशित शो0 प्रबन्ध, बु0ख0वि0झांसी, 1995

रामप्यारे, ''हरिजन युवको का समाजीकरण'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वी.एच.यू. 1981

श्रीवास्तव, हरिशचन्द्र ए.ए.के. श्रीवास्तव, ''सामजिक शोध एवं सांख्यिकी'' आनन्द पुस्तक मन्दिर, वाराणसी, 1977.

विद्यार्थी एल.पी., ''सोसल एन्थ्रोपोलाजिकल रिसर्चेज इन इण्डिया'' एम प्रालिमनरी आवजर्वेशन'' इन जरल आफ सोशल रिसर्च वाल्यूम 9 (1) 1966 बी.

बाडर, पी.टी., डिसेंट ऑफ डेवलपमेण्ट विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 1971

देसाई ए.आर.,''सोसियोलाजिकल प्राब्लम ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेण्ट'' गुन्नार मिडरल एशियनड्रामा, 1968

हसनैन, नदीम जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, 1997

जोशी, पूरन चन्द्र, भारतीय ग्राम– सांस्थानिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास, 1966

लक्ष्मण, टी.के., नारायण पी. – भारत में ग्रामीण विकास

मुखर्जी रवीन्द्रनाथ– भारतीय सामाजिक संस्थाएं, आगरा साहित्य भवन, 1996

सिंह, एम.डी.– वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूलतत्व, 1986

त्रिपाठी, डा. सत्येन्द्र एवं द्विवेदी डा. कृष्णदत्त– विकास का समाजशास्त्र (सम्पादित) विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1988

Anderson W., The units of Government in the the United States Chicago ; Public Administration Service. 1949

Awasthi P.K., Shrivastava A., Gupta S.K. & Atkare P. Integrated rural development programme : Receptivity and reaction. Ind. 1 of April. Eco. 41 (4) 670-671, 1986.

Abrams, C., Forbidden Neighbours, New Yourk Harper & Brothers Publications, 1955.

Balishter "And find out what oils IRDP", Yoiana, 30 (9) 20-22, 1986

Basu, A. IRDP in par Anupnagri a success, Kurukshetra XXXVI (5) 24-25, 1988.

Bhandari, M.C. Credit support for integrated Rural Devlopment Programme-A case study of Surat and Panchmahals, districts, Ind. I. of April. Eco. XXXIX (3) : 276-282, 1984.

Bogaert, S.J.M.V.D. Escorting an IRDP programme, in Palamau district, Kurukshetra XXXIII (11) 38-41, 1985.

Burgess E.W. The Urban Community, Chicago University Press. "Commission on Intergovernmental Relations; A report to the president for transmittal to congress. Washington, D.C. United State Govt. Printing office (1955).

Bollens, J.C. Elements of successful Annexations "Public Managements, xxx, p.p. 98-101.

Chandakavate Rardy implementation of IRDP, Yoiana, 29 (19) 13-15., 1985

Chaudhary, C.M.	IRDP an assessment of its implementation. Kurukshetra XXXIII (11) 15-16, 1985
Chauhan, I.S.	Leadership and social cleavages; Political processes Among the Indians in Figi, Jaipur Rawat Publications, 1988
Das, H.C.L.	Rural development planning in Bihar (a cas study of IRDP in Sursand Block of Sitamarhi district). Ind. J. of Agril. Eco., 39 (3) 479-478, 1984
Dewhurst, J.F.	Americas needs and resouces, New York, the 20th Century Fund, 1955
Dhillon, D.S. Sangha, G.S. & Randhawa, T.S.	Monitoring and evaluation of Integrated Rural Development Programme, Ind. J. of Ext. Edu. XXI (1 %2) ; 48-52,1985
Deck Brenda	Breed Crumb or yeast, Indo Canadian popular culture and its growth potential University of Brit-ish Columbia, 1987
De Young, C.A.	Introduction to Amercian Education New York; McGraw- Hill book Co. Inc.,1992
Fisher R.M.	The Metropolis in Modern life, Garden City New York; Doubleday and Co. Inc., 1955
Fisher, Maxine	Indians of New York City, New Delhi Hertiage publications, 1980
Goorge; K.M	Rural Devolopment Programmits strength and weaknesses Ind. J. of Agrll. Econ. 39 (3):266-275, 1984
Gupta;M.	Planning for Rural Development The Int egrated Rural Development Progranne and Its Strategy:

	Case Study, Ind. J. of Agril. Econ, 39 (3): 283-288, 1984
Guleria, A.B.& Yadav, A.P.	Strategy for the effect iveness of animal husbandry scheme with in IRDP, Ind. J. of Agril. Eco., 41 (4) 678-679, 1986
Henunappa, H.G.	IRD Programmes and rural poverty Brasstacks, Ind. J. of Agril. Eco. 4 (4) 651-654, 1986
Harikumar, S.	Has IRDP succeeded?, Yoiana, 28 (16) 17-20, 1984
Hirway, I.	The next stage in rural development, direct attack on dependency Ind. J. of Agril. Eco., 41 (4) 645-650, 1986
Jain, H.C.	A critical study of the impact of IRDP on agricultural sector of Jabalpur district. Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 673, 1986
Jha, R.	What ails IRDP, yojana 30 (16) 18-20, 1986
Kainth, G.S.& Singh, K.J.	Integrated Rural Development programme in Punjab, progress and constraints, Ind. J. of Agril. Eco., XXXIX (3) 478-479, 1984
Kaur, M., Aggarwal, K. & Kharinta, S.	Poverty alleviation programmes in Haryana-need for a new stretegy, Ind. J. of Agril. Eco., 41 (4) 662-663, 1986
Kawadia, G.	Evaluation of the Integrated Rural Development Programme A case study of Jabalpur district in M.P., Ind. J. of Agrill. Eco., 41 (4) 675-676, 1986
Khanna, I.	IRDP is having a positive impact, Yojana, 31 (5),

12-13, 1987

Khatkar, R.K., Pandey, U.K. & Nandal, D.S.	An impact study of Integrated Rural Development Programmes in Mahendragarh district of Haryana, Ind. J. of Agril. Eco., 41 (4) 658-659, 1986
Krishanan, A.C.K.	A case study of Integrated Rural Development Programme in a Kerala Village, Ind. J. of Agril. Eco., XXXIX (3), 259-265, 1984.
Kumat, R.S.	IRDP-A conceptual rethinking, Kurukshetra, XXXIV (3) 4-60, 1985
Malyadri, p.	Success of IRDP- myth or reality a case study, Kurukshetra XXXIII (11), 17-20, 1985
Manrai, M.L.	Poverty alloviation programmes and Agricultural development Ind. J. of Agril. Eco. 4 (4) 640-644, 1986
Mishra, S.	Rural development: A challenge before IRDP: A fresh look Ind. J. of Agril. Eco., 41 (4) 656-657, 1986
Mohanasundaram, V.	The Institutional Credit and the schemes for rural poor, Kurushetra. XXXIII (4) 16-18, 1985
Naidu, P.	Planning for rural development for better and for worse. Ind. J. of Agril. Eco. XXXIX (3) 308-309, 1984
Narian, P.	IRDP- Acritical analysis, Kurukshetra, XXXIV (11&12) 9, 1986
Panda, R.K.	Implementation of IRDP programme in Orissa, Kurukshetra, XXXIII (11) 26-28, 1985

Ramachandraiah, G. — Impact of IRDP and NREP in U.P., a case study, Kurukshetra, XXXIV (5) 13, 1986

Rao, D.V.L.N.P. — IRD Programmes in Karnataka field observations, Kurukshetra, XXXII (7) 37-39, 1984

Rao, C.R. & Rao, B.S. — Essentials for the success of IRDP, Kurukshetra, XXXIII (11) 24-25, 1985

Rao, V.K.B. — IRDP to alleviate rural poverty, Kurukshetra, XXXIII (11) 33-37, 1985

Rath, N. — Garibi Hatao, can IRDP Do it ?, Economic and Political Weekly, XX (6) 238-246, 1985

Sanwal, M. — Garibi Hatao, improveing implementation, Economic and Political Weekly, XX (49) 2176-2178, 1985

Sarawgi, A.K., Baohar, B.B. & Gour, S.S. — Financing by State Bank of India Agricultural development Branch Jabalpur (M.P.) in Ratan Block of Jabalpur District under Integrated Rural Development Programme, Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 669, 1986

Sharma K.K. — Society and Polity in modern Srilanka, New Delhi, South Asian Publications, 1988

Satyanarayana, T. & Peter, Y.J. — Integrated rural development Vis-a-vis agricultural development Ind. J. of Agril. Eco., 4 (4) 661-662, 1986

Schermerhorn, R.A. — Comparative Ethnic Relations, New York, London House, 1970

Satyanarayana, T. & Peter, Y.J. — Aspects and appraisal of rural development in India. Ind. I. of Agril. Eco., XXXIX (3) 301-

	302, 1984
Singh, K.N.	Management in Agriculture and Rural Development, Ind. J. of Ext. Edu. XXI (1 & 2) 1-9, 1985
Singh, A.K.	Administrative personnel in the implementation of IRDP. Kurukshetra. XXXIII. (11) 21-23] 1985
Sinha, A.K., Upadhyay, S.P., Singh, B. & Upadhyay, R.G.	People's involvement in IRDP, a case study in Indo-Gengetic plane-East Uttar Pradesh. Ind. J. of Agril, Eco., 41 (4) 657, 1986
Singh, K.	An analysis and evaluation of planning and implementation of Integrated Rural Development programme in sabarkantha district of Gujarat. Ind. J. of Agril, Eco., XXXIX (3) 251-258, 1984
Singh, D.K.	An appraisal of Integrated Rural Development Programme in Banda district of Uttar Pradesh, Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 663, 1986
Singh, K.J. & Deb, P.C.	Socio-economic impact of IRDP in Punjab, Kurukshetra, XXXIII (11) 29-32, 1985
Singh, M.L.	Integrated Rural Development Programme- its relevance for the future, Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 667, 1986
Singh, A.K.	Dedicated administrative support to IRDP, a must Yojana 29 (18) 20-21, 1985
Singh, R.	What's wrong with IRDP ?, Yojana, 30 (22) 16-17, 1986
Sudarshan, G.	Financing of IRDP, Yojana, 29 (22) 17-18, 1985
Thipaiah, P & Babu, D.M.	Tackling rural poverty Yoina, 32 (22) 10-15, 1986

302, 1984

Singh, K.N. Management in Agriculture and Rural Development, Ind. J. of Ext. Edu. XXI (1 & 2) 1-9, 1985

Singh, A.K. Administrative personnel in the implementation of IRDP. Kurukshetra. XXXIII. (11) 21-23] 1985

Sinha, A.K., Upadhyay, S.P., Singh, B. & Upadhyay, R.G. People's involvement in IRDP, a case study in Indo-Gengetic plane-East Uttar Pradesh, Ind. J. of Agril, Eco., 41 (4) 657, 1986

Singh, K. An analysis and evaluation of planning and implementation of Integrated Rural Development programme in sabarkantha district of Gujarat, Ind. J. of Agril, Eco., XXXIX (3) 251-258, 1984

Singh, D.K. An appraisal of Integrated Rural Development Programme in Banda district of Uttar Pradesh, Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 663, 1986

Singh, K.J. & Deb, P.C. Socio-economic impact of IRDP in Punjab, Kurukshetra, XXXIII (11) 29-32, 1985

Singh, M.L. Integrated Rural Development Programme- its relevance for the future, Ind. J. of Agril. Eco. 41 (4) 667, 1986

Singh, A.K. Dedicated administrative support to IRDP, a must Yojana 29 (18) 20-21, 1985

Singh, R. What's wrong with IRDP ?, Yojana, 30 (22) 16-17, 1986

Sudarshan, G. Financing of IRDP, Yojana, 29 (22) 17-18, 1985

Thipaiah, P & Babu, D.M. Tackling rural poverty Yoina, 32 (22) 10-15, 1986

Verma, S.C. Integrated Rural Development Programme : Current status, Ind. J. of Ext. Edu. XVIII (1 & 2) 10-15, 1982

Vithal, C.P. Rural development needs rathinking of strategies : a study, Kurukshetra, XXXIV (11 & 12); 43, 1986

Wells R.H. Americal Local Govt. New York, McGraw Hill book co. Inc.,1939

Yadava, J.S. Communication and management of Integrated Rural Development Programme, Ind. J. of Ext., Edu., XXI (1 & 2) 42-47, 1985

Yojana Correspondent Loopholes inflicting IRDP Yojana 29 (18) 15-16, 1985

Zaidi, N.A Has IRDP helped alieviate poverty, Yoiana. 29 (18) 8-10, 1985

Zolbera , Aristide, The formantion of new states as arefuqce generations process the annals of the americans academy of political and social science-may p.p.24-38 1983